राजस्थान विधान सभा

३३ वीं बैठक, बुधवार, दिनांक–२ जून, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ५ बजकर ४ मिनट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १००६, १००७ एवं १००८

श्री अध्यक्ष श्री हरिकृष्ण व्यास

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १००९

किशनगढ़ का मदनमोहनलालजी का मन्दिर शासन के नियंत्रण में

श्री चाँदमल मेहता—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ़ का मदनमोहनलाल जी का मन्दिर कब से राज्य के नियन्त्रण में है ?

(२) राजस्थान बनने से पहले इस मन्दिर का वार्षिक आय-व्यय का बजट क्या था और राजस्थान बनने पर इस मन्दिर के पास कितना रुपया खजाने में जमा था ?

(३) सन् ५३-५४ में इस मन्दिर की आय कितनी हुई और खर्चा कितना हुआ ?

(४) क्या यह सही है कि मन्दिर के कर्मचारियों का ९ माह का वेतन चढ़ा हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(१) किशनगढ़ का मदनमोहनलाल जी का मन्दिर सन् १९५३ से राजस्थान सरकार के नियन्त्रण में है।

(२) राजस्थान बनने से पहले इस मन्दिर का बजट निम्नलिखित था ।

Page No.2

[श्री भोगीलाल पंड्या]

आय ३७६६४) रुपये, व्यय ३५७४६) रुपये

राजस्थान बनने से पहले इस मन्दिर के पास १२८७) जमा थे।

(३) सन् ५३-५४ में इस मन्दिर की आय व व्यय के आंकड़े निम्न लिखित हैं :

आय १२५१६) रुपये।

व्यय ११६२१) रुपये।

(४) नहीं।

श्री चाँदमल मेहता--जो आमदनी का ह्रास राजस्थान सरकार के हाथ में आने के बाद हुआ इसका कारण क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--कई तरह की अनुचित लाग-बागें पहले लगी हुई थीं और वे अब हट गई हैं इसलिए आय कम हो गई है।

श्री चाँदमल मेहता--क्या यह सही नहीं है कि सरकार की अव्यवस्था को वजह से आमदनी में यह कमी हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--यह बिलकुल झूठ है।

श्री चाँदमल मेहता--क्या यह सही है कि एक पूरे गाँव की आमदनी जो इस मन्दिर में जमा होती थी वह सारी की सारी निकल गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या--यह आपकी इन्फोर्मेशन गलत है। सारी लाग-बागें क्या थीं और किन किन से वसूल होती थीं और इनको कम करने से आमदनी कितनी और कैसे कम हुई ; ये सब बातें मैं बता सकता हूं।

श्री चाँदमल मेहता--मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। क्या यह सही है कि इस मन्दिर की आय में पहले जैतपुरा ग्राम की आमदनी जमा होती थी और सरकार की अव्यवस्था की वजह से अब उस गांव की आमदनी मन्दिर के हाथ से निकल गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या--आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। पूरे लिखे-लिखाये प्रमाण मेरे पास हैं। मैं जो कह रहा हूँ वह सही कह रहा हूं।

श्री चांदमल मेहता—मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन कर दूं कि मैं जब प्रश्न करता हूँ तो पहले आवश्यक तैयारी करके आता हूं। मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि क्या गवर्नमेन्ट की अव्यवस्था की वजह से जैतपुर ग्राम की आमदनी जो पहले इस मन्दिर में जमा होती थी वह आज जमा नहीं हो रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं बता चुका हूँ माननीय सदस्य को। बार-बार बताना ठीक नहीं समझता। जितने-जितने सीगे इसकी आमदनी के हैं उनमें यह गांव कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वे पूछ रहे हैं कि क्या सरकार की अव्यवस्था के नाते आमदनी में कमी नहीं हो रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं 'ना' कह चुका हूँ, कितनी बार 'ना' कहूँ उनको।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि ६ महीने की तनख्वाह उनकी चढ़ी हुई थी, वह मेरे यह प्रश्न भेजने के बाद दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, पहले दी गई है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इसकी तारीख बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अवश्य। (अश्रव्य)

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय को मालूम है कि जो तारीख बताई गई है उससे पहले प्रश्न उनके पास पहुंच गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आज मैं उत्तर दे रहा हूँ। तनख्वाह हम फरवरी–मार्च में दे चुके थे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०१०

सिंचाई विभाग द्वारा सरवाड़ तहसील में सन् १९५३-५४ में तालाबों की पाल के अधिकाँश वृक्ष कटवाना

श्री चाँदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या यह सही है कि सरवाड़ तहसील में सन् ५३-५४ में तालाबों की पाल के अधिकाँश वृक्ष इस विभाग द्वारा कटा दिये गये हैं ?

Page No.4

(२) यदि हां, तो कितने पेड़ काटे गये हैं और इनसे क्या आय इस विभाग को हुई है ?

(३) इन पेड़ों के काटने के क्या कारण हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(१) हां । इन तालाबों के बांध ऊंचा करने के लिए कुछ....

श्री चांदमल मेहता—आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—साहब, इसका तो अब मैं क्या करूं ।

(१) हां, इन तालाबों के बांध ऊंचे करने के लिये कुछ पेड़ों को काटना आवश्यक था ।

(२) ३३६ वृक्ष कटे हैं और ७६५० की कीमत बंधी है ।

(३) कारण प्रश्न संख्या (१) के उत्तर में दिये जा चुके हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस प्रकार के पेड़ न सिर्फ इस तहसील में, पर सारे राजस्थान भर में तालाबों की पाल पर से काटे गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—The Question is not relevent to this

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरवाड़ तहसील के अधिकांश गांवों से माननीय मन्त्री महोदय के पास आवेदन-पत्र गये थे कि वहां सैकड़ों की तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं

श्री टीकाराम पालीवाल—अधिकांश गांवों की इस प्रकार की दरख्वास्त नहीं आई ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या फतहगढ़ तहसील से तार व चिट्ठियां मन्त्री जी के पास नहीं आईं, ग्राम पंचायत ने वे भेजी थी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—एक-दो आई हों, पर मैंने देखी नहीं ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो संख्या पेड़ काटने की माननीय मन्त्री महोदय बता रहे हैं वह गलत है; कई हजार की तादाद में पेड़ काटे गये है ?

Page No.5

श्री हिम्मतसिंह—पाल कितनी ऊंची की गई जिससे पेड़ काटने की जरूरत समझी गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऊंचाई ठीक ठीक तो नहीं बता सकूंगा पर इतनी ऊंचाई थी कि जिससे पेड़ काटना जरूरी हुआ ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह समझा जावे इस जवाब से कि इस तालाब की पाल पर वृक्ष काटे गये तो जिसकी पाल ऊंची की गई उस हर तालाब की पाल पर से भी वृक्ष काटे गये ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, आवश्यकता होती है तो काटे जाते हैं। अगर आवश्यकता हुई होगी तो दूसरे तालाबों पर भी काटे गये होंगे।

श्री चाँदमल मेहता—इन पेड़ों को काटने की आज्ञा देने वाला कौन था ?

श्री टीकाराम पालीवाल—असिस्टेन्ट इन्जीनियर ।

श्री शम्भूसिंह—क्या पाल ऊंची की जा चुकी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हां ।

श्री घीसोसिंह—इस पाल पर कितनी ऊंची मिट्टी डाली गई क्योंकि पाल के पेड़ इतने ऊंचे होते हैं कि तीस हाथ ऊंची पाल की जावे तब भी पेड़ काटने की आवश्यकता नहीं होती ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कितनी ऊंची का सवाल नहीं है, पाल कच्ची रह जाती है इसलिए काटने की आवश्यकता होती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि पहले राजस्थान की रियासतों में पाल को मजबूत करने की दृष्टि से पेड़ लगाने का तरीका अख्त्यार किया गया था। आज सरकार ने उस तरीके को बदलने की कोशिश की, क्या वह किसी टेक्नीशियन की राय से की है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अलग-अलग अनुभव की बात होती है ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह माना जाय कि यह जो पेड़ काटे गये हैं उनके बारे में यह राय थी टेकनीशयन्स की कि यह पेड़ काटा जाना आवश्यक है पाल के बीच में ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हाँ।

श्री चाँदमल मेहता--यह टेक्नीशियन्स ट्रेनिंग कहाँ से लेकर आये थे ?

श्रीटीकाराम पालीवाल—वे कम से कम किशनगढ़ से तो नहीं आये थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किशनगढ़ से ट्रेन्ड टेक्नीशियन यहाँ पर कौन है ?

(हँसी)

श्री अध्यक्ष--These are very plain questions.

प्रश्न संख्या १०११

सिंचाई विभाग द्वारा सन् १९५३-५४ में किशनगढ़ तहसील में वृक्षों के विक्रय से आय

श्री चाँदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) सिंचाई विभाग द्वारा सन् ५३-५४ में किशनगढ़ तहसील में कितने पेड़ बेचे गये और उनसे इस विभाग को कितनी आय हुई ?

(२) इन पेड़ों में से हरे पेड़ कितने थे ?

(३) सन् ५३-५४ में कितने नये पेड़ इस विभाग द्वारा लगाये गये जो अभी मौजूद हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(१) ४५ वृक्ष बेचे गये जिनसे ९७६ रु० की आमदनी हुई।

(२) इनमें से हरा कोई वृक्ष नहीं था।

(३) कहीं-कहीं बबूल के बीज फेंक कर डाले गये जिनकी पोध मौजूद है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि माननीय मन्त्री महोदय जो जानकारी दे रहे हैं वह उन अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर दे रहे हैं, जिन्होंने हजारों की तादाद में किशनगढ़ तहसील में पेड़ कटवाये हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकारी अधिकारियों के आधार पर ही सूचना दे रहा हूँ, जिन्होंने अपने कर्तव्य को निभाने में मुमकिन हो, वृक्ष कटवाये हों।

श्री चाँदमल मेहता--इस प्रश्न के पूछे जाने के बाद कुछ अधिकारी वह पेड़ बेचने लगे जो पेड़ उन्होंने कटवाये हैं, लेकिन उनकी रकूमात जमा नहीं हुई है सरकार में। क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में यह है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

Page No.7

श्री चाँदमल मेहता—क्या जो पेड़ इर्रिगेशन विभाग के मातहत हैं उन पर नम्बर लगे हुए हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सम्भव है नम्बर लगे हुए हों, लेकिन किशनगढ़ स्टेट में पहले यह पेड़ फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन थे और किशनगढ़ स्टेट में कोई बहुत अच्छी व्यवस्था का कोई प्रबन्ध नहीं था, इसलिए सब पेड़ों पर नम्बर नहीं लगे थे। अभी हाल ही में इर्रिगेशन विभाग के मातहत ये आये है, इसलिए मुमकिन हो कि सब पेड़ों पर नम्बर नहीं हों।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन तालाबों पर पेड़ों पर नम्बर लगे थे, उनमें कुछ पर लगाये हैं और कुछ को छोड़ दिया गया है ताकि उन पेड़ों को बेचने में उन अधिकारियों को सुविधा हो ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सरकार की जानकारी में नहीं है। अगर माननीय सदस्य सरकार की जानकारी में लायेंगे तो सरकार उनकी अनुगृहीत होगी और उसके बारे में कार्यवाही की जायगी।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि भड़कानाले में कितने नम्बर वाले पेड़ थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—स्पीड इतनी तेज है कि समझ में नहीं आता है। जरा धीरे बोलिये।

श्री चाँदमल मेहता—जो नम्बर खर्च हो चुके हैं, तो क्या इस बात की कोशिश की गई है कि उनमें से जितने पेड़ माननीय मन्त्रीजी ने कटना बताये हैं, उतने ही पेड़ कटे हैं या ज्यादा कटे हैं; क्या जांच की कोशिश की गई इस प्रश्न का जवाब देने से पहले ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह पहले से मानकर नहीं चला गया था कि इसमें गड़बड़ की गई है, इसलिए सीधे-सीधे सूचना प्राप्त की गई है और उत्तर आया वह आपको बतला दिया गया। अगर इसमें कोई गलती हो और माननीय सदस्य उसको बतलायेंगे तो सरकार जांच करेगी।

श्री चाँदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय इस प्रश्न के आधार पर यह जांच करने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे तालाब हैं जहाँ पेड़ों का नम्बर छोड़ा गया है और कितनी बड़ी तादाद में पेड़ काटे गये हैं ? किसी भी बड़े अफसर को जो इर्रिगेशन विभाग का नहीं हो उससे यह जाँच करवाई जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल—इस प्रश्न के आधार पर नहीं किया जा सकता है। कोई निश्चित सूचना जिम्मेदारी से देंगे तो उसके आधार पर जाँच करवाई जायगी।

श्री चाँदमल मेहता—आज जो इस प्रश्न के आधार पर सूचना दी जा रही है, क्या मन्त्री महोदय उसको जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—निश्चित।

श्री टीकाराम पालीवाल—निश्चित सूचना नहीं है। माननीय सदस्य निश्चित सूचना देंगे तो उसकी जांच करवाई जायगी। माननीय सदस्य को याद दिलाऊं कि जो जानकारी दी थी एक प्रश्न के आधार पर, उसकी जाँच करवाने का ऑर्डर दिया गया। उन ऑफिसर ने माननीय सदस्य को लिखा कि वह आयें लेकिन माननीय सदस्य ने जांच में कोई मदद नहीं दी और यहाँ जो सजेशन दिया गया वह गलत पाया गया।

श्री चाँदमल मेहता—जो माननीय मन्त्री महोदय को जानकारी दी गई है वह गलत है। मैं कह सकता हूँ कि मैंने जवाब दिया है कि जो अधिकारी जाँच कर रहे हैं वह खुद इसमें शामिल है, मैं साबित करने को तैयार हूँ कि जो जांच करने के लिए अधिकारी भेजे गये थे, उसमें शामिल थे। माननीय मन्त्री जी खुद मेरे साथ बैठ जायं तो मैं कागजात से, सरकारी रेकॉर्ड्स से साबित करने को तैयार हूँ कि जो जानकारी हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट ने उनको दी है वह गलत है; मैं माननीय मन्त्री महोदय को साबित करने को तैयार हूँ।

(विपक्षी दल की ओर से 'हियर-हियर')

श्री टीकाराम पालीवाल—मुझे खेद है कि मैंने स्वयं इस सम्बन्ध में एक पत्र माननीय सदस्य को लिखा था और मेरे पास सूचना आई है कि उन्होंने जांच में कोई सहयोग नहीं दिया, बुलाने पर नहीं आये, मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं दिया।

श्री चाँदमल मेहता—मैंने जवाब दिया है। यह आपके दफ्तर की गलती हो सकती है कि उन्होंने वह पत्र आपके सामने नहीं रखा हो। मैं भी जवाब दे रहा हूँ। जाँच के लिए कल का दिन मुकर्रर कर दिया जाय। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर! ऑर्डर!! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०१२

राजस्थान में नमक पर नियन्त्रण

श्री चाँदमल मेहता—क्या रसद मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में नमक पर क्या अब भी कन्ट्रोल है?

(ख) यदि हाँ, तो कहाँ कहाँ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) जी हाँ, केवल वितरण पर।

Page No.9

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ख) वह सारे राजस्थान में है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जोधपुर डिवीजन में नमक की सप्लाई के लिए सिर्फ एक व्यापारी को ही अधिकार दिया गया है जो अपनी तरफ से व्यापारी नियुक्त करे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं। एक एसोसियेशन को अधिकार दिया गया है और वह नमक के वितरण की व्यवस्था करता है।

श्री चाँदमल मेहता--इस तरह से एक व्यापारी का एकीकरण करने के क्या कारण है ? क्या सरकार इसको मुक्त नहीं करना चाहती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार एकीकरण नहीं करके विकेन्द्रीकरण करना चाहती है। जगह-जगह जहाँ एसोसिएशन बने थे डिवीजन वाइज़ पर जब उनमें खामी पाई गई तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज़ बना दिये गए जहाँ कि आवश्यकता हुई। जैसे कोटा में आवश्यकता हुई तो वहाँ बना दिया; उदयपुर में आवश्यकता हुई, जयपुर में आवश्यकता हुई तो वहाँ कर दिये गये है। अगर वहां उसकी वितरण की व्यवस्था में खामी बतलाई जायगी तो उसको भी तोड़ दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय को एक ही व्यक्ति को इस प्रकार का ठेका देने के वक्त में और कोई नाम नहीं मिला है ? परबतसर तहसील में ६ व्यापारियों ने रिप्रेज़ेन्टेशन दिया था कि उनके नाम लिये जांय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गजट में यह निकलता है कि जो नमक के डीलर्स हों वे एसोसियेशन के मेम्बर बनने के लिए ठीक समय पर सूचना दे देंगे मेम्बर बनाये जाने को तो उनको यह भी सहूलियत मिलती है। जिनकी अर्जियाँ पहुँची वे मेम्बर बनाये गये हैं।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय मन्त्री महोदय ने जो कहा उसका यह अर्थ लगाते हैं कि वह मेम्बर नहीं मले लेकिन इस प्रकार से जनता को जो कठिनाई है तो उसको सजा क्यों दी जाय ? जो सिस्टम चालू है व्यक्ति को अधिकार देने का; वह ठीक है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप एक नई जानकारी दे रहे हैं। सरकार ने एसोसियेशन बनाने के लिए, जितने मेम्बर सम्मिलित हो सकते थे, सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया था, फिर भी कोई शिकायत आती है तो एसोसियेशन को तोड़कर उसका विकेन्द्रीकरण करती है।

Page No.10

श्री चाँदमल मेहता—जिस तरह से अनाज को कन्ट्रोल से मुक्त किया गया है तो क्या सरकार नमक को भी कन्ट्रोल से मुक्त करेगी। जिस एक एसोसियेशन को या व्यक्ति को बेचने का अधिकार दिया गया है उसको तोड़ने को सरकार तैयार है?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार जहाँ जहाँ आवश्यक समझती है और जो आवश्यक समझती है वहाँ वहाँ वैसी व्यवस्था करती है। माननीय सदस्य की सूचना से पहले नाज, कपड़े, शक्कर और कई चीजों से कन्ट्रोल उठा दिया गया था और नमक पर उठाने के लिए उचित कार्यवाही करना चाहती है जो कि अभी आपको बताना उचित नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह कार्यवाही कॉन्फीडेन्शियली की जा रही है? अगर यह नहीं हो तो बताने की कृपा करेंगे कि वह कब तक हो जायगी।

(घण्टी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब एसोसियेशन को इस प्रकार सरकार ने बेचने का आदेश दिया तो उसके कितने मेम्बर थे?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो जिन-जिन की अर्जियाँ आई थीं उन सब को ले लिया गया। नाम के लिए अलग से पूछें तो अलग से सूची दी जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, जिस एसोसियेशन के बारे में मेरे माननीय मित्र के प्रश्न का सम्बन्ध है उस एसोसियेशन में जब ठेका दिया गया उस समय कितने मेम्बर थे?

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रश्न में ऐसा नहीं पूछा गया है। वह सारे राजस्थान के लिए पूछना चाहते हैं। यदि आप इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो अलग से प्रश्न पूछियेगा। सारे डिवीजनों के नाम बता दिए जायेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जोधपुर डिवीजन में जिस एसोसिएशन को ठेका दिया गया था उसमें ५ मेम्बर थे?

श्री अध्यक्ष—Not relevant. Next.

प्रश्न संख्या १०१३

राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के रजिस्टर्ड ठेकेदार

श्री चाँदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चाँदमल मेहता]

(क) राजस्थान में पी. डब्लू. डी. के रजिस्टर्ड ठेकेदार कितने हैं ?

(ख) वे कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं और यह विभाजन किस आधार पर किया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—राजस्थान निर्माण विभाग में भिन्न-भिन्न श्रेणियों के १२४६ ठेकेदार हैं। वे निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त हैं—

(ए) श्रेणी	२३०
(बी) श्रेणी	२८४
(सी) श्रेणी	७३२

श्री चांदमल मेहता—इन श्रेणियों का जो विभाजन किया गया है वह किस आधार पर किया गया है। यह मन्त्री महोदय ने नहीं बताया है।

श्री टीकाराम पालीवाल—गवर्नमेंट के रूल्स बने हुए हैं, उनके आधार पर किया गया है।

श्री चाँदमल मेहता—इन रूल्स के अन्तर्गत इन ठेकेदारों से जो सिक्योरिटीज़ जमा कराई जाती है वह किस आधार पर कराई जाती है।

श्री टीकाराम पालीवाल—उनकी फाईनेन्शियल पोज़ीशन को एसर्टेन (ascertain) किया जाता है और अलग काम उनको दिया जाता है, तो सिक्योरिटीज़ ली जाती हैं।

श्री चांदमल मेहता—फाईनेन्शियल पोज़ीशन का निर्णय किस आधार पर किया जाता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—फाईनेन्शियल पोज़ीशन निर्णय करने का आधार बैंक रेफरेन्स से और उनकी बिजनेस स्टेबिलिटी (business stability) और बिज़ीनेस की लेन्थ (length) पर होता है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि दूसरी सब स्टेटों में जो उन्होंने सिक्योरिटीज़ की व्यवस्था कर रखी है कि गवर्नमेंट किसी भी ठेकेदार से डिपोजिट की जो उससे ज्यादा रकम वसूल की जा सकती है, क्या इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर करने के लिए विचार करेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—विचार करेगी।

प्रश्न संख्या १०१४

परबतसर तहसील के लिए नियत सीमेंट चद्दर का कोटा

श्री चाँदमल मेहता—क्या रसद मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

परबतसर तहसील के लिए सीमेंट चद्दर का कितना कोटा मुकर्रर है और वह कब से नहीं मिला है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित की गई लोहे व इस्पात की मात्रा का विवरण जिलेवार होता है। गत तीन वर्षों में नागौर जिले के लिए निर्धारित की गई लोहे व इस्पात की मात्रा में प्राप्त हुई नालीदार चद्दर की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	लोहे व इस्पात की निर्धारित की गई मात्रा।	नालीदार मात्रा।	चद्दरों की प्राप्त हुई मात्रा
१९५२	११३ टन		६५ टन
१९५३	१० टन		...
१९५४	२० टन		२० टन

नागौर जिले के लिए प्राप्त हुई नालीदार चद्दरों में से जिलाधीश नागौर द्वारा निम्नांकित मात्रा परबतसर के वास्ते वितरण से लिए दिलाई गई थी—

वर्ष	वितरण के वास्ते नालीदार चद्दरों की मात्रा
१९५२	३/४ टन
१९५३	...
१९५४	५ टन

सीमेन्ट सन् १९५३ के अप्रेल से मार्च सन् १९५४ तक परबतसर को २०४० बोरी सीमेंट नॉन एग्रीकल्चरल काम के वितरण हेतु दी गई है। सीमेंट का अलॉटमेंट भी जिलाधिकारी की सिफारिश पर किया जाता है। जितने के लिए वहाँ आवश्यकता है उसी माफिक सीमेंट अलॉट करने के लिए लिखते हैं और उतना ही अलॉट कर दिया जाता है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि परबतसर में जो अलाटमेंट है वह वहाँ के लिए पर्याप्त नहीं है ?

Page No.13

श्री भोगीलाल पंडया—यदि कमी होगी और वहाँ के लोग मांग करेंगे तो बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा।

प्रश्न संख्या १०१५

सरदार-शहर से राजगढ़ तक की सड़क की दुर्दशा तथा उसका जीर्णोद्धार

श्री प्रभूदयाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरदार-शहर से राजगढ़ तक जो सड़क है उसकी दशा बहुत ही खराब है और ऐक्सीडेन्ट का हर वक्त खतरा रहता है ?

(ख) क्या यह सही है कि वहाँ सरकार को लाखों रुपये टैक्स के मिलते हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि जब से सड़क बनी है कभी मरम्मत नहीं की गई है ?

(घ) क्या यह सही है कि तमाम सड़क पर रेत बिछी हुई है और सड़क का नामोनिशान मिट गया है ?

(ङ) क्या सरकार उसे नई बनाने का विचार रखती है ? अगर हाँ, तो कब तक और अगर नहीं, तो क्यों नहीं।

श्री टीकाराम पालीवाल—सरदार-शहर से तारानगर की सड़क की हालत संतोषजनक है। तारानगर से राजगढ़ वाली सड़क की दशा अवश्य कुछ खराब है किन्तु इतनी खतरनाक नहीं है जितनी कि बताई गई है।

(ख) राजगढ़ से तारानगर १० बसें चलती हैं और तारानगर से सरदारशहर तक ३ बसें चलती हैं जिनसे ६५८०) रुपये सालाना आमदनी होती है।

(ग) सड़क की मरम्मत की जा चुकी है। सन ४८ में बीकानेर से दिल्ली सड़क के निर्माण के सिलसिले में सरदारशहर से तारानगर तक की सड़क का नवनिर्माण किया गया था। कुछ मीलों में तारानगर से राजगढ़ तक का हिस्सा सन् ४६ में रिकंडीशन्ड किया गया था। इसकी मरम्मत पहले से ही की जाती रही है।

(घ) यह बात सही है कि सड़क का सरफेस (surface) सुरक्षित रखने के लिये रेत बिछाई गई है। सड़क का नामोनिशान नहीं होने की बात सही नहीं है।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ङ) तमाम सड़क को रीकंडीशन्ड करने और सरफेस ठीक करने के लिये प्रस्ताव है और उसके लिये एस्टीमेट्स पेश किये जा चुके हैं और भारत सरकार से फंड्स माँगे गये हैं।

श्री प्रभूदयाल—क्या यह सही है कि सड़क पर खड्डे पड़े हुए हैं और जगह-जगह खड्डे होने से हालत खराब है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसके कुछ हिस्से की हालत जरूर खराब है लेकिन खतरनाक नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मन्त्रीजी छोटी गाड़ी में बैठकर कभी इस सड़क पर गये हैं जिससे कहते हैं कि हालत खराब नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह संभव नहीं है कि राजस्थान की हरेक सड़क पर छोटी या बड़ी गाड़ी में बैठ कर जाया जाय।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो फिर किस बुनियाद पर कहा जाता है कि हालत खतरनाक नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जिस बुनियाद पर सरकारी जवाब दिये जाते हैं उसी आधार पर कहा गया है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिये ही कॉन्ट्राडिक्शन किया जा रहा है या किसी आधार पर किया जा रहा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जो सूचना प्राप्त हुई है उसी के आधार पर सूचना दी गई है। जहां खराब है उसे स्वीकार किया गया है और जहाँ अत्युक्ति है वहाँ अत्युक्ति बताई गई है।

श्री खेतसिंह—किसी सड़क को खतरनाक बताने का आपके पास क्या पैमाना है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने खतरनाक नहीं बताया है।

अल्पकाल-सूचना प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—अल्पकालीन सूचना प्रश्न, श्री भगवानसिंह तरंगी।

Page No.15

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Still there is plenty of time, Sir. Some of the Members want to put questions.

श्री अध्यक्ष—This is also a Short Notice Question.

(श्री जेलिया से) You read out the question. आप इसे पढ़ दीजिये ।

झालावाड़ शहर की जनता के लिये पेय जल की उचित व्यवस्था

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान सरकार झालावाड़ शहर की जनता को पीने के पानी की असुविधा को महसूस कर रही है ?

(ख) यदि हाँ, तो इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार अब क्या सामयिक कदम उठाने जा रही है ?

(ग) उक्त कार्य कब से सम्पन्न होगा ?

(घ) क्या यह सही है कि झालावाड़ शहर में स्थानीय जनता को पीने का पानी इन दिनों में कीमतन उपयोग में लाना पड़ रहा है ?

श्री टीकाराम पालीवल—(क) हाँ ।

(ख) पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को आवश्यक स्कीम तैयार करने का आदेश दिया गया है ।

(ग) यथाशीघ्र ।

(घ) हाँ ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या वर्षा के शुरू होने के बाद इन्तजाम किया जायगा, जब कि अभी पीने को पानी नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी नहीं, वर्षा शुरू होने से पहले किया जायगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी झालावाड़ में चार आना मटका पानी मिल रहा है, इसके लिये अभी आप क्या इन्तजाम कर रहे हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—चार आना मटका मिलने की सूचना सरकार के पास नहीं है, जहाँ तक मालूम है तीन पैसा मटका है । लेकिन राजस्थान में झालावाड़ के अलावा और

[श्री टीकाराम पालीवाल]

भी ऐसा प्रदेश है जहाँ की स्थिति झालावाड़ से भी ज्यादा खराब है। (हियर-हियर)

श्री भवानीसिंह—दूसरे कई स्थानों की झालावाड़ से ज्यादा खराब स्थिति होना क्या आप तारीफ की बात मानते हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—तारीफ की बात नहीं है, वस्तुस्थिति बतलाता हूँ ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—ऐसी दशा सरकार क्यों होने देती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार ऐसी स्थिति नहीं होने देना चाहती, पर यह बात उसके साधन के बाहर की है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या जनकल्याणकारी सरकार इस गर्मी के टाइम में कुछ धन राशि देकर झालावाड़ की जनता की सुविधा का ख्याल नही रखती ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जरूर करना चाहती है। कुछ रुपये सरकार ने खर्च भी किये हैं और कुछ लोगों को वहाँ से यहाँ बुला लिया है। (हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—पब्लिक हेल्थ को कितने दिनों में स्कीम तैयार करने का आदेश दिया गया है।

श्री टीकाराम पालीवाल—जल्दी से जल्दी पेश करने का आदेश दिया गया है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि भूतपूर्व झालावाड़ सरकार ने बहुत से रुपये इस समस्या के समाधान के लिये रिज़र्व रखे थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—केवल रिज़र्व ही रखे होंगे, खर्च नहीं किये।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या झालावाड़ में जल-कष्ट निवारण का कार्य इसी वर्ष शुरू हो जायगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हाँ, इसी वर्ष शुरू हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—Yes, Repetition.

प्रश्न संख्या १००६

अलवर तथा भरतपुर में मेवो को पुनः बसाने सम्बन्धी शासकीय कदम

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Rehabilitation be pleased to answer :

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(a) What are the population figures of Meos in and around Alwar and Bhartpur ?

(b) Is the Government aware that the Census figures are not complete on this point ?

(c) How many Meos have been re-settled ?

(d) What does the Government propose to do with the rest of the Meos ?

(e) Is the Government aware that the lands allotted to the Meos are of the worst quality, situated miles away from the villages and are allotted piece-meal at various places ?

(f) Do the Meos enjoy all these rights enjoyed by other population ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मन्त्री)—(ए) ६६, ६४६

(बी) विशेष रूप से की गई जन-गणना के अनुसार यह संख्या सही है।

(सी) समस्त।

(डी) यह प्रश्न नहीं उठाता।

(ई) जी नहीं, जहाँ तक संभव हो सका, मेवों की मौलिक भूमि उन्हें वापिस लौटा दी गई है। जहाँ ऐसा संभव नहीं हो सका वहाँ उन्हें दूसरी भूमि, जो यथा-संभव उनकी मौलिक भूमि के निकटतम है, दे दी गई है: जिसे वे स्वीकार कर रहे हैं।

(एफ) जी हाँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस प्रकार की भूमि देने में कई जगह अलग अलग टुकड़े दिये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जनगणना के अनुसार जितनी तादाद मेवों की दर्ज है, उसमें से अब ६ हजार एप्लीकेशन्स तय होना बाकी हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के पास इस सिलसिले में रिप्रेज़ेन्टेशन्स प्राप्त हुए हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—कई प्रकार के रिप्रज़ेन्टेशन्स प्राप्त हुए हैं वे। जिस तरह के थे, उसी तरह की कार्यवाही उन पर हुई है।

एक माननीय सदस्य—क्या सरकार को पता है कि दूसरी जगहों से भी मेव आकर हमारे मेवात में बसे हुए हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—कहाँ से ?

एक माननीय सदस्य—जैसे गुड़गांव और यू० पी० से।

श्री अमृतलाल यादव—सरकार के पास ऐसी सूचना तो नहीं है। अगर माननीय सदस्य ने जानकारी दी है तो पता करेंगे।

एक माननीय सदस्य—क्या सरकार इसकी जानकारी करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव—जरूर।

श्री सरदारसिंह—जो जमीनें मेवों को एलॉट की गई हैं उन पर मेवों को क्या हक है ?

श्री अध्यक्ष—Not clear.

श्री सरदारसिंह—जो जमीनें मेवों को एलॉट की गई हैं उन पर उनको क्या हकूक, राइट्स दिये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—खेती करने के हकूक दिये गये हैं।

श्री सरदारसिंह—क्या उनको बिश्वेदारी राइट्स दिये हैं, जैसे कि पहले थे ?

श्री अमृतलाल यादव—नहीं, वे अब दिये नही जा सकते।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह सही है कि हरिजनों से जमीनें छीन कर मेवों को दी जा रही हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री मोहम्मद इब्राहिम मौलाना—उनको बिश्वेदारी राइट्स अभी तक क्यों नहीं दिये

[श्री मोहम्मद इब्राहीम मौलाना]

गये ? जब कि पंजाब में उनको विश्वेदारी राइट्स दे दिये गये हैं, तो राजस्थान में उनको ये हकूक क्यों नहीं दिए गए हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—मेरे माननीय सदस्य को मालूम है और जो-जो कान्फ्रेन्सेज़ राजस्थान में मेवों के सिलसिले में हुई, और जो-जो कार्यवाही इस सम्बन्ध में हुई है उनमें वे मौजूद थे और उनको मालूम है कि पंजाब की स्थिति से राजस्थान की स्थिति भिन्न है। राजस्थान में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पोलिसी के माफिक ही मेवों को बसाया गया है। मेवों के लिये पोलिसीज़ अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग हैं।

श्री मोहम्मद इब्राहिम मौलाना—पंजाब और राजस्थान की स्थिति में क्या फर्क है ? पंजाब के रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर ने कोशिश करके मेवों को वह हकूक दे दिये।

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं, पंजाब में जो उनको जमीनें दी गई थीं उस वक्त राजस्थान से भिन्न पोलिसी के माफिक सेटलमेंट किया गया और मेवों को तथा और रिफ्यूजीज़ को समान रूप से उसी तरह जमीनें दीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह सही है कि मेवों को और दूसरे लोगों से ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं।

श्री अमृतलाल यादव—जो सुविधाएं होती हैं वे सब नागरिकों को समान रूप से दी जाती हैं; मेवों को भी वही सुविधाएं दी हुई हैं, क्योंकि सरकार मेवों को भी वैसा ही नागरिक समझती है जिस प्रकार कि और नागरिकों को।

एक माननीय सदस्य—क्या सरकार ने मेवों को इतने अधिकार दे रखे हैं कि हरिजनों को कत्ल करते रहें ? इस तरह के दो-तीन कत्ल हो चुके हैं।

श्री अमृतलाल यादव—कत्ल के मुकद्दमे अदालत में चलते हैं। यह फैसला मैं नहीं बल्कि अदालत देगी कि कत्ल मेवों ने किया या किसने किया।

श्री मोहम्मद इब्राहिम मौलाना—क्या माननीय मन्त्री साहब को पता है कि मेवों को ८-८ जगह १०-१० माइल के फासले पर जमीनें दी गई हैं, वहां वह किस तरह काश्त कर सकता है ?

श्री अमृतलाल यादव—मेवों को किसी ने बेदखल नहीं किया था, वे अपनी मर्जी से जमीनें छोड़ कर चले गये थे। अब वापिस आये तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि उनको जमीनें दे सरकार ने यह तय किया कि १० मील के रेडियस में उन्हें जमीनें दी जायंगी, वह

Page No.20

[श्री अमृतलाल यादव]

माननीय सदस्य को मालूम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर से बसाने के लिये १८००० मेवों की जो लिस्ट थी उनमें सरकार १७००० मेवों को बसा चुकी है और जो एक हजार बाकी हैं उनको भी शीघ्र ही बसा देगी।

श्री मोहम्मद इब्राहिम मौलाना—मैं बता दूं कि १५००० मेव ऐसे हैं जो आपकी मर्दुमशुमारी की लिस्ट में हैं और उन्हें अभी तक नहीं बसाया गया है। मेव खुद नहीं गये बल्कि बंदूकों और मशीनों के जरिये से निकाले गये थे। आप गलत तरीके से हाउस को इत्तला दे रहे है।

श्री अमृतलाल यादव—मेरे माननीय दोस्त गरम न हों और ठंडे दिल से प्रश्न पूछें ताके मैं सुन सकूं और उत्तर दे सकूं।

श्री मोहम्मद इब्राहिम मौलाना—अभी मैं क्या गरम हुआ था ?

श्री अध्यक्ष—I will not allow repetition. The Minister must be attentive.

श्री अमृतलाल यादव—No, Sir. I am attentive.

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या १००७

मेडिकल कॉलेज होस्टल (जयपुर) की ऊंची दीवारें व दरवाजे बनवाना

श्री अवनकुमार मुकर्जी—Will the Minister-in-charge of Medical and Public Health Department be pleased to state :—

Whether it is a fact that there are neither high walls nor any gates in the Medical College Hostel on the Sawai Man Singh Highway with the result that the hostellers manage to remain away from the hostel beyond the prescribed hours. If it is so, why should not immediate arrangements be made for providing walls and gates at the Medical College Hostel ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह सही है कि मेडीकल कालेज होस्टल की दीवारें ऊंची नहीं है और दरवाजा भी नहीं है, किन्तु यह सही नहीं है कि इसमें विद्यार्थी साधारणतया निर्धारित समय के पश्चात् होस्टल से बाहर रहते हैं। फिर भी किसी-किसी केस में ऐसा हो सकता है।

मेडीकल कॉलेज होस्टल के चारों ओर दीवार को ऊँचा करना एवं फाटक लगाना जरूरी नहीं लगता, तदापि होस्टल के विद्यार्थियों पर उचित नियन्त्रण रखने के लिए व्यवस्था की जा रही

Page No.21

[श्री कुम्भाराम आर्य]

है। ग्राउन्ड फ्लोर के सामने वाले ब्लॉक पर केवल हाउस सर्जन व रजिस्ट्रार रखे जायेंगे। व पहली छत पर व ग्राउण्ड फ्लोर की पिछली तरफ विद्यार्थी छत पर जाने वाली सीढ़ी का बड़ा दरवाजा लगेगा जिसको बन्द करने से आवागमन पर नियन्त्रण हो जायेगा।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—कब तक यह व्यवस्था करदी जायगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—शीघ्र ही।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—(उत्तर न सुनने के कारण) कब तक यह व्यवस्था करदी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—You are conversant with all the **Sidhis (stairs)** and all these things ?

(हँसी)

श्री कुम्भाराम आर्य—सदस्य महोदय को दुबारा प्रश्न करने की नौबत नहीं आएगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १००८

जुडिशियल ऑफिसर्स की सूचियों का ग्रुपवाइज़ पुनर्विलोकन

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Law Minister be pleased to answer :—

(a) It is a fact that the list of Judicial Officers is proposed to be revised groupwise ?

(b) What were the circumstances that necessitated this step ?

(c) What are the reasons for revising the list of Judicial Officers groupwise and why not the whole of it is to be revised ?

(d) Will the Government lay on the table the list of S. D. Ms. made District and Session Judges ?

(e) What were the reasons for giving these S. D. Ms. this promotion ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(a) Yes. The seniority of officers is under examination.

(b) This step has been taken with a view to correcting mistakes, if

[श्री जयनारायण व्यास]

any, specially factual mistakes, as the Government received a number of representations from judicial officers.

(c) The answer to the first part of this question is the same as to (b) above. As regards the second part of the question, the selection which was made by a Selection Board appointed by the Government and its recommendations endorsed by the Public Service Commission, has not been considered faulty.

(d) and (e)—Do not arise in view of the reply to (c) above.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Why do they not arise ? They do arise, whether the Government considers it desirable to revise the list or not ? Factual information has been sought and how that can be denied ? The question is—Will the Government lay on the Table the list of S. D. Ms. made District and Sessions Judges ?

श्री जयनारायण व्यास—No S. D. M. has been made Dictrict and Sesions Judge. Therefore the question does not arise.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a fact that many persons who were substantively enjoying the position of the District and Sessions Judges have not been selected now for that post ?

श्री जयनारायण व्यास— It may be a fact.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is a fact that some persons who were S. D. Ms. have been selected as District and Sessions Judges ?

श्री जयनारायण व्यास—No S. D. M. has been made District and Sessiions Judge, I have said before.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a fact that in regard to the selection of District and Sessions Judges a revised cricular was issued by the Rajasthan Government ?

श्री जयनारायण व्यास—I have said in reply to the question that some objections were raised and the matter is being examined group-wise.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No......

Page No.23

श्री घीसीसिंह—क्या यह हिन्दी जानने वालों से प्राइवेट रखने लायक बातचीत हो रही है ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मि० गुट्टू, डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज, जयपुर, अपनी प्रेज़ेन्ट पोस्ट से पहले क्या थे ?

श्री जयनारायण व्यास—मि० गुट्टू अभी ओफिशियेट कर रहे हैं, सब्स्टेन्टिव पोस्ट पर नहीं हैं ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—क्या वे पहले आर. ए. एस. में नहीं थे ?

श्री जयनारायण व्यास—वे आर. ए. एस. में थे और जुडिसियरी में लिए गये हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि पहले आर. ए. एस. को जुडिशियरी में लेने का प्रश्न उठा तो सरकार ने आर. ए. एस. को जुडिसियरी में लेने से इन्कार कर दिया ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार ने आर. ए. एस. को जुडिसियरी में नहीं लेने का विचार किया था लेकिन बाद में इस पर और विचार किया और हाई कोर्ट की सलाह से वापिस ले लिया और अब कोई एप्लाई करें तो उन्हें लिया जा सकता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कुछ जगहें खाली होने पर फिर सरकार ने, सिलेक्शन का जब वक्त आया तो सिलेक्शन के लिए नई क्वालिफिकेशन्स रख दीं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सही नहीं मालूम पड़ता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजपत्र में जिन लोगों को पहले एलिजिबल (eligible) नहीं किया था उन लोगों को बाद में एलिजिबल कर लिया ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि प्रश्नकर्त्ता को कुछ गलतफहमी समझने में रह गई है । जो पहले एलिजिबल नहीं हो सकते थे उनको एलिजिबल नहीं किया परन्तु पहले आर. ए. एस. वालों को जुडिशियरी में जाने की इजाजत नहीं थी लेकिन जब जुडिशियरी में ज्यादा जगह हो गई और हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो लोग एलिजिबल होने के लायक हैं और हो सकते हैं उनको लिया जावे, अतः इस पर पुनः विचार करके ऐसा किया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसमें गवर्नमेंट एडवोकेट भी शामिल था ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न है और अलग प्रश्न पूछे जाने पर इसका जवाब दिया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सेकण्ड सिलेक्शन के समय गवर्नमेंट एडवोकेट का नाम एड किया, यह बात सही है।

श्री जयनारायण व्यास—गवर्नमेंट एडवोकेट का अलग प्रश्न है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सेकन्ड सिलेक्शन के समय की लिस्ट संशोधित लिस्ट में......

श्री जयनारायण व्यास—यह सूचना दी जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि प्रूवाइज़ विचार किये जाने के बजाय सारी लिस्ट पर फिर से विचार किया जावे?

श्री जयनारायण व्यास——जी नहीं।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है—

श्री केसरी सिंह (वि०सं० ७५) दिनांक २ जून से ६ जून, १६५४ तक

श्री तेजराजसिंह (वि०सं० १५०) दिनांक ३ जून से ६ जून, १६५४ तक

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान भूमि-सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १६५४

(क्रम में-विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—अब हम राजस्थान लेन्ड रिफोर्मस् एन्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर (अमेन्डमेंट) बिल, १६५४ पर वाद-विवाद, जो अधूरा रह गया था उसे लेंगे।

प्रक्रिया की नियमावली में संशोधन सम्बन्धी

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, अगर आपका आदेश हो तो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह कि जो कार्यवाही कई दिनों से स्थगित की गई है; कल हाउस फिर मिल जाए तो जैसे रूल्स ऑफ प्रोसिजर में एक रूल जोड़ने का मोशन है और प्रिविलेज मोशन......

श्री अध्यक्ष—As regards the privilege motion you had a talk with me and I told you that we are getting the proceedings from U.P.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—I had a talk with you, of course, but I am not aware of what you had said about U P.; I do not know about that.

(विराम)

रूल्स ऑफ प्रोसिजर में और कुछ बढ़ाने का मोशन था उस पर वाद-विवाद होने की बात कब ली जावेगी ताकि सदस्य अपना प्रोग्राम उसके माफिक बनावें। सब को मालूम हो जावे कि वह प्रश्न कब लिया जाने वाला है।

राजस्थान भूमि-सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक १६५४ (पूर्व क्रम से)

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान लेन्ड रिफोर्म्स एन्ड रिज़म्शन ऑफ जागीर्स (एमेन्डमेंट) बिल, १६५४ के बारे में बोलते हुए कल मैंने कुछ बातों की तरफ संकेत किया। कल ६ बजे जिस बात की तरफ मैं संकेत कर रहा था वह जागीरदार और उनके आश्रित जो लोग हैं उनके रिहेबिलिटेशन के बारे में था। इस बात के लिये कोई भी आदमी इन्कार नहीं कर सकता है कि जागीरदार लोग और उनके आश्रित या उनके नीचे काम करने वाले जो कई प्रकार से इनसे संबन्धित लोग हैं उनको सरकार किस प्रकार से रिहेबिलीटेट करेगी, इस बात की यह बिल कतई पूर्ति नहीं करता।

सरकार एक तरफ यह कहती है कि जागीरदारी उन्मूलन जब तक नहीं होगा तब तक किसानों को राहत नहीं मिलेगी। किसानों को ऊंचा उठाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है परन्तु साथ ही सरकार को दूसरी ओर यह भी सोचना चाहिये कि जागीरदार के आश्रित जो लोग हैं वे एक प्रकार से बेघर-बार, बे रोजगार हो जायेंगे और सरकार को उन्हें रिहेबिलीटेट करने के लिये कोई कदम उठाना चाहिये। अगर इस प्रकार की कोई कार्यवाही सरकार नहीं करेगी तो माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहूँगा कि काश्तकार का भला होने के साथ-साथ राजस्थान के राजपूत जाति के एक बड़े तबके को इतना नुकसान होगा कि उनमें बेकारी फैलेगी और भुखमरी फैलेगी और उसका न मालूम क्या-क्या परिणाम होगा। इसलिये कल भी मैं निवेदन कर रहा था और आज भी निवेदन करूंगा कि इन लोगों के लिये नौकरियों का कुछ न कुछ इन्तजाम करना चाहिये। सरकार

[श्री मानसिंह मझार]

को इन लोगों को, मिलिट्री या आर०ए०सी० की नई भर्ती ली जावेगी उसमें प्रोविजन करनी चाहिये। अगर इस प्रकार की बात नहीं की गई तो इस तबके के साथ बहुत भारी अन्याय होगा।

इसके बाद कल मेरे एक मित्र ने यह फरमाया कि जागीरदारी उन्मूलन के विषय में जो मुआवजा दिया जा रहा है उसके बारे में सौराष्ट्र की मिसाल दी गई किन्तु काश्मीर की मिसाल नहीं दी गई। माननीय अध्यक्ष, इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि काश्मीर में जो जागीरदारी उन्मूलन बिना मुआवजे के हुआ है उसका विशेष कारण था। इसका यह कारण था कि काश्मीर में जो जागीरदार लोग हैं वे हिन्दू थे और वहां का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान था जिसने भारत के विधान की भी परवाह नहीं करते हुए ऐसा किया। उन्होंने काश्मीर में ऐसा कोम्युनल फीलिंग के कारण किया। इसलिये मैं यह कहूँगा कि मेरे मित्र ने, इस बात को जानते हुए भी इसकी तरफ इशारा किया है; उनका मुख्य कारण जो हैं वह यह कि अगर जागीरदारों की जागीरें बिना मुआवजे के सरकार ले ले और उनको बेरोजगार कर दे तो उनकी पार्टी को बढ़ावा मिले, लोग उनकी पार्टी की शरण में जावें और उनको इस प्रकार का अपना जाल डालने में लाभ हो सके।

(हंसी)

इसलिए मैं समझता हूँ कि काश्मीर की मिसाल केवल एक भुलावा मात्र थी।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूँ कि इस जागीरदारी उन्मूलन के जिस समझौते के बारे में बहुत कुछ कहा-सुना गया है कि यह समझौता इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से हुआ; इसके लिए मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि इस समझौते के बारे में एक बड़ी भारी कमी रही है कि आम राजपूतों का इस समझौते के बीच में कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं है। उसकी मिसाल आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ। राजस्थान क्षत्रिय महासभा को एक अंग उदयपुर में है और उसकी कोई राय नहीं ली गई। राजस्थान क्षत्रिय महासभा के इस एक्शन को उदयपुर वालों ने बिलकुल डिसरिगार्ड (disregard) किया और कहा है कि क्षत्रिय महासभा ने जो कुछ किया है वह बिलकुल गलत है। दूसरी चीज यह है कि जयपुर की राजपूत सभा में भी यही कहा है कि सही माने में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, इस समझौते की बातचीत का विरोध करना चाहिये। लेकिन आप राजपूत सभा, जयपुर ले लीजिये या उदयपुर की राजपूत सभा को ले लीजिये या क्षत्रिय महासभा ले लीजिये, ये तीनों बोडीज़ कोम्युनल बोडीज़ हैं......

और इन कॉम्युनल बोडीज़ से सरकार का बातचीत करना मैं उचित नहीं मानता हूँ।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'हियर-हियर')

सरकार को यह चाहिये था कि वह राजस्थान के जागीरदारों का और लेन्ड होल्डर्स का एक कन्वेन्शन बुलाती और कन्वेन्शन बुलाकर उनके रिप्रेजेन्टिटिव जिनको कि वे चुन कर भेजते अगर

[श्री मानसिंह महार]

उनसे सरकार बातचीत करती तो आज जो बातें हो रही हैं वे हमारे सामने नहीं आतीं। मैं यह मानता हूँ कि उन निगोशियेशन्स की वजह से जो समझौता हुआ है उससे राजस्थान के लेन्ड होल्डर्स के एक बड़े तबके को संतोष है लेकिन फिर भी इधर उधर जो असन्तोष है अगर इस प्रकार की कार्यवाही होती तो यह दूर हो सकता था। इसका एक नमूना मैं सदन के सामने और रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने यह प्रश्न उठाया था कि बातचीत करने के लिए राजस्थान क्षत्रिय महासभा के जो नुमाइन्दे थे उनमें बहुमत कहिये या कम्पलीट रिप्रेजेन्टेशन कहिये, बड़े जागीरदारों का था। मैं अपनी इस बात की पुष्टि में यह बात रखूंगा कि राजस्थान क्षत्रिय महासभा के जो प्रेसिडेन्ट हैं वे एक बड़े योग्य आदमी हैं इसमें कोई शंका नहीं लेकिन वे इस सदन के मेम्बर भी हैं।

("नाम बता दीजिये" इस प्रकार की राज्य पक्ष की ओर से आवाज)

वे लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन की बायीं तरफ बैठे हैं, आप देख सकते हैं।

(हंसी)

लेकिन उन्होंने उन नेगोशियेशन्स में किसी प्रकार का कोई भाग नहीं लिया। नैनीताल का दौड़-धूप हुई, दिल्ली में जो दौड़-धूप हुई या इधर उधर जाना हुआ तो वे एक मूक स्पेक्टेटर की तरह रहे और जो वाइस प्रेसीडेन्ट साहब हैं जो कि एक बड़े जागीरदार हैं उन्होंने प्रेसिडेन्ट का काम किया है। यह नमूना है कि इन निगोशियेशन्स में छोटे जागीरदारों की ओर से कम ध्यान दिया गया। यदि वहाँ अध्यक्ष महोदय, छोटे जागीरदारों के लिए कोई जबान खोलता था तो उसको इस प्रकार से मजबूर किया जाता था कि वह उस बाड़े में न रह सके तो ऐसी सूरत में......

("आप भी इस प्रकार थे" ऐसी सदन में आवाज)

मैं भी इस वजह से, मेरे मित्रों ने सही फरमाया है कि साल भर पहले क्षत्रिय महासभा से इस्तीफा दे चुका था, यह कह कर कि क्षत्रिय महासभा छोटे जागीरदारों के लिए कुछ नहीं कर रही है और कम्पेन्सेशन के लिए यह और ही कुछ जो निगोशियेशन्स कर रही है यह बड़े जागीरदारों के लिए कर रही है और छोटे जागीरदारों के खुदकाश्त के मसले को ठीक ढंग से हल नहीं कर रही है।

श्री **कपिलदेव अग्रवाल**—आप तो निकाले गये थे, ऐसा सुनने में आया था।

(हंसी)

श्री मानसिंह महार—निकाल दिया गया, ऐसा समझ लीजिये। छोटे राजपूतों के रिप्रेजेन्टेशन के लिए अगर निकाल ही दिया जाऊं तो मैं उसको ओनर ही समझूंगा, डिस ओनर नहीं।

(हंसी)

[श्री मानसिंह महार]

तो मैं सदन को कहना चाहता हूँ कि उन नेगोशियेशन्स में कुछ अच्छाइयाँ हैं और उनके होते हुए भी आम जागीरदारों की यह शिकायत जरूर है कि हमारा रिप्रेजेन्टेशन नहीं हुआ है। अभी नैनीताल में जो आखिरी डेपुटेशन गया था उसमें एक दो आदमियों को पन्तजी के पास जरूर ले जाया गया था कि वे छोटे राजपूतों के नुमाइन्दे हैं किन्तु दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ेगा कि वे ऐसे आदमी थे कि वे उस गुट्ट के कोई मामू थे, तो उस गुट्ट के आदमियों के यहाँ सर्विस में थे और मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उनका (छोटे जागीरदारों) सही माने में रिप्रेजेन्टेशन हुआ हो।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—Perhaps the bullets are exhausted.

श्री मानसिंह महार—तो क्षत्रिय महासभा की ओर से......

डिस्टर्ब करते हैं।

श्री अध्यक्ष—Then I call you to order.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, इस जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट के अन्दर जो खुदकाश्त का प्रोविजन है उसमें छोटे जागीरदारों के लिए कम से कम यह होना अवश्य जरूरी था कि जहाँ पर छोटे जागीरदारों के खुद की बनाई हुई कोठी हो तो वहाँ पर कम जमीन उसको दिलाई जाय। यह एक बहुत जरूरी चीज़ थी। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक व्यक्ति के दो भाई थे। उनमें से एक भाई ने तो अपने गाँव में अपनी जमीन पर तीन हजार रुपये लगा कर एक कुआ बंधाया। दूसरे भाई ने जो उसके हिस्से में तीन हजार रुपये आये थे उन रुपयों से जयपुर शहर के अन्दर जाकर एक मकान खरीदा। इससे यह नतीजा हुआ कि जिस बेचारे ने गाँव के अन्दर तीन हजार रुपये लगा कर कोठी बनाई और अपनी जमीन की चाही बना कर खेती कराई वह इस जागीरदारी उन्मूलन के बाद एक तरह से बिलकुल बेकार सी हो जाती है। उसके पास और किसी प्रकार की आमदनी का जरिया नहीं रहता है। उधर जिस भाई ने तीन हजार रुपये लगा कर मकान खरीदा था उसको उसके जरिये से आमदनी अभी भी चालू रहेगी। तो इस प्रकार कोठियों का जो मसला हल किया गया है उसमें भी पक्षपात जरूर हुआ है। इस प्रकार का जो पक्षपात है उसके बारे में सरकार को अवश्य सोचना चाहिए क्योंकि छोटे राजपूतों ने उनकी जो आमदनी थी, उनकी जो पूंजी थी उसको कोठियों में लगाया, उन्होंने खेतों को आमदनी के लिए चाही बनाने में पैसा खर्च किया और उन्होंने भिन्न-भिन्न रूप से यह समझा कि यह फायदा होगा, वह फायदा होगा; लेकिन अब इस जागीरदारी उन्मूलन के बाद कोठियों में पैसा लगाने के बावजूद भी मुआवजे के बाद एक भाई को तो किराया मकान तक का भी आता रहेगा और उनको उन कोठियों से कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की जो चीज है, इस प्रकार की जो खामियां हैं उनकी ओर

Page No.29

[श्री मानसिंह मझार]

सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मैं यह बात कह कर सदन से अपील करूंगा कि साम्यवादी मित्र ने जो बातें कही हैं उनकी ओर कतई ध्यान न देते हुए जो छोटी-मोटी खामियाँ बताई गई हैं उनको पूरा करके, इसको जल्दी से जल्दी पास करें।

श्री अध्यक्ष—Should I fix the time-limit of speeches ? 15 minutes ?

एक माननीय सदस्य—No, Sir.

श्री अध्यक्ष—Then I want to know how many days will be required on the discussion of the principle, at least the time which the House wants.

श्री मथुरादास माथुर—I think we will finish today.

श्री अध्यक्ष—The number of speakers I want to know.

श्री मथुरादास माथुर—We have given a list already from this side. There are something like 15.

श्री अध्यक्ष—On that side ? (विराम) I tentatively fix 15 minutes to 20 minutes and the Hon'ble Members must......

श्री चाँदमल मेहता—अगर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो ऐड कर लिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर—We are prepared to reduce even two names.

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)—अगर यह डिबेट कल और परसों चलाई जाय तो क्या हर्ज है ? यह इम्पोर्टेन्ट बिल है।

एक माननीय सदस्य—Tomorrow we should meet in the morning ?

श्री अध्यक्ष—I have no objection. Then too I will like to know the time-limit. The time limit must be there. I cannot allow the Members to go on indefinitely. They may take 20 minutes, half an hour, 15 minutes; but the limit must be there.

श्री गोपीलाल यादव—Half an hour with discretion to extend, discretion of the Chair to extend.

श्री अध्यक्ष—The discretion is always with me.

राजा श्री मानसिंह—On a point of order, Sir, there is no need to fix the time-limit.

श्री मथुरादास माथुर—I think 20 minutes will do, half an hour will not be necessary.

श्री अध्यक्ष--It will depend on the subject-matter which the Member gives to the House.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं राजा श्री मानसिंहजी ने जो प्रस्ताव इस अमेन्डेड बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का रखा है उसका समर्थन करता हूँ और कुछ जरूरी बातें बता देना चाहता हूँ जिसकी वजह से यह निहायत जरूरी है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाय।

सबसे पहली चीज तो इसमें यह है कि यह अमेन्डिंग बिल खुद एक पूरा बिल के बराबर है, करीब-करीब पुराने बिल की सारी धारायें इसके द्वारा चेन्ज की गई हैं। इसके अतिरिक्त नये सेक्शन्स भी जोड़े गये हैं। अमेन्डिंग बिल को समझना, मैं यह समझता हूँ कि तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक कि नये बिल की तमाम चीजों को शुरू से आखिर तक लिख न दिया जाय। आमतौर पर पालियामेन्ट में जहाँ भी कहीं सिलेक्ट कमेटी द्वारा अगर कुछ अमेंडमेन्ट्स ज्यादा हो जाँय तो हाउस के सामने जब वह बिल आता है तो उसको रीप्रिन्ट किया जाता है ताकि समझ में ठीक ढंग से आ सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि अमेन्डिंग बिल को रीप्रिन्ट कर देना चाहिये, हरेक अमेंडमेंट के साथ में ताकि यह पता चल सके कि अमेंडमेन्ट को एड करने के बाद में बिल किस तरह से रीड होगा, यह भी आसानी से पता चल सके। कई लोग जो हिन्दी में समझ सकते हैं अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनके लिए इसका हिन्दी प्रिन्ट होना जरूरी है, ताकि वे इस महत्वपूर्ण बिल पर अपनी राय दे सकें। इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि अगर इस महत्वपूर्ण बिल को सिलेक्ट कमेटी में नहीं रखा जायगा ....

श्री अध्यक्ष—I may inform the Hon'ble Members that Hindi copies of the Bill are available in the Notice Office. Any Member may take it from the Notice Office.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा--Only amendment.

श्री अध्यक्ष—Amendment and the original both.

श्री गोपीलाल यादव—(अपना भाषण जारी रखते हुए)-अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मैं निवेदन कर रहा था कि ओरिजिनल बिल और अमेंडमेंट्स दोनों एक साथ हों। दोनों की मिली हुई शक्ल हमारे सामने हो ताकि हम लोग उसको अच्छी तरह समझ सकें।

श्री जयनारायण व्यास—आप दोनों को मिलाकर पढ़ सकते हैं।

श्री गोपीलाल यादव—(अपना भाषण जारी रखते हुए)–दोनों को मिलाकर पढ़ने की बात कही है, इससे तो यह ठीक होगा कि दोनों को मिला कर किताब लिख डालिये हम लोगों को बैठकर लिखना पड़ेगा।

लेजिस्लेशन का सबसे इम्पोर्टेन्ट सिद्धान्त जो है वह यह है कि जो कोई भी इम्पोर्टेन्ट लेजिस्लेशन हो वह सिलेक्ट कमेटी से गुजरे। यहाँ तक भी होता है कि सारा हाउस सिलेक्ट कमेटी बनकर उस पर विचार करे, किन्तु इस प्रकार के रूल्स हमारे यहाँ नहीं, किन्तु यह एक कनवेन्शन की तौर पर हो सकता है बजाय इसके कि १०-१५ आदमियों की सिलेक्ट कमेटी बने, इसके लिए सारा हाउस सिलेक्ट कमेटी के रूप में कार्य करे जो १०, १२ दिन एक साथ बैठकर इस पर विचार कर ले। इसकी आवश्यकता इसलिए है, मैं निवेदन करूँ कि मुझे कुछ सिलेक्ट कमेटीज़ में काम करने का तजुर्बा है। इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी में दोनों तरफ के आदमी और किसी व्हिप के काम करते हैं, अपने कोन्शयन्स के मुताबिक ईमानदारी से अपनी राय देते हैं, जो हाउस में आज तक कभी देखने में नहीं आया। यहाँ हाउस में लोगों की आत्मा को मसोसना पड़ता है, लोगों को व्हिप इश्यू कर दिया जाता है। पब्लिक की सही राय मालूम हो, यह तभी हो सकता है जब हरेक खास तौर से इम्पोर्टेन्ट बिल सिलेक्ट कमेटी के पास जायें। मैं हाउस के लीडर और माननीय राजस्व मन्त्री, जो इस बिल को पाइलॉट कर रहे हैं निवेदन करूँगा कि वे इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के संशोधन को स्वीकार कर लें। इसमें किसी प्रकार भी देरी का सवाल नहीं होगा। सिलेक्ट कमेटी, मैं समझता हूँ कि एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दे। जब कि हम जागीरें रिज़्यूम नहीं कर रहे हैं जागीरों को वैसी ही छोड़ रहे हैं हमेशा के लिए जागीरदारों के हाथों में, जैसी कि इस बिल की मन्शा है, तो सिलेक्ट कमेटी में यदि इसके लिए १०-१५ दिन लग भी जायें तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं यह इसलिये कह रहा हूँ कि इस बिल के द्वारा हम जागीरों को हमेशा के लिए कायम रख रहे हैं। मैं आपके सामने इस बिल का क्लॉज़ बताऊँगा जिनके ज़रिये आपको पता चलेगा कि जागीरी रिज़म्प्शन एक मात्र बहाना है, जागीर रिज़्यूम की जाने वाली नहीं। अब तक कई साल हो गये रिज़्यूम करते-करते, आगे भी कई सालों का प्रोवीजन इस बिल के अन्दर मौजूद है इसमें लिखा है जैसा कि मैं पहले निवेदन करूँ।

Clause 8. "**Amount of land revenue payable**—The land revenue payable by a jagirdar in respect of his jagir lands shall be :–

(a) for the agricultural year 1951-52 an amount equal to the amount of tribute payable by him to the Government for that year;"

फिर इसके बाद चलता है :

"(c) for the agricultural year 1957-58 and subsequent years, one-fourth of the rental income from the jagir lands as determined under section 6 and 7:"

[श्री गोपीलाल यादव]

इसके मुताबिक सन् ५७, ५८ और उसके बाद इतना लेंगे और इसके बाद जागीरदार लेन्ड रेवेन्यु इतनी देंगे। इसके अन्दर साफ दिया हुआ है कि कम से कम १० साल तक जागीरदारों के हाथ जागीरें छोड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त पंत रिपोर्ट में यही दिया हुआ है कि दो साल से लेकर पाँच साल तक कम से कम इस प्रथा को समाप्ति पर लगाना है। माननीय अध्यक्ष, मैं नहीं समझता कि हिटलर ने आस्ट्रेलिया पर हमला किया और एक ही दिन में सारे पर कब्जा कर लिया और उसने हरेक दफतर में अपने आदमी बिठा दिये। उसी तरह हमारे यहाँ सरदार पटेल ने राजस्थान का एकीकरण किया एक दिन के अन्दर और राजस्थान बना दिया, एक रात के अन्दर मत्स्य का फोर्मेशन हो गया। किन्तु हमारे राजस्थान के ये मन्त्रीगण जिन्होंने दो साल का समय इसकी समाप्ति पर लगा दिया और अब भी हमको जागीरें लेने में पाँच साल का अरसा लगेगा; मैं तो यह कह सकता हूँ माननीय मित्र दस साल में भी जागीरें ले नहीं सकते। मैं उनको बताता हूँ कि जागीरें १० दिन में खत्म कर सकते हैं, अगर ११ वां दिन लग जाय या किसी प्रकार की अशान्ति या गड़बड़ हो जाय तो आप मुझे फाँसी लगा दीजिये...

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)--माननीय मित्र मत्स्य के मिनिस्टर रह चुके हैं, और वे अपने मन्त्री-काल में वहाँ इन्टीग्रेशन का काम भी समाप्त नहीं कर सके।

श्री गोपीलाल यादव—(अपना भाषण जारी रखते हुए)–मेरे मित्र को मैं कह रहा था जागीरें खत्म करने के लिए। आप यदि जागीरों को रिज़्यूम करना चाहते हैं तो एकदम जागीरों पर अपना कब्जा कर डालिये, कोई दिक्कत पेश होने वाली नहीं। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस बिल के सिद्धान्तों में सब से मोटी चीज जो खटकने वाली है वह कम्पेन्सेशन देने की नहीं, बल्कि कम्पेन्सेशन के सिद्धान्त को मानने की है। आप जागीरदारों को रिहेबीलिटेशन ग्रान्ट के तौर पर हजार गुना दीजिये, यदि उनको जरूरत हो तो? क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि जिस तरह फौज से जो भाई आ रहे हैं उनको रिहेबीलिटेशन करने के लिए हम जमीन दे रहे हैं, उसी तरह कुछ जागीरदार जो ऐसे हों, जिन्होंने फौज में सर्विस की हो या दूसरे प्रकार की सेवा की हो अपने जमाने में उसी प्रकार उनको जरूर रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दीजिये। "जागीरी" शब्द की वजह से जागीरदारों के तबके से दुश्मनी नहीं, बल्कि हमें यह देखना है कि क्या वास्तव में उन्हें रिहेबीलिटेशन ग्रान्ट की आवश्यकता है या नहीं। अगर आवश्यकता है तो जरूर दीजिये, लेकिन देते वक्त जरूर यह देखिए कि उनके घर में कितना माल है, उनके पास कितना रुपया पैसा या जायदाद है? अगर किसी जागीरदार के पास १५-२० लाख या १ लाख रुपया मौजूद है तो उसको रिहेबीलिटेशन ग्रान्ट देने की क्या आवश्यकता है? पंत रिपोर्ट में भी यह माना है और जितने भी स्टेट ग्रान्ट एक्ट्स हैं राजस्थान के उन सब में यह चीज दी हुई है कि जागीरें किसी जागीरदार की मिल्कियत नहीं। जागीरें कुछ सेवाओं के बदले या किसी कारण से राजाओं की तरफ से दी गई हैं ताकि वे अपने काम को चला सकें। राजा और गवर्नमेंट किसी भी टाइम पर किसी जागीर को ले सकते हैं।

[श्री गोपीलाल यादव]

और आज तक जितनी जागीरें पिछले राजाओं के जमाने में ली गई कभी भी एक पैसा कम्पेन्सेशन का नहीं दिया गया। जागीरों के लिए कभी कम्पेन्सेशन का सवाल न तो पैदा हुआ और न हो सकता है। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि एक तो यह बड़ी बुरी बात है। इसमें से कम्पेन्सेशन को तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह उनको मिल्कियत नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मुआवजा देना है कस्टम्स वगैरह का, जो कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है इसमें वह कस्टम्स वगैरह की आमदनी भी शामिल की जावेगी तो क्या कभी कस्टम्स ड्यूटी भी किसी आदमी की मिल्कियत होती है ? अभी राजस्थान की स्टेट कस्टम्स ड्यूटी लगा रही है, वह आगे बन्द करनी है। पर वह किस लिए है कुछ इन्कम पैदा करने के लिए, टैक्स लेने के लिए ताकि वह पैसा वापस उन्हीं की भलाई में, जनता की ही भलाई में लगाया जावे; उसीसे स्कूल, सड़क, अस्पताल, पुलिस आदि के महकमे रक्खेगी सरकार, इसके लिए इस पैसे की जरूरत है उसे। इस पैसे को डाइरेक्टली वसूल करने के लिए यह कस्टम लगाया गया है। अब हम यह करते हैं कि इसका भी कम्पेन्सेशन दे रहे हैं जागीरदारों को। यह कौनसा सिद्धान्त है, यह मेरी समझ में नहीं आया ? कस्टम्स कैसे उनकी प्राइवेट मिल्कियत हो गई ? ये दोनों सिद्धान्त कि कस्टम्स वगैरह के सीगे उसमें शामिल करना, कम्पेन्सेशन उसमें देना और 'कम्पेन्सेशन' शब्द इसमें रखना, इनका मैं सख्त विरोध करता हूँ।

इसके अलावा इसमें जो चीजें रक्खी गई हैं वे खासतौर से विचारने की हैं। लैण्ड रेवेन्यू जागीरदार से कितना लिया जावेगा ? इस अर्से में जब तक कि ये जागीरें जागीरदारों के पास रहती हैं, जिसमें आठ-दस साल का पीरियड का तो प्रोवीजन है और वह लिया जावेगा आठवां हिस्सा, उनका जो रेन्टल ड्यू है उसका १/८। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भरतपुर-अलवर के लिए और अब शायद किसी दूसरे इलाके में भी है इसे हाईकोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया था। तो दुबारा इस हाउस से पास किया कि कोई लैन्ड होल्डर दूसरे हिस्से से ज्यादा नहीं ले सकता है। इस धारा में क्या है, एक सरकार का और एक हिस्सा लैन्ड होल्डर का। पर हम यह कितनी रियायत दे रहे हैं इन जागीरदारों को ? हमने १/८ ही माना है इसमें और बाकी ७/८ हिस्सा जागीरदार को छोड़ेंगे। यहाँ जागीरदार को लेन्ड लोर्ड के मुकाबले में रक्खा जावे तो उसे अपने किसान से सारे लगान का आठवां हिस्सा लेने का अधिकार है, जिसका आठवां हिस्सा वह सरकार को दे और बाकी ७/८ हिस्सा अपनी जेब में रक्खे। मैं नहीं समझता हूँ कि उधर के जमीन्दार और इधर के जागीरदार में इतना फरक क्यों ?

वे जमीन्दार वे हैं जिन्होंने अपने पैसे से जमीन को खरीदा है और इसके बदले में यदि ज्यादा कम्पेन्सेशन भी दिया जाता तो भी कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन जहाँ पर कि जमीन खरीदी हुई नहीं है, जिस जमीन पर जागीरदार का मालिकाना अधिकार नहीं है, हमने उनको रियायत दे रक्खी है और उन रियायतों से उन्होंने सैंकड़ों सालों से लाभ उठाया, उनसे उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया और आज हम कह रहे हैं कि अब भी तुम सात गुना ले सकते हो, जब कि सारे लगान को सरकार एक गुना लेगी।

[श्री गोपीलाल यादव]

तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह करना चाहता हूँ कि ये ऐसी चीजें हैं कि जिन पर हम सिलेक्ट कमेटी में ही अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं।

इसके अलावा आप खातेदारी राइट्स पर आ जाइये। इसमें यह है कि जिन लोगों की खातेदारी एन्टर्ड है उनकी तो रहेगी। बाकी के लिए क्या होगा ? उनके लिए यह होगा कि चाहे आप सौ साल के काश्तकार हैं, आप अपने खातेदारी राइट्स लेने के लिए दरख्वास्त पेश करिये तहसील में जाकर और आप इसके लिए दीजिये १० गुना रेन्ट और वह रेन्ट क्या है ? वह है छटा और चौथा बांटा। इसके बराबर रेन्ट है। यह रेन्ट देंगे आप तभी खातेदारी राइट्स आपको मिलेंगे, वरना मिलने नहीं जा रहे हैं ये राइट्स आपको।

इसके अलावा खुदकाश्त लैण्ड में हमने खातेदारी बन्द कर दी। क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका कारण यह है कि जागीरदारों ने, बहुत सों ने, मैं नहीं कहता सभी ने, ऐसा किया है कि जो जमीन किसान के पास थी और जिसको वे जोतते थे, उन पर अपने नाम खुदकाश्त में लिखा लिये हैं; तो अब आपको देखना है कि इन तमाम मामलों को किस तरह से हल किया जावे ?

इसके अलावा और आप क्या कर रहे हैं ? खुदकाश्त की जमीन जागीरदार को देंगे जब, तो उस समय वहाँ के किसानों की, जिनके पास पट्टे खतम होने जा रहे हैं, उनकी जमीनें भी आप छीन लेंगे। जिन किसानों के पास कुछ सीरें आपने मुकर्रर कीं उनसे यदि ज्यादा है तो भी छीन लेंगे और यदि इतनी नहीं है तो भी उनसे छीन लेंगे। पर दूसरी तरफ आप क्या करेंगे ? एक सा व्यवहार आप नहीं करेंगे। पाँच सौ एकड़ एक जागीरदार को मिल सकती है लेकिन अगर किसी जागीरदार के पास एक हजार एकड़ खुदकाश्त में मौजूद है तो उससे नहीं छीनेंगे। मैं पूछता हूँ कि यह भेद-भाव का बर्ताव क्यों ? एक सा व्यवहार तो करें आप इन किसानों के साथ भी किसानों के साथ ही यह जुल्म क्यों है ? आपने किसान के लिए ३० एकड़ जमीन के लिए लिख दिया, पर अगर उसके पास यदि चालीस एकड़ है तो १० एकड़ आप उससे ले लेंगे। अगर तीस से ज्यादा नहीं है तब भी ३० में से भी पाँच-चार छीन लेंगे, लेकिन जागीरदारों से नहीं छीनेंगे। उनसे तो मुकर्रर की गई तादात से भी अगर ज्यादा है तो उनको ज्यादा रखने देंगे। पाँच सौ एकड़ एक जागीरदार को मिल सकती है, पर अगर उसके पास एक हजार एकड़ है तो उससे नहीं छीनी जावेगी वह बाकी की पाँच सौ एकड़। उसके पास अगर एक हजार मौजूद है तो एक हजार को भी आप छोड़ देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप ? उनके पास पाँच सौ से ऊपर एक हजार है तो पाँच सौ उनसे लीजिये, यह जमीन लेकर उनको दीजिये जिनके पास बिलकुल नहीं है। इसके अलावा यह पाँच सौ और हजार एकड़ देना यह तो एक बहुत बड़ी जागीर ही क्रीएट करना है। पहले तो वे जागीरें क्या थीं, कि राज्य की चीज थीं; राज्य उसको किसी टाइम भी ले सकता था। वे राज्य की मिल्कियत थीं। इसे जागीरदार न बेच सकते और न रहन ही कर सकते थे। पर अब तो आप इन्हें पक्के और नई किस्म के जागीरदार बना रहे हैं। ये तो नई किस्म की जागीरें क्रिएट हो रही हैं। अब वे इसे बेच सकते हैं, रहन करना

[श्री गोपीलाल यादव]

चाहें तो रहन कर सकते हैं; यानि आप इन्हें इतनी बड़ी जागीरें और इतना बड़ा मुनाफा दे रहे हैं और हमें कह रहे हैं आप कि हम जागीरें खतम कर रहे हैं। यह कितनी बड़ी विडम्बना है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मै निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इसमें जागीरदारों के साथ बड़ी रियायतें हैं और साथ ही रियायत करें आप इसमें, हमें ज्यादा ऐतराज नहीं; पर हम चाहते हैं कि इससे किसानों की बरबादी न हो। इससे होना तो यह चाहिये था, जैसा कि कहा जा रहा है कि किसानों की भलाई होगी। पर यहाँ पर होने यह जा रहा है कि किसानों की बरबादी हो रही है। ठीक है, मेरे मित्र जसवन्तसिंहजी ने कहा कि इन जागीरदारों ने बड़ी सर्विसेज़ की हैं, जागीरदारों का इतिहास पुराना बड़ा अच्छा रहा है इसलिए रियायतें ये डिज़र्व करते हैं। मैं मानता हूँ इसे, पर दूसरी ओर जाट-किसान, चमार-किसान, कोली किसान, माली-किसान आदि ने कौनसी गद्दारी इसमें की है कि इन पर यह मुआवजा लाद दिया जावे, इनकी जमीनें छीन ली जावें, उनका हक भी छीन लिया जावे। आप किसी के साथ इन्साफी करें, पर दूसरों के साथ बेइन्साफी कैसे करने जा रहे हैं ?

कहना आपका यह है। आज एक आदमी गवर्नमेंट सर्विस में है उसको हिरेडिटरी मुलाजिम रख दिया। वह कलेक्टर बन गया और बाद में उसका बेटा आया तो वह भी कलेक्टर बना रहा और उसके मरने के बाद उसका बेटा आया तो वह भी कलेक्टर रहा। इस तरह पीढ़ियाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कलेक्टर बनते चले आये। पर एक दिन आपने कह दिया कि भाई तुम पीढ़ियों से और सालों से इस ओहदे पर चलते चले आये हो, पर अब हम दूसरे आदमी को कलेक्टर रखना चाहते हैं। इस पर अगर वह कहे कि इसके लिए मुझे कम्पेन्सेशन दो, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दो। चार पीढ़ी से यहाँ काम कर रहे हो, खूब रुपया पैसा कमा रहे हो, दुनिया भर को लूट रहे हो, काफी रियायतें भोग रहे हो, फिर अब कम्पेन्सेशन माँगने की और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट माँगने का क्या अधिकार है तुम्हें ? पर नहीं, कम्पेन्सेशन दिया जावे क्योंकि वे कलेक्टर रहे हैं, दुनिया को लूटा है और काफी सम्पत्ति कमाई है। तो क्या यह कोई दलील हो सकती है ? होना तो यह चाहिये कि इतने दिन आपने जो सर्विस की है, फायदा उठाया है वह बहुत है, अब गरीब लोग उससे फायदा उठावेंगे।

पर अब उन्हें कम्पेन्सेशन देने के लिए किसानों पर इसका बोझ लाद रहे हैं और वह छुटे आँटे के बराबर होगा। यह इसलिए कि आप कहते हैं कि हमें बड़ी रकम इन्हें मुआवजे की देनी है। ऐसी भी कोई-कोई जागीरें रही है जिनकी सालाना आमदनी कई-कई लाख रुपये थी और आज भी हैं। उन्हें दस गुना और सात गुना मुआवजा देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इन्हें आप बीस-तीस लाख रुपया देंगे और इसके अलावा उनके महलों में करोड़ों रुपयों के जवाहरात भरे हैं; क्या आवश्यकता है उन्हें आपको एक पैसा भी देने की ? आपको इसमें मानना चाहिये कि जिस जागीर की इन्कम पाँच हजार से ऊपर थी उसको कोई कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा, कोई रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट भी नहीं मिलेगी। नीचे वालों को आप अवश्य मुआवजा दीजिये, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दीजिये। मेरे माननीय मित्र महार ने कहा जो कुछ इस बारे में, मै उससे सहमत हूँ। जिनकी आमदनी सौ,

[श्री गोपीलाल यादव]

दो सौ, चार सो, पाँच सो की है और जमीन बीस, तीस, चालीस, पचास या साठ एकड़ की है तो वह दरअसल जागीर नहीं वह जमीन्दारी है; खुदकाश्त की जमीन थी जो उन्होंने किसी तरह से हासिल कर ली और उस पर गुजर कर रहे हैं। उनको दीजिये आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो। पर इसमें भी बता देना चाहता हूँ कि आपके लाखों भाई इस देश में ऐसे हैं कि जिनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है। एक तबके के पास काफी जमीन है, काफी रुपया है और एक के पास एक बीघा भी (जमीन) नहीं है। आप इन दोनों में अन्तर क्यों कर रहे हैं? अन्तर का कारण क्या है? एक ही कारण है। इस इलाके का राज्य राजपूत कौम के हाथ में गया। राजपूत कौम ने अपनी कौम के लोगों को जमीनें दे दीं और बाकियों को बेघरबार कर दिया। बाकी लोगों को तो हम अब भी बेघर-बार रहने देंगे। आज भी उनके साथ वही व्यवहार होने जा रहा है। उन्हीं जागीरदारों को पैसे का पैसा मिल रहा है तथा कूए और जमीन ही नहीं पर गरीब किसानों के घर तक उन्हें देने जा रहे हैं आज आप।

और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? आप बेकार में कुछ जमीन भी देंगे, पाँच सौ रुपया देंगे बैलों के लिए और दूसरे कामों के लिए भी पैसा देंगे, मेरी समझ में नहीं आता कि यह भेदभाव क्यों है?

अगर यह भेदभाव राजनैतिक है तो ठीक नहीं है। हमको राजनीति को दूर रखकर, सौदेबाजी को दूर रखकर सोचना चाहिये।

सिर्फ इस भेदभाव का कारण अगर राजनैतिक हो, जैसा कि अभी कुछ लोगों ने कहा तो यह अच्छा नहीं है। इसको राजनीति से दूर रखकर, अगर कोई सौदेबाजी हो तो उससे दूर रखकर, हाउस में वोटिंग स्टेन्थ क्या हो, अगले चुनाव में क्या करेंगे, आदि इन चीजों को भुलाकर किसानों और जागीरदारों, दोनों के साथ इन्साफ करना चाहिए, और एक जज की हैसियत से, इस ख्याल से नहीं कि हम ताकतवर हैं और दूसरे गरीब हैं, इसको लें। तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ आपसे कि इस बिल के अन्दर बहुत सी ऐसी कमियां हैं और बहुत सी ऐसी पेचीदगियां हैं जिनकी वजह से ये पढ़ने वाली चीज है तो इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। मुझे आशा है कि मेरे दोस्त मेरी इस दरख्वास्त को स्वीकार करेंगे। इसलिए मैंने जो थोड़े से में आपसे कहा है इससे अधिक हाउस का टाइम नहीं लेकर फिर अपील करूँगा कि अवश्य इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—(श्री ईश्वरीसिंह के खड़े होने पर) Order ! Order !!

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सिलसिले में जो आम बहस उतरी है वह दरअसल बिल के असली मकसद के ऊपर उतना प्रकाश नहीं डालती जितना लोगों को इधर-उधर खींचने की कोशिश करती है। दरअसल यह राजस्थान एक विशेष प्रकार

[श्री जयनारायण व्यास]

का क्षेत्र है, और हो सकता है जैसा कि यादवजी ने कहा कि राजस्थान में ज्यादातर जागीरदार राजपूत थे, वे जागीरदार राजपूत हैं, राजा भी राजपूत है; लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी यह एक फैक्ट है कि हमारा जो यह राज्य है उसका स्वरूप जो था वह सामन्ती स्वरूप था। राजा थे यहां पर और राजाओं के साथ-साथ उनके प्रबन्धक के तौर पर या सहायक के तौर पर जागीरदार भी थे। वे जागीरदार तरह-तरह के काम करते थे, तरह तरह की सेवाएं करते थे, पुलिस के अफसर समझ लीजिये, फौज के अफसर समझ लीजिये, जुडीशियल अफसर समझ लीजिये, न्याय शासन समझ लीजिये और फ्युडल सिस्टम में जिस तरह का स्वरूप होना चाहिए वह स्वरूप था। उस जमाने में यह स्वरूप तो ठीक हो सकता है लेकिन उसके बाद में यह स्वरूप जो था वह जमाने के अनुकूल नहीं रहा और जमाने के अनुकूल नहीं रहने से यह जो सामन्ती प्रणाली है इस सामन्ती प्रणाली ने लोगों के आर्थिक हितों के ऊपर और देश की आर्थिक समानता के ऊपर बुरा असर डाला। इसलिए इस सामन्तवाद को समाप्त करना वाजिब समझा गया। इसके लिए तरह-तरह की विचारधाराएं चलीं और तरह-तरह की क्रियाएं भी हुई हैं और तरह-तरह के एक्शन्स भी लिये गये हैं। यह हो सकता है कि इस बात से कोई शक नहीं है कि सभी तरह के लोग इस बात से सहमत हैं कि अब सामन्तवाद का जमाना नहीं, जागीरें रह नहीं सकती हैं, इसलिए जागीरों को समाप्त होना चाहिए। लेकिन उसमें दो बातें और सोचने की हैं कि छोटे जागीरों को समाप्त करते वक्त कौनसी प्रणाली काम में लाई जाय जिससे कि वे जागीरें खत्म हों और साथ-साथ ही जागीरें खत्म होने की जो प्रतिक्रियाएं हों उन प्रतिक्रियाओं को पहले से रोका जाय या नहीं रोका जाय और जागीरों को खत्म करते वक्त या जागीरों को खत्म करने के बाद में हम इस राज्य के अन्दर सिविलवार यानी आपसी लड़ाई का दृश्य यहां पैदा करें या नहीं। यह २ सवाल सरकार के विचार में हैं।

यह ठीक है कि सरकार ने क्षत्रिय सभा, जो कि जागीरदार बड़े और छोटे हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, उनसे बातचीत की कि जागीरदारों को समाप्त करने की क्रियाएं बातचीत के आधार पर होनी चाहिए और वे क्रियाएं अब अन्तिम स्थिति में आने वाली हैं। इसलिए जो भी लोग, शान्ति के रास्ते से यह जागीरें समाप्त हों, यह नहीं चाहते। उनको थोड़ी नाराजगी है और तरह-तरह के समाज में तत्व हैं उनकी तरह-तरह की नाराजगी है। भाई हरिकृष्णजी कम्युनिस्ट हैं। वे यह कहते हैं कि यह मुआवजा क्यों दिया जाता है ? तनसिंहजी भी इस बात की ताईद करते हैं लेकिन साथ-साथ छोटे राजपूतों की हिमायत करते हैं और यह कहते हैं कि क्षत्रिय सभा ने जो प्रतिनिधित्व किया वह ठीक नहीं किया। कुंवर जसवन्तसिंहजी कह सकते हैं कि राजपूतों के साथ इन जागीरों को समाप्त करते समय ज्यादतियां हो जाएंगी, अशान्ति हो जायगी और इससे नुकसान हो सकता है; इसलिए इसको समाप्त करते समय बहुत ही ज्यादा उदार होना चाहिए। इस तरह की बातें कहते हैं और साथ ही साथ थोड़ा कांग्रेस के अन्दर अविश्वास भी प्रकट करते हैं और यह कह सकते हैं कि कि जो भाई इधर मेम्बर हो गये हैं उनमें खींचतान होगी वगैरह-वगैरह अलग-अलग बातें होने के कारण कम से कम यह प्रकाश तो जरूर पड़ता है कि वे चाहे हमारे से एक एक वजह से नाराज हों, दूसरे दूसरी वजह से नाराज हों, तीसरे तीसरी वजह से नाराज हों, लेकन एक कारण से तो नाराज नहीं

Page No.38

[श्री जयनारायण व्यास]

है। सब अलग-अलग कारणों से नाराज हैं। इसलिए जब कि अलग-अलग कारणों से नाराज हैं तो नाराजगी केन्द्रित नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम जो कदम उठा रहे हैं वह ठीक है, वह एक्सट्रीम कदम नहीं है। हम एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं, दूसरे का पक्ष नहीं ले रहे हैं और बीच के रास्ते में जावेंगे। हमको इधर वाले बुरा कह सकते हैं, उधर वाले भी बुरा कह सकते हैं क्योंकि हम रास्ता बीच का सीधा शान्ति, का अपना रहे हैं।

मैं पहले उन प्रगतिशील देशों का जिक्र करूँगा कि जिन देशों का जिक्र हमारे कम्युनिस्ट साथी ने किया है। उन्होंने फ्रांस का जिक्र किया है, अमेरिका का जिक्र किया है, इंगलैण्ड का जिक्र किया गया और उन देशों का जिक्र किया जिन देशों की राजनीतिक जो स्थिति है उसको शायद वे बहुत पसन्द नहीं करते हैं। उन्होंने उन देशों को कैसे आदर्श मान लिया और मिसाल के तौर पर कैसे रख लिया। फिर भी जब कोई दलील देते हैं तो किसी को सामने रखा जा सकता है। इसलिये इन देशों के बारे में मैं खासतौर से दिलचस्पी नहीं लूंगा। मैं तो उन देशों के बारे में कहूँगा जो देश अपने आपको साम्यवादी देश मानते हैं। वहाँ पर कौनसा तरीका अपनाया जा रहा है, यह बात मैं खासतौर से कहने की कोशिश करूँगा।

यह कहा गया था कि चीन के अन्दर कोई कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया और यह सामन्तवादी प्रथा है, वहाँ एकदम चुटकी के साथ खतम हो गई। चीन के जो नेता हैं राजनैतिक, जिन के कहने के अनुसार और जिनके आदेशों के अनुसार चीन में क्रान्ति सफलता के साथ सम्पन्न हुई है, मैं उन माओ की बात को इस सदन के सामने रखना पसन्द करूँगा और वे खास तौर से मेरी उस बात को सुनकर मेरे साम्यवादी मित्र जो हैं वे प्रसन्न होंगे। चीन के श्री माओ ने जागीरी प्रथा को समाप्ति करने के सम्बन्ध में अपनी राय जो दी है वे शब्द इस तरह से हैं :–

"The object of agrarian reform is to eliminate the feudal system of exploitation whitch means the elimination of feudal landlords as owners and not the elimination of the person of the landlord. Therefore, the landlords must be distributed land property equal to that of peasants and they must be enabled to learn to cultivate and produce and enjoy the rents of the normal economic life."

वे आगे कहते हैं :—

"The elimination of the feudal system of exploitation should be carried out systematically. That is to say tactfully the technique of arousing mass enthusiasm must be determined on the basis of the conditions promoted by the environment; on the basis of the consciousness and organization of the masses of peasants. Do not attempt to eliminate the whole feudal system of exploitation overnight."

[श्री जयनारायण व्यास]

यह हमारे चीन के श्री माओ की राय है और इस राय का सार यह है कि आप जागीर क्षेत्र को समाप्त कीजिये लेकिन आपको जागीर के परसन्स को समाप्त करने की जरूरत नहीं है और उनको इतना साधन देने की जरूरत है कि जिसके जरिये वे जिन्दा रह सकें, वे कुछ काम करना सीख सकें और जिस तरह से दूसरे किसान और दूसरे वर्ग के लोग अपना काम काज करते हैं उसी तरह काम के लायक वे हो जॉय। रातों-रात जागीरें खतम कर दें यह बात राजस्थान के माओत्सेतुंग कह सकते हैं पर चीन के माओत्सेतुंग नहीं कहते हैं...

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपको चीन के माओत्सेतुंग की बात समझ में आई है क्या ?

श्री जयनारायण व्यास--मैं समझता हूं चीन के माओत्सेतुंग की बात मेरे कॉम्युनिस्ट मित्र के बनिस्पत दूसरे लोग ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। आपको कोई बात कहने के पहले एनविरनमेन्टस (eneironments) जानने चाहिये, सरकम्सटान्सेज़ (circumstances) जानने चाहिये और सारा वातावरण जानना चाहिये, लेकिन अफसोस है कि यह बात मेरे भाई जानने की कौशिश नहीं करते हैं। मैं कॉम्युनिस्ट लिट्रेचर को भी कभी कभी पढ़ता हूँ। उतना तो नहीं पढ़ता जितना कि मेरे भाई पढ़ने की कौशिश करते हों, लेकिन मैं जो कुछ भी पढ़ता हूं वह सही माने में पढ़ता हूँ। उनकी तरह से नहीं पढ़ता हूँ कि सब्जेक्टिव कंडीशन, आब्जेक्टिव कंडीशन के बजाय प्रीडिक्टिव कंडीशन आ जाय। वे लीडर बनाने की कौशिश करते हैं, पार्टी के और मासेज़ के लीडर बनने की भी कौशिश करते हैं। कॉम्युनिस्टों के लीडर बनने की जो बातें हैं मैं आपके ध्यान में लाऊंगा। लेनिन का यह कहना था कि "Two steps backward, then one step forward." उनका कहना था कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो स्थिति के माफिक पीछे हट कर हम आगे बढ़ सकते हैं। कॉम्युनिस्ट भाई जब कभी पढ़ते हैं तो दूसरी बे मतलब की बातें पढ़ते हैं, लेकिन लीडर शिप के बारे में जो कुछ कहा गया है और जो यहाँ लागू होता है वह यह है :

"**Leadership :**—The art of leadership is a serious matter. One must not lag behind the movement because to do so is to become isolated from the masses but neither must rush ahead, for to rush ahead is to loose contact with the masses He should at the moment keep in touch with the vast masses, must wage a fight on two fronts-against those whe lag behind and againtt those who rush ahead."

यह हमारी स्थिति आज है। यदि कॉंग्रेस आज सही माने में लीडर-शिप करती है तो इसलिए करती है कि उसमें एक ऐसा तत्व है जो कहता है कि ठहरो क्या करते हो, क्यों एक दम आगे बढ़ते हो। और दूसरी तरह के लोग कहते हैं कूदजाओ, इसके सिर के ऊपर कूद जाओ, परवाह नहीं यदि तुम्हारा सर टूट जाय। यह जो बीच का रास्ता है उसको स्टेलिन ने भी पसन्द किया था।

[श्री जयनारायण व्यास]

हमारी मुश्किल यह है कि मशीनेरी बाहर से आती है, लेकिन असेम्बलेज यहाँ होता है और एंजिन बाहर से आता है वह कभी कभी गड़बड़ पैदा कर देता है। हमारा शरीर तो यहाँ का बना हुआ है लेकिन दिमाग रशिया का है। शरीर यहाँ का है तो इंजिन वहाँ से आया है, इसलिए गाड़ी चलने में गड़बड़ हो जाती है। तो आप लीडरशिप चाहते हो तो सही माने में होनी चाहिये। आसपास की सारी स्थिति को देखकर काम करना चाहिये।

मेरे मित्र श्री जसवन्तसिंहजी ने कहा कि बहुत अशान्ति हो जायगी . . . .

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैंने कहा था सम्भव है, अशान्ति हो जायगी।

श्री जयनारायण व्यास—सम्भव है अशान्ति पैदा हो सकती है शुरू शुरू में यह भय प्रकट होता है। आपने कहा कि इससे राजपूत जाति को नुकसान होगा, उनको क्षति पहुँचेगी और एक बात पर. सबसे अधिक जोर देते हुए कहा कि मामले में किरकिर पड़ जायगी, वह ठीक नहीं है। यह ठीक है कि जब हम फर्स्ट मोमेन्ट (first moment) किसी काम को हाथ में लेते है तो उसके बारे में इस तरह की बातें कही ही जाती है। रबिंग दी शोल्डर्स या कन्धे से कन्धा भिड़ाते हैं तो टक्करें होती ही है। लेकिन हम ऊंट के देश में रहते हैं जो जब पिलाना जाता है तब भी अड़ाता है और लादा जाता है तब भी अड़ाता है; बोले बगैर वह रहता नहीं है। इसी तरह से थोड़ी किर-किर पड़ जाने से या छोटी मोटी बाधाओं की परवाह करेंगे तो काम रुक जायगा। खास कर आँधी के दिनों में आराम की जिन्दगी बसर कर सकते है, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिये। फिर भी धक्कम-धक्का में हम पार पड़ जायेंगे, इसमें शक नहीं है। जब कुँवरसाहब बोल रहे थे तो उस समय मुझे एक बात "धकार" की याद आ गई। उसमें "धकार" ही "धकार" है। मैं उस समय दो लाइन कविता की लिख रहा था। उस में छः बार "धकार" ही "धकार" आती है। वह यह है : "धूल-धप, धमाका, धक्का और धमाल, धन्यवाद और धिक्कार सब सहना होगा लाल"। राजस्थान के लाल को सब सहना होगा। इसलिए थोड़ी उथल-पुथल हो सकती है, थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है।

एक और बात जो कुँवर साहब ने कही थी वह यह है कि एक्स सोल्जर्स की तरफ से कुछ गड़बड़ें हो सकती हैं। मैं जब पालियामेंट का मेम्बर था उस समय कुँवर साहब भी पालियामेन्ट के मेम्बर थे वहाँ पर जब फौजों में कमी करने की बात चीत आई तब मैंने कहा था कि जब एक्ससोल्जर्स के पास काम नहीं रहेगा तो वे अशान्ति बढ़ाने में योग दे सकते हैं, इसलिए फौजों को कायम रखें और कम से कम लोगों को निकालें; यह मेरी उस समय राय थी और आज भी जो लोग फौज में से निकाले गये हैं उनको जमीनें दी गई हैं और दूसरा काम-धन्धा उनको दिया गया है। डाकुओं के रूप में उनका नाम आये, यह मैं पसन्द नहीं करता। इसलिए पसन्द नहीं करता कि चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर होने के नाते मैं डाकुओं की काफी

[श्री जयनारायण व्यास]

प्रवृत्तियें जानता हूँ, बड़े-बड़े मशहूर डाकुओं का इतिहास मैं जानता हूँ कि वे डाकू क्यों हुए ? हो सकता है कि कुछ पुराने सिपाही भी डाकू हुए हों लेकिन उसका कारण दूसरा है। दो-चार मिसालें सदन के सामने सदस्यों की जानकारी के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं देना पसन्द करूंगा। ये मिसालें हैं प्रसिद्ध डाकुओं की। एक डाकू है कल्याणसिंह, जो अरावली में काम करते हैं और श्री भैरूँसिहजी के आप पास के रहने वाले हैं...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कौन से भैरूँसिंहजी ? यहाँ कई भैरूँसिंहजी हैं।

श्री जयनारायण व्यास—भैरूँसिंहजी खेजडला। और मेरा ख्याल है कि हरेक भैरूँसिंहजी के आस पास कोई न कोई डाकू रहता होगा। तो उस कल्याणसिंह का इतिहास आप देखें तो मालूम होगा कि वह एक्स सोल्जर होने की वजह से डाकू नहीं हुआ बल्कि फ्युडल सिस्टम की खराबी के कारण उनमें और जागीरदार में झगड़ा हो गया और उन्होंने एक खून कर दिया इसलिये वे डाकू बन गये।

दूसरे हैं शैतानसिंह, जो हाल ही में खतम हो गये हैं। वे भी एक्स सोल्जर नहीं थे। एक डाकू है जवानसिंह जिनके चाचा से उनकी लड़ाई हो गई और खून हो गया, इसलिए डाकू बन गये। एक भूरसिंह डाकू थे, जो आर. ए. सी. में नौकर थे। वे बेकार होकर डाकू बने हों, ऐसी बात नहीं है। उनके भी हाथ से खून हो गया था इसलिए डाकू बने। एक हैं भँवरसिंह, जो इस समय पाकिस्तान में है, वे भी इसी तरह से डाकू बने। जगमालसिंह डाकू भी एक्स सोल्जर नहीं थे। कुँवर साहब भी शायद उनको जानते हैं। उनके हाथ से भी खून हो गया, इसलिए डाकू बन गये। सांवतिया जोगी राजपूत नहीं था फिर भी डाकू हो गया। भगिया रावत भी राजपूत नहीं था और डाकू बन गया। आमपुरी और लालपुरी एक्स सोल्जर्स नहीं थे और न वे राजपूत ही थे, फिर भी डाकू बन गये। एक्स सोल्जर होने ही से कोई डाकू हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा हालात के कारण भी डाकू हो जाते हैं। सांकड़ा के सभी लोग बड़े अभिमान के साथ कहते थे कि यदि हम डाका नहीं डालें तो क्या करें, यह रेस्पेक्टेबल पेशा है। आज जब उनको समझाया गया तो समझने के बाद सांकड़ा में एक भी डाकू नहीं रहा।

शेरगढ़ में भी कुछ थे, सारे के सारे सरेन्डर हो चुके हैं।..........

एक माननीय सदस्य—एक तो यहीं हाउस में बैठे हैं।

(हँसी)

श्री जयनारायण व्यास—डाकुओं की साइकोलोजी को मैं जानता हूँ। वे एक्स सर्विसमैन होने की वजह से नहीं किन्तु आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से जागीरदारों और जागीरदारों के भाइयों में झगड़ा हो सकता है, इस वजह से डाकू हुए हैं। वह फ्युडल सिस्टम जो है वह खतम

[श्री जयनारायण व्यास]

हो जायगा तो थोड़े दिन जरूर किरकिरी आयेगी, लेकिन बाद में यह खत्म हो जायगी। थोड़े समय के लिए कम्पेन्सेशन दिया है। कुछ लोग कहते है कि कम्पेन्सेशन नहीं देना था, कुछ साधन देने चाहिये। श्री गोपीलालजी यादव कहते हैं कि चाहे १०० गुना रिहेबिलिटेशन एलाउन्स दे दो लेकिन कम्पेन्सेशन मत दो। अभी जो यह हाथ यों कर के प्राणायाम करते हो, यों मत करो; बल्कि यह हाथ यों करके प्राणायाम करो। यह द्राविड़ी प्राणायाम हमें तो बिल्कुल पसन्द नहीं, जो कुछ देना है सीधे तरीके से दिया जाना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए और इसलिए मिलना चाहिए कि आठ-दस वर्षों में अपने आपको जमा सकें, जैसा कि माओ ने कहा था कि जिन्दगी बिताने के लिए साधन मिलें, इसलिए कि दूसरे लोग जिस तरह सेटल हैं उसी तरह वे लोग भी सेटल हो जायं। दूसरी बात कहना गलत होगा।

बहुत सारे कॉम्युनिस्ट लोग लिबरल युटोपिया को बुराई करते हैं। युटोपिया दो प्रकार के हैं; एक लिबरल यूटोपिया और दूसरा नेरोपियन युटोपिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—युटोपियन नहीं, अनार्किस्ट थे।

श्री जयनारायण व्यास—इतना तो मैं जानता हूँ। यहाँ तो ये समझते हैं कि स्टेलिन और रूस की बात लोग कम जानते हैं, लोग यह समझते हैं कि स्टेलिन और रूस की बात से हमें यहाँ क्या मतलब।

हाँ, तो स्टेलिन (रूस) और माओ की बातें यहा करना अच्छा नहीं। सच बात तो यह है कि हमको व्यवहारिक होना चाहिए। राजस्थान के इतिहास और यहाँ के ट्रेडिशन्स को देख कर हमें यहाँ काम करना चाहिए। श्री एच. के. व्यास ने मेरा ध्यान खास तौर से काश्मीर की ओर खींचा। काश्मीर हमारी तरह बी. स्टेट तो नहीं फिर भी लगभग हमारी ही तरह है। काश्मीर और हालात की स्टेट है। काश्मीर को हम कर्जा भी दे सकते हैं बोर्डर स्टेट होने की वजह से। काश्मीर को हमारे साथ जोड़ना योग्य नहीं। वहाँ भी जागीरदार हैं, परन्तु फिर भी राजस्थान और काश्मीर को साथ-साथ जोड़ना ठीक नहीं होता। काश्मीर के जागीरदारों को भी जिनको कम्पेन्सेशन रुपयों के रूप में नहीं मिल सका उनको जमीनों के रूप में कम्पेन्सेशन मिल सका है। वहाँ जागीरदारों को मुआवजे के रूप में २० एकड़ या १० एकड़ जमीन दी गई है। वहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है और उससे वे लोग अपनी जिन्दगी बसर कर सकते हैं लेकिन काश्मीर के जमीदार, जागीरदार हिन्दू हैं इस इस वजह से ऐसा हुआ, जैसा कि मानसिहजी ने कहा यह बात नहीं है। बात यह है कि काश्मीर के जागीरदारों की स्थिति राजस्थान के जागीरदारों से भिन्न है। काश्मीर में जागीरदार ऐसे हैं जो आयर्लैंड के एब्सेन्टी लैंड लोर्ड्स की तरह एबसेंट रहते हैं। वे लोग जमें हुए हैं उनके कारबार चलते हैं और अच्छी तरह सेटल्ड हैं। राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं है। इसीलिए यहाँ उनको सेटल

[श्री जयनारायण व्यास]

होने देने के लिए कम्पेन्सेशन दिया गया है, जो श्री जसवन्तसिंहजी साहब की भाषा में कम है, श्री गोपीलालजी यादव की भाषा में ज्यादा है और श्री एच. के. व्यास की भाषा में बिल्कुल निरर्थक है। परन्तु यहाँ पर जो कुछ भी दिया गया है खूब अच्छी तरह सोच समझ कर बिल्कुल सही ही हमने दिया है।

रूस, चाइना, फ्रान्स और दूसरी जगहों के फ्यूडल सिस्टम में और यहाँ के फ्यूडल सिस्टम में फर्क है। सामन्तवाद तो सामन्तवाद ही था, परन्तु यहाँ के सामन्तवाद का ट्रेडिशन रहा था, जमीन के साथ चिपके रहने की तो इनकी भी आदत रहीं थी, पर इनका कर्त्तव्य-पालन का ट्रेडिशन रहा है। महाराणा प्रताप, शिवाजी और दुर्गादास की तरह यहाँ के सामन्त रहते थे और हम उनकी इज्जत करते थे। यही कारण है कि आज हम सामन्तवाद और राजाओं के राज्य के खिलाफ हैं, फिर भी हम कल महाराणा प्रताप की जयन्ती मनायेंगे और उनके सामने सिर झुकायेंगे। जमीन के लिए वे सिर भी कटा देते थे, पर अब सारी भावना बदल रही है। वे लोग जमीन के लिए कटते थे तो अभिमान के लिए कटते थे, न कि लोभ के लिए।

आज जो बंटवारा हो रहा है वह अभिमान के लिए नहीं, लोभ के लोभ के लिए नहीं परन्तु साधन देने के लिए; सब को समान साधन देने के लिए यह बंटवारा हो रहा है।

आज बार-बार हमारे महाराज प्रमुख, राजप्रमुख के लिए कहा जाता है कि इनको ज्यादा दिया जा रहा है। हम सोचते हैं कि कुछ ज्यादा दे दिया जाता होगा। पर हम हमारे ट्रेडिशन्स को सोचते हैं तो कुछ समय तक देना पड़ेगा, चाहे कुछ ज्यादा भी है तो भी देना पड़ेगा।

अभी जो जागीरदारों को मुआवजा देने की बात की जा रही है वह इसलिए की जा रही है कि ये लोग भी अपने साधन जमा सकें।

राजा मानसिंह ने भी बड़ी-बड़ी बातें की, ४० लाख, ६० लाख फी रैकड़ा की बात कह डाली और कम्पेन्सेशन के लिए भी इशारा किया कि क्यों नष्ट किया जाय। तो यह बात वे थोड़ी न्याय से नहीं बोल रहे थे। यही बात वह खान-पान के बारे में बोल देते कि जिनको मिल रहा है ज्यादा कर ही दिया जाय।

राजा श्री मानसिंह—When that question comes, Sir, I will express my opinion on that too.

श्री जयनारायण व्यास—I do'nt want opinion, I want surrender. That will be right course to adopt.

[श्री जयनारायण व्यास]

साहित्यिक भाषा में जवाब नहीं दिया जा सकता। उनको भी हम कम्पेन्सेशन या रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट इसलिए देते हैं कि वे अपने आपको जमा सकें। खाने-पीने की ग्रान्ट्स इसलिए देते हैं कि वे उसे ठिकाने लगा दें।

जिस तरह हम नौकरी करें, दूसरा काम करें उसी तरह वे लोग भी करें और काम पर जम जायें, यह चीज बेहतर होगी।

अब सौदेबाजी की बात कही जाती है, कि यह तो राजनैतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाती है और दूसरी तरफ आर्थिक फायदा उठाने की बात कही जाती है। न इसमें कोई राजनैतिक फायदा उठाने की बात है और न कोई आर्थिक फायदा उठाने की बात है। त्यागीजी वगैरह आर्थिक फायदे की बात कहते हैं, मैं पूछता हूँ क्या आर्थिक फायदा उठायेंगे। जागीरदार, आज जो पा रहे हैं और जो पहले उनको मिलता था उसके मुकाबले में क्या पा लेंगे ?

श्री वेदपाल त्यागी सन् १९५२ के एक्ट के मुकाबिले में फायदा है।

श्री जयनारायण व्यास--सन् ५२ के मुकाबिले में आर्थिक फायदा हो सकता है, पर यह आर्थिक फायदा नहीं, रिहेबिलिटेशन के लिए आवश्यक रकम है। जब आपस में बैठते हैं दो आदमी तो अपनी जरूरतें बताते हैं और उस समय "give and take" होता ही है। "give and take" की पौलिसी को आर्थिक फायदा कहना ठीक नहीं। यह तो कुछ अर्से के लिए इनको कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है ताकि ये लोग सेन्टल हो सकें। कम्पेन्सेशन का पीरियड खत्म होते ही यह बन्द हो जायगा। इस पीरियड में अगर वे समझदार हैं और अपने आपको जिन्दगी में ढाल लेते हैं तो जीने के हकदार हैं और अगर कम्पेन्सेशन के पीरियड में उन्होंने अपने आपको लाइफ में नहीं जमाया तो इनकी हालत किसानों से भी बदतर होगी। किसान तो खेती मजदूरी कर लेते हैं लेकिन उनकी आदतें भी खेती-मजदूरी करने की नहीं।

तो हम चाहते हैं कि इस पीरियड में इनके पास भी बैल, खेती करने के दूसरे साधन ट्रैक्टर आदि हों और इनकी आदत भी काम-धंधा करने की हो, अपने आपको जमाने की आदत भी डाल लें, इसको सौदा समझ लेना गलत है। अब उसको सौदेबाजी समझ लेना मैं समझता हूँ गलत बात है। अब यह कहा जाता है कि क्षत्रिय महासभा ने समझौता किया, यह ठीक बात है, कांग्रेस ने समझौता किया, यह भी बात ठीक है और गवर्नमेंट ने समझौता किया यह भी बात ठीक है। हमारे मित्र मानसिंहजी कहते हैं कि आपने ४० प्रतिशत लोगों को ही सुना। हो सकता है उनके ध्यान में ४० प्रतिशत ही हों, वे ६० प्रतिशत और ८० प्रतिशत भी हो सकते हैं। लेकिन मैं यह आपको बता देना चाहता हूँ कि परसेन्टेज इतना काम नहीं करता जितना कि अक्ल काम करती है। मैं समझता हूँ कि क्षत्रिय महासभा के जिन लोगों ने इस सम्बन्ध में जो काम किया है, आज भले ही उनको कोई

[श्री जयनारायण व्यास]

कोसे, कोस सकता है; लेकिन उन्होंने एक ऐसे गृह-युद्ध को बचा लिया है जो उधर कुछ तन करके जागीरदार और उधर सरकार और कांग्रेस में होता था, किसानों और जागीरदारों के बीच होता था या सरकार और जागीरदारों के बीच में होता या किन्हीं भिन्न-भिन्न जातियों के बीच में होता। उस गृह-युद्ध को उन्होंने टालने की कोशिश की है। सभी लोग दुनिया में झगड़े मिटाने की कोशिश करते हैं। मैं यह मानता हूँ कि यह क्षत्रिय सभा का ही प्रबन्ध था कि जिसने अपने प्रभाव से ३०० रिट एप्लीकेशन्स हाईकोर्ट से वापिस विदड्रा करा लीं। अभी तनसिंहजी ने कहा कि रिट एप्लीकेशन्स कई चल रही हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहूँगा कि 'मुन्डे-मुण्डे मतिर्भिन्नाः'। सब लोगों की बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती और न सब एक ही तरह के होते हैं। इसलिये कुछ तो रिट रहनी ही चाहिये। यह डिविजन बैंच तो सब जगह रहती ही है, ये ढचके और मचके तो हर जगह होते ही हैं। आप जानते हैं जैसी कि मारवाड़ी में कहावत है कि ऊट नालता (नाल देते) अर्ड़विगा और पिलाणते भी अर्ड़ाता है, लेकिन जरूरत होती है तो नालना पड़ता है और पिलाणना भी पड़ेगा ही। जो कायदा है उसके खिलाफ हम जा नहीं सकते। मगर में यह कहूँगा कि जो काम उन्होंने (क्षत्रिय महासभा ने) किया है उससे उनकी शक्ति थी वह तो सबको मालूम हो ही गया है। मैं यह कहूँगा कि इस सम्बन्ध में मेरे इतना कह देने के बाद कोई बोलना नहीं चाहेंगे और हम भी नहीं कहेंगे कि वे बोलें। लेकिन उन्होंने जो काम किया है उनके किये-कराये पर जो लोग पानी फेरना चाहते हैं, उन्हें पानी नहीं फेरना चाहिये। जो काम उन्होंने किया है उसके लिये उनकी अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी देखेगी और आज की पीढ़ी उसे प्रेज्युडिस होने की वजह से नहीं देख रही है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इतिहास में वह काम किया है जिससे गृह-युद्ध टाला है। इतिहास में उनका यह कार्य अंकित किया जावेगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, माननीय चीफ मिनिस्टर जो यह बात कह रहे हैं कि क्षत्रिय महासभा ने बहुत अच्छा काम किया है, क्या जो यह अच्छा काम किया गया है उसका सभी श्रेय उन्हीं को है। हमने भी तो इसमें काफी काम किया है।

श्री जयनारायण व्यास—हम तो खासतौर से क्षत्रिय महासभा की बात कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कॉंग्रेस वालों ने भी काम किया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हम लोग भी काम करने में शामिल थे और हमारे कुछ भाई जो अभी उधर आ गये हैं उन्होंने भी काफी काम किया। मैं समझता हूँ कि वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री जयनारायण व्यास—मैं अपना सारा धन्यवाद कुं० श्री जसवन्तसिंहजी को देने के लिये तैयार हूँ। मेरे साथ के साथियों की तरफ से भी धन्यवाद भेजने की जरूरत हो तो वह भी भेज

[श्री जयनारायण व्यास]

सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर यह धन्यवाद भारी भी हो तो कुं० श्री जसवन्तसिंहजी उसको उठाना पसन्द करेंगे और जो लोग इस कार्य को करने में शामिल थे उनको भी वह धन्यवाद प्रेषित कर दिया जावे।

मैं समझता हूँ कि मैंने सदन का काफी समय ले लिया है और यह जो जागीर उन्मूलन का संशोधन विधेयक रखा गया है, वह मेरा ख्याल है कि काफी सोच विचार कर रखा गया है। इसमें देश के बड़े-बड़े दिमाग वाले व्यक्तियों की सहायता भी ली गई है। जहां हमें कुछ कमी मालूम हुई और खासतौर से इस सम्बन्ध में इम्पार्शियल व्यूज़ (impartial views) लिये गये हैं; इसमें पन्त जी जैसे अनुभवी व्यक्ति की सलाह ली गई है।

('हियर, हियर' की ध्वनियें)

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of information, Sir, has the half-an-hour limit been relaxed ?

श्री अध्यक्ष—There is no limit for the Leader of the House. Ordinarily there is no limit in the Parliament for the Leader of the House.

श्री जयनारायण व्यास—मैं ज्यादा बोला ही नहीं। Even if there is time limit, I have not exceeded that.

मुझे दो-चार बातें जो कहनी थीं वे मैंने कह दी हैं। इस कार्य में क्षत्रिय महासभा और कुं० श्री जसवन्तसिंहजी भी शामिल हैं। कांग्रेस ने भी और गवर्नमेंट ने भी प्रयत्न किया है। इसमें श्री पन्तजी की सलाह भी ली गई है और पंडितजी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया है। इसमें थोड़ी बहुत जो इधर-उधर रद्दोबदली हुई है वह सब अच्छी तरह से सोच-विचार के बाद किया गया है। जो काम किया गया है वह साफ भावना से किया हुआ काम है। इसको सौदे बाजी या स्वार्थ के लिये किया हुआ कहना अपने आपको अपमानित करना है और ऐसा समझना गलत है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि जो यह विधेयक आपके सामने आ रहा है आप आवश्यक संशोधन के साथ इसको स्वीकार करें। यह हमारे राजस्थान के भावी निर्माण में सहायक होगा। मुझे तो बस इतना ही कहना है। जय हिन्द।

(करतल ध्वनि)

श्री ईश्वरीसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे भी तो अब थोड़ा बोलने का समय दिया जाय।

Page No.47

श्री बलवीरसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह जागीरी उन्मूलन बिल कल से सदन में चल रहा है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान की जागीरदारी प्रथा हिन्दुस्तान तथा और प्रान्तों की जागीरदारी प्रथा से विशेष मिलती-जुलती नहीं है। यह कितनी गलत चीज है कि जागीरदारों को मुआवजा व खुदकाश्त के लिये जमीन दी जा रही है। राजा-महाराजाओं के जमाने में, पुराने जमाने में जिस वक्त राजा की मर्जी होती थी उसी समय वह किसी को जागीर दे सकते थे और जिस वक्त चाहते थे राजा लोग जागीरें उनसे वापिस छीन सकते थे। उन पर उनका (जागीरदारों का) कोई स्थायी अधिकार जमीनों पर नहीं था। इसी तरह से राजस्थान का इतिहास बता रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे ख्याल से सदन के सभी लोग जानते होंगे कि महाराजा जसवन्तसिंहजी ने भरतपुर के जागीरदारों से उनकी जागीरें जब्त करके उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया और आज यह कह देना कि अब हम जागीरें जब्त करते हैं इसलिये राजस्थान के जागीरदारो को रिहेबिलिटेट करने के लिये उन्हें कुछ न कुछ दिया जावे और जागीरों को कुछ मुआवजा दिया जावे। मैं नहीं सोच सकता कि यह किस तरह का तमाशा किया जा रहा है। आज राजस्थान का किसान भूखा है और एक कोने में पड़ा हुआ है। राजस्थान के किसान के पास जमीन नहीं। मैं यह कह सकता हूँ कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद किसान की सारी की सारी जमीन जागीरदारों के कब्जे में चली गई। जागीरदार जो आज यह कहते हैं कि हम गरीब हैं हमारे पास जमीन नहीं, खाने को नहीं, कोई चारा नहीं तो मेरे ख्याल से उनका यह कहना बिल्कुल गलत है। उन्होंने जमीनों का सारा रेकर्ड अपने नाम पर और हवाले के नाम पर व खुदकाश्त के नाम पर करा रखा है। अब यह कहा जा रहा है कि जो रेकर्ड में जमीन जागीरदार के नाम है वह उसको दे दी जावे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि अगर इस तरह से ज़मीन दी गई, जिस तरह रेकर्ड में लिखी गई है तो ९० प्रतिशत लोगों की जमीनें जागीरदारों के पास चली जावेंगी। यदि इस प्रकार की नीति अपनाई गई तो लाखों किसान बेघर हो जावेंगे।

अभी मेरे मित्र मानसिंहजी महार ने कहा कि जागीरदार तथा उनके आश्रित कई लाख व्यक्तियों के लिये अगर किसी प्रकार का प्रबन्ध नहीं किया जायगा तो उनकी क्या हालत होगी? मैं यह कहना चाहता हूं कि लाखों-करोड़ों किसानों के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों होना चाहिये? जहां कुछ ही लोगों के लिये इस प्रकार का प्रबन्ध किये जाने की मांग है वहां लाखों किसानों को छोड़ा जा रहा है। यह कहा जाता है कि किसानों के साथ इस प्रकार का सुलूक हुआ सो तो हुआ, इसकी तो कोई बात नहीं पर जागीरदारों के और उनके आदमियों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिये। इसलिये उनको (जागीरदारों के प्रतिनिधियों को) नैनीताल बुलाया गया। उन्हें पूछा गया कि क्या मुआवजा दिया जाय? खुदकाश्त के लिये क्या किया जावे, कितनी जमीन दी जावे? मगर दूसरे लोग जो ७५ प्रतिशत हैं, जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और जिन्होंने अपनी जिन्दगी भर मेहनत की है और करते आये हैं और जिन्होंने कमा-कमा कर इन मुफ्तखोरों को खिलाया है और जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी में सबसे ज्यादा हिस्सा बंटाया है और देश की आजादी में ९९ प्रतिशत व्यक्तियों ने भाग लिया है उनके लिए क्या किया गया? अब आप जागीरदारों के लिये यह कहते हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जावे जिन्होंने देश की आजादी में रोड़ा अटकाया तथा किसानों के लिये कुछ नहीं किया। किसानों के नुमायन्दों से नहीं पूछा गया कि मुआवजा कैसे तय किया जावे, इससे साफ है।

[श्री बलवीरसिंह]

इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सारी की सारी जमीन जिस पर किसान काश्त करता आया है उससे छीन ली गई है, उनके खेत सारे के सारे दबाए जा रहे हैं, जो हाथ से खेती करने वाले हैं आज उनकी जमीनें जागीरदारों के पास पड़ी हुई है और वे चुप हैं। आखिर क्यों ?

मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन जमीनों पर काश्तकार सौ साल से काश्त करता चला आ रहा है, सौ साल से ही नहीं पीढ़ियों से काश्त करता चला आ रहा है वे जागीरदारों के नाम लिखी पड़ी हैं। उन जमीनों को जागीरदारों ने सन ४७ के बाद अपने नाम दर्ज करा लिया है। भोले भाले किसानों को पता नहीं कि उनके नाम जमीनें दर्ज हैं या नहीं। मैं इस बिल के सिद्धान्तों का विरोध नहीं करता, किन्तु विरोध करता हूँ उस तरीके का जो कि अपनाया जा रहा है जिसके जरिये से किसानों को खत्म किया जा रहा है; उनको खत्म नहीं किया जा रहा है जो कि जिन्दगीभर शोषण करते आये हैं, जो साधन सम्पन्न हैं, जिन्होंने जगह जगह किसानों को गोलियों से उड़वाया; मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के जिम्मेदार से जिम्मेदार नेता, राजस्थान के जिम्मेदार लोग, जो राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं उन लोगों के लिए कह सकता हूँ कि उन्होंने उन जागीरदारों को जो डकैत थे, जिन्होंने डकैतियाँ डाली हैं, किसानों को गोलियों से उड़वाया है, किसानों की खेती जलाई है, किसानों की ढानियां जलाई हैं; उनको Surrender के नाम से खुली छुट्टी दे दी गई है, उनके ऊपर से केसेज़ उठा लिये गये हैं और यह कहा जा रहा है कि हम आपके हैं; हम उन लोगों को जो डकैत बन गये थे उन्हें हमें अच्छे, सुनागरिक बनाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह का एक्सपेरीमेन्ट किया जा रहा है कि जो डकैत थे, जिन्होंने किसानों की ढानियां जलाई थीं, जिन्होंने किसानों को गोलियों से उड़ाया था और जो आज भी किसानों से कहते हैं कि क्या भूल गये उन दिनों को जब तुम्हारी ढानी जलाई गई थी, तुम्हारी खेती छीनी गई थी, उस आदमी को गोली से उड़ा दिया गया था, उनको मुआवजा इसलिए दिया जाय कि आगे उनके पास साधन नहीं रहेंगे ? अगर उस तरह की चीज़ है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उन लोगों को मुआवजा देकर वैसी ही चीजें आप कायम रखना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह का एक खिलवाड़ किसानों के साथ क्यों किया जा रहा है ? लोग यह कहते हैं कि इस तरह के तबके के लोगों की तादाद काफी है, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, छोटे जागीरदारों को मुआवजा नहीं दिया गया, जिनके पास जमीन की कमी है और साधन नहीं है अगर उनको खुदकाश्त की जमीन ज्यादा नहीं दी गई तो उनकी क्या हालत हो जायगी ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज राजस्थान के हरिजन, गरीबों और किसानों की क्या हालत है। गांवों के अन्दर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास, सौ में से पचास आदमियों के पास, एक-एक बीघा जमीन है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं ? जिनके पास साधन हैं, जो सम्पन्न हैं और जो परेशान नहीं हैं, उनके लिए तो आप कुछ करना चाहते हैं जो कि आगे भी चल सकते हैं। किन्तु आज ऐसे लोग भी हैं जिनको जिन्दा रहने की मुश्किल हो रही है, जो यह

(घंटी)

[श्री बलवीरसिंह]

सोचते हैं कि कल क्या होगा? क्या उनके लिए ख्याल किया गया है? साधन-सम्पन्न लोगों का तो ख्याल है, किन्तु उन गरीबों का ख्याल नहीं। तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जागीरदारी उन्मूलन कानून सीधा किसानों से ताल्लुक रखता है और इससे जितना उनका सम्पर्क है उतना जागीरदारों से नहीं है। राजस्थान विधान सभा के बनने के पश्चात् और कांग्रेस मिनिस्टरी में अविश्वास के प्रस्ताव आने के वक्त यह तय हुआ था कि बिना मुआवजा दिये ही हम दो महीने के अन्दर जागीरदारी समाप्त कर देंगे। तो उन्होंने हमें उस समय बात जो कही वह झूंठी कही गई थी? दो साल के बाद जो चीज सामने आयी है उससे पता चलता है कि नये जागीरदार क्रियेट किये जा रहे हैं। जागीरदारों को दूसरे ढंग से जागीरदार बनाया जा रहा है और इसी तरह से किया गया तो १०-१५ लाख की एवज में १। करोड़ लोग बता देंगे कि साम्यवाद को इस तरह से नहीं रोका जा सकता है। यदि १०-१५ लाख को बचा कर हम १। करोड़ को बचा नहीं सकते तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह का कार्य वह जरा सोच-समझ कर करें।

श्री अध्यक्ष—श्री शंभुसिंह।

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लेन्ड रिफोर्म्स और एबोलिशन ऑफ जागीर्स बिल पर जो अमेन्डमेन्ट बिल आया है वह हमने पढ़ा और उसके स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीज़न्स में जो बातें दर्ज हैं कि ओरीजिनल बिल पास होने के बाद और ओरिजिनल एक्ट बन जाने के बाद जो जागीरदार और सरकार के बीच जो निगोशियेशन्स चले उन निगोशियेशन्स को मेटीरियलाइज़ करने के वास्ते और उनको डाक्युमेन्टरी प्रूफ देने के वास्ते यह अमेन्डमेन्ट पेश किया जा रहा है। इस अमेन्डमेन्ट को पढ़ने के बाद और देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इसमें जागीरदार, क्षत्रिय महासभा और सरकार के बीच जो निगोशियेशन्स चले वे वहीं तक सीमित न रखकर आगे भी कदम बढ़ाया गया है और वह यह है कि पांच हजार से नीचे की जागीरें भी रिज़्यूम करने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, जागीरदार, क्षत्रिय महासभा और सरकार के दर्मियान जो निगोशियेशन्स चले थे उसमें पाँच हजार तक की जागीरों को रिज़्यूम करने के बारे में कोई बात-चीत नहीं हुई थी तो अब यह नयी बात इस अमेन्डमेन्ट में सरकार ने जो पेश की है वह किस मकसद से पेश की है, यह बात हमें समझ में नहीं आयी। अध्यक्ष महोदय, पाँच हजार से नीचे के जागीरदार और दूसरे जो हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी संख्या लाखों की है। उनकी जागीरें सौ रुपयों के लगभग और उससे नीचे की हैं। उनको हम जागीरदार कहलाने की वजह से ही भिन्न नहीं मान सकते। क्या जागीरदार कहलाने का ही पाप है कि वे किसानों से भिन्न समझे जावें और उनके साथ किसानों से भिन्न ट्रीटमेन्ट किया जावे? अध्यक्ष महोदय, इस कानून से तो जो लाखों ऐसे किसान हैं जो कहलाते तो जागीरदार हैं लेकिन हैं वास्तव में किसान और उसमें सब जाति के छोटे जागीरदारों का समावेश होता है, उनमें न केवल राजपूत ही हैं, किन्तु राजपूतों से भी इतर जाति के हैं तो उन लोगों के वास्ते जो व्यवस्था की गई है, उनका जो कुछ भी अधिकार था जमीनों पर किसान होने के नाते भी, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उन छोटे जागीरदार किसानों को अवस्था अब टिनेंटस की बनाई जा रही है, उनको अब रेन्ट पेयर बनाया जा रहा है। जो अब तक लेन्ड होल्डर्स थे उनको पहले

[रावत श्री शम्भूसिंह]

की दशा से गिराया जाकर उनको टिनेन्टस बनाया जा रहा है; अध्यक्ष महोदय, वह भी लाखों की तादाद में। अध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिए था कि राजस्थान के छोटे जागीरदार, किसानों के अलावा जो दूसरे किसान हैं उनको भी महज रेन्ट पेयर टिनेंट्स न रख कर सभी को लेन्ड होल्डर्स बना देते।

अगर उनका और सरकार का सीधा सम्बन्ध किया होता तो रेवेन्यू रियलाइज़ेशन रहता। अध्यक्ष महोदय, बरखिलाफ इसके जो कुछ भी लेन्ड होल्डर्स थे उनको टीनेन्ट बना दिया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि लेन्ड होल्डर जैसा कोई प्रश्न ही नहीं रहा।

अध्यक्ष महोदय, लेन्ड पेयर और लेन्ड होल्डर में भेद है, यह भलीभांति सर्व विदित है। जब कि राजस्थान सरकार एग्रीकल्चर इनकम टेक्स लगाने जा रही है तब भी लेन्ड होल्डर को बना देने में क्या अड़चन आती थी? अध्यक्ष महोदय, हमारे उस तरफ बैठने वाले मित्र जो अपने आपको महात्मा गांधी के चरण चिन्हों पर चलने का दावा करते हैं उन महात्मा गांधी का खुद का उद्देश्य यह कदापि नहीं था कि जो व्यक्ति इस परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में उनको दूर करके उनको और नीची अवस्था में ला दिया जाय। महात्मा गांधी ने सर्वोदयवाद चलाया था, जिसका यह अर्थ है कि जो व्यक्ति जिस अवस्था में है वह अच्छी अवस्था में रहे लेकिन जिन व्यक्तियों की अवस्था अच्छी नहीं उनके लिये, उद्योग करके उन व्यक्तियों को अच्छी अवस्था में लाने का प्रयत्न किया जाय, उनके लिये ऐसी व्यवस्था करे ताकि सब को समकक्ष बना दिया जाय। परन्तु यह जो होने जा रहा है, महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के विपरीत होने जा रहा है। इसमें प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों का भी पालन नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इंगलेण्ड में भी लेण्ड लॉर्ड्स हैं लेकिन वहाँ कदापि यह उद्योग नहीं किया जाता कि गवर्नमेन्ट और टिनेन्ट के दरम्यान सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जावे। लेकिन यहाँ जो मेज़र्स अपनाये जा रहे हैं अगर उनका एन्टी डेमोक्रेटिक मेज़र्स कहें तो कोई अनुचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जागीरी रिज़म्प्शन द्वारा होने वाले परिणामों का यदि आप अवलोकन करें तो उन परिणामों की एक बहुत बड़ी तालिका बन सकती है।

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, सभापति, ७-१५ बजे पदासीन)

मैं यह नहीं कहता कि जागीरों का रिज़म्प्शन नहीं होना चाहिये मगर जिस तरह जागीरों का रिज़म्प्शन हो रहा है और जागीरें रिज़म्प्शन होने के बाद परिणाम निकलने वाले हैं उनकी तरफ से आंखें मूंद दी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जागीरों के वक्त में जो लाखों व्यक्तियो का भरण-पोषण होता था उनके वास्ते इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस अमेन्डेड बिल में जो कुछ भी इनके लिए प्रोविजन है वह सिर्फ यह है कि कुछ व्यक्तियों को पेन्शन दे दी जायगी। तो आप सोचिये ऐसे पेन्शन लेने वाले तो बहुत कम व्यक्ति होंगे, बाकी व्यक्ति इस जागीरी एबोलिशन से बेकार हो जाने की सम्भावना है। राजस्थान में इस वक्त भी बेकारी बहुत है, अगर इनको कुछ काम नहीं दिया गया तो इन बेकारों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी जो जागीरी रिज़म्प्शन के कारण बेकार कर दिये गये। इनके वास्ते भी इस अमेन्डेड बिल में कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भूमिधर लोगों को भूमि-विहीन करने की अवस्था में लाने की चेष्टा की

Page No.51

[रावत श्री शम्भूसिंह]

गई है उसी प्रकार जो लोग काम में लगे हुए थे उनको भी बेकार बनाने की तरफ यह एक कदम होगा। एक्स्प्लॉइटेशन के वास्ते कहा जाता है। जागीरदारी प्रथा एक्स्प्लॉइटेशन का एक बहुत बड़ा रूप है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ कोई की वास्तव में एक्स्प्लॉइटेशन नहीं, खास तौर से उस हालत में जब कि लेन्ड होल्डर और टीनेन्ट के बीच रेन्ट सेटल हो जाता है। न कोई एक्स्प्लोइटेशन का सवाल है और न कोई और ज्यादती का सवाल रहता है।

सभापति महोदय, हम देखते हैं कि जागीरी रिज़म्पशन के बाद और लेन्ड रिफोर्म्स के बाद भी जागीरी का किसान को वही लगान देना होगा जो खालसा का किसान दे रहा है। ऐसी अवस्था में इनके रहने से किसी प्रकार की बाधा होने की संभावना नहीं। यह संभावना जरूर है कि वह किसान ऐसे क्लर्क्स के हाथों में छोड़ दिया जायगा जो अपनी मरजी से उसको डील विथ (deal with) करेंगे। तो जो एक्स्प्लोइटेशन किया जाता है और उसका औचित्य हम देखते हैं तो यह निष्फल जाते हैं। इसके अलावा टीनेन्ट और सरकार के बीच सीधे संबन्ध की जो बात कही जाती है वह कोई आवश्यक नहीं। लेन्ड होल्डर और सरकार के बीच सीधा संबन्ध होना वैसा ही है जैसा कि सरकार और टीनेन्ट के बीच होना।

एक्स्प्लॉइटेशन यदि देखा जाय तो वास्तव में कैपीटलिस्टस द्वारा हो रहा है इस वक्त, जो किसान है उसका एक्स्प्लॉइटेशन जमीन को रहन रखने वाले कर रहे हैं या मनी लेन्डर्स कर रहे हैं। मैं जब उनकी तुलना करता हूँ, जो जागीदार रेन्ट लेते हैं उनसे, तो मुझे यह साफ प्रतीत होता है किसानों का एक्स्प्लोइटेशन मनी लेन्डर्स द्वारा और मोर्टगेजीज़ द्वारा ज्यादा होता है बनिस्बत कि जागीरदार के।

सभापति महोदय, इस एक्स्प्लोइटेशन की तरफ से हमारी सरकार ने आँखें बन्द कर रखी हैं। जागीरदार जो सेटल्ड रेट लेते हैं उसका एक नारा बना दिया गया। यह एक तरह से पूजीपतियों की साजिश है। पूंजीपतियों ने देखा कि इससे देश में अशान्ति फैलेगी इसलिये जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिये उन्होंने इस प्रकार का नारा लगाया है; पूंजीपतियों के विरूद्ध जो आजकल का वातावरण बना हुआ है उसको कुछ समय के लिये टाला जा सके इस प्रकार से पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करके कब तक पूंजीपति अपने आपको कायम रख सकेंगे, यह देखने की बात है।

सभापति महोदय, जो इस बारे में निगोशियेशन्स हुई थीं और उनमें जो कुछ उदारता दिखाई गई है उसकी मैं सराहना करता हूँ। हमारे मुख्य मन्त्री महात्मा गांधी के चरण चिन्हों पर चलने का उद्योग करते हैं किन्तु उनके साथी इसमें कुछ बाधायें डालते रहे हैं। मुझे याद है कि इसी प्रकार का एक प्रश्न महात्मा गांधी के सामने जब वे जीवित थे सौराष्ट्र में राजकोट द्वारा उपस्थित हुआ था। जब वहां मि० ढेबर प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त राजकोट गवर्नमेंट के बीच इस प्रकार का झगड़ा उपस्थित हुआ था। अगर महात्मा गांधी होते तो आज जिस प्रकार से जागीरी समस्या

[रावत श्री शम्भूसिंह]

को यहां हल किया जा रहा है उससे किसी भिन्न प्रकार से यह समस्या सुलझाई जाती। जिस प्रकार राजकोट में महात्मा गांधी ने पहुँचकर इस मामले को सुलझाया उसी प्रकार यह मामला भी सुलझायी जा सकता था। मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महात्मा गांधी के फलोंग रहे हैं, लेकिन उनके जो फलोंग्ज़ है वे उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उनका हमेशा यह ख्याल रहता है कि समस्या को इस प्रकार हल किया जाय जिससे किसी में असन्तोष न हो। न मालूम समझ की कमी से या क्रिटिसिज़्म के डर से महात्मा गांधी ने जिस प्रकार समस्या को सुलझाया उस प्रकार से इच्छा होते हुए भी में समझता हूँ वे इस समस्या को न सुलझा सके; हालांकि महात्मा गांधी के सिद्धान्त के अनुसार चलने का उद्योग वे जरूर करते मालूम होते हैं।

तो सभपति महोदय, में बहुत दूसरी बातों पर चलने लग गया। इस अमेन्डमेंट बिल में जो यह व्यवस्था है कि पांच हजार के नीचे की जागीरें भी रिज़्यूम कर ली जावें तो मेरा ख्याल से यह कदापि उचित मालूम नहीं होता। असल बात तो यह कि डिस्क्रिमिनेशन मालूम होता था। यह हो सकता है कि सभी जागीरदारों के पास पांच-पांच हजार की जागीरें छोड़ दी जातीं और इससे ऊपर की सभी से रिज़्यूम कर ली जातीं। इस तरह से आप अगर करते तो न तो यह डिस्क्रिमिनेशन रहता और न यह असन्तोष ही किसी को होता। पर हुआ इसके बिलकुल विपरीत। जो छोटे जागीरदार हैं और जो करीब-करीब किसान के बराबर ही हैं उनको अपने लेन्ड होल्डिंग से वंचित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर जो अमेन्डमेंट दिये है इन बातों पर, इन अमेन्डमेंटस पर बोलते हुए विशेष प्रकाश डालूंगा और अभी तो इस पर इतना ही कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री ईश्वरीसिंह—यह जागीरदारी उन्मूलन बिल तीन साल से अटका हुआ था और जिसकी गाड़ी किसी तरह चलती हुई आज हमारे सामने आई। तो अभी कल से कुछ और चर्चा यहाँ सुनी कि इसे आते ही एक धक्का और दे दिया जावे तो यह तीन साल और यों ही निकल जावे। तो मैं आप लोगों से यह अर्ज करता हूँ कि अगर यह आपको नहीं करना था तो इसको छेड़ा ही क्यों। देश को बरबाद कर दिया जागीरदारों ने। इन्होंने सोचा कि आगे-पीछे हमारी जागीरें तो सरकार ले ही लेगी, इस बीच इसका पूरा-पूरा फायदा दूसरी तरह से उठावो और इसमें सरकार के रास्ते में रोड़े अटकाओ। इन्होंने इस तरह से सारे देश को बरबाद कर दिया। तो या तो इस काम को छेड़ना नहीं था और यदि छेड़ा तो पूरा करना था। इसे एक हव्वा बना लिया जागीरदारों ने। कहने लगे कि इसे छेड़ा गया तो एक बहुत बड़ा तूफान हो जावेगा। तो तूफान ही अगर हो जाता तो गवर्नमेंट में इतनी बड़ी ताकत है कि निजाम हैदराबाद जो इतनो बड़ो तूफान मचायो उसे सरकार ने एक सप्ताह में हाथ में ले लिया और फिर राजस्थान में २२ रियासतें थीं इनको एक ही दिन में पटेल साहब ने आकर काबू में कर लिया। कोई भी राज्य गड़बड़ाया नहीं। तो ये जागीरदार ऐसे क्या हैं कि सारी दुनिया

[श्री ईश्वरीसिंह]

को उथल-पुथल कर देंगे। परन्तु नहीं आज तो सच्चाई आ है कि आज तो कांग्रेस में ये लोग टोपी बदल-बदल कर आ गया और १९-२० जागीरदार इस पार्टी में आ गये, इस मतलब से कि उनके काम में फायदा होगा।

और दूसरी चीज जसवन्तसिंहजी यह भी कह गये उसे भी देखो। ब्राह्मण राजपूत की जोड़ी तो सदा से चली आई है तो आज का हमारा चीफ मिनिस्टर भी ब्राह्मण है और जागीरदारों की मसलो राजपूतों को है। तो खुल्लमखुल्ला ही ये चीजें हैं। तो यह तो ब्राह्मण-राजपूतों को हित होगो। यह प्रजातन्त्र फिर कल्याणकारी प्रजातन्त्र कैसे हुआ ? यहाँ तो चमार भी, किसान भी, हर कौम अपना अपना हक सब रखना चाहते हैं और प्रजातन्त्र का फायदा तो यह है कि सबको अपना हक रखने का हक होना चाहिये। सब दुनिया काम करे है तो सबको उसका फल मिलना, चाहिये। पर मेरी समझ में यह नहीं आया कि तीन साल से यह चला आ रहा है और आज भी नीयत नहीं मालूम पड़े है इसको पास करने की, तो यह कल्याणकारी राज कैसे हुआ ? फिर अफसर ही बहुत हैं इसके लिए तो। बाकी की दुनिया की तो मैं कह क्या सकता हूँ। मेरे सीकर के ठिकाने की हीं बात है। वह ठिकाना सात-आठ लाख का है। उसको आज से अन्दाज अठारह साल पहले जयपुर स्टेट ने अपने हाथ में ले लिया और ठिकाने ने सात साल तक रावराजा के घर के पाँच-सात आदमियों के लिए ६० हजार रुपया खर्चा का कर दिया और वे भी चार अदमी थे लड़के-लड़की और एक राणी और राजा। तो चार आदमियों को साठ हजार कर दिया तो बहुत ज्यादा कर दिया।

आज उनको ७ गुना मुआवजा दिया जावे चार आदमियों के लिए तो कल्याणकारी राज तो उनके लिए है यह। आम जनता और गरीब किसान के लिए यह कल्याणकारी राज्य नहीं है, दुनिया के लिए नहीं है। दस हजार आदमी रह सकें ऐसे मकानात इन चार आदमियों के कब्जे में आ गये और सारी रियायत का धन इन चार ही आदमियों को मिल जावे, बाकी दुनिया त्राहि-त्राहि करती रहे, तो मेरी समझ में तो यह कल्याणकारी राज नहीं कहा जा सकता। यह तो अन्यायकारी राज कहा जाने लायक है। बातें करते हैं न्याय की और चलते हैं अन्याय के रास्ते पर। तीन-चार साल से यह बिल हमारे सामने है और अब जब आया तो हमने समझा कि अब तो पांच-सात रोज में पास होकर लोगों को कुछ थोड़ी बहुत राहत पहुँचावेगा, पर अब कुछ लोग इसे और धक्का लगाने की सोच रहे हैं कि यह तो कमेटी में दे दिया जावे। तो जब यह कमेटी में दे दिया जावेगा तो फिर यह असेम्बली किस वास्ते बनाई है कि जिसमें एक-एक लाख आदमियों के चुनाव से एक-एक आदमी यहाँ आया वे बेकार हो गये हैं क्या, उनकी तो मानो कोई कीमत ही नहीं रह गई है। पांच-दस आदमी जो कमेटी में हैं उनकी तो कीमत हो गई और यहां इतने आदमी हैं उनकी कोई कीमत नहीं।

यह भी कहा गया कि यह समझौता करके बिल आया है। क्षत्रिय महासभा से राय ली गई है, उससे समझौता करके यह बिल लाया गया है। क्षत्रिय महासभा कानूनन कोई नहीं होती उसको तो कानून में ले लिया गया मतलब के खातिर और कह दिया गया कि यह किसान और जागीरदारों

[श्री ईश्वरसिंह]

की राय है और किसानों को तो खबर ही नहीं कि यह समझौता किस तरह हो रहा है। तो मैं एक यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यदि इसका यहां ठीक तरह से निपटारा नहीं हुआ तो लोग, दुनिया यही समझेगी कि इस असेम्बली में जो लोग गये हैं उनमें दिमाग नहीं है। इस तरह से आप लोगों का दोष निकलेगा, आपका दिवाला ही निकलेगा, न्याय का काट हो जावेगा। इसलिए न्याय बने ऐसी चीज आप करो। पर अगर आप यह कहें कि जागीरदारी ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही दुनिया का घर बरबाद कर दिया जावे तो आज तक तो किसानों के हजारों घर बरबाद हुए, हजारों आदमी मर गये जिनकी सुनवाई नहीं हुई है। उनकी मर जाने को कीमत ही क्या है तो फिर वही होता रहेगा। किसान जो है सारी दुनिया का पेट भरता है पर उसका अपना पेट खाली ही रहता है। सारी दुनिया के लिए वह काम करता है पर सात पीढ़ियों से भी उनका पेट नहीं भरा, उस पर अत्याचार होता रहेगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि इसको अब ज्यादा आगे नहीं धक्का दो। इसको पास करके किसान लोगों का कुछ फायदा हो, ऐसी बात करो।

श्री भोपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय, का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि यह जो जागीरदारी एबोलिशन बिल पेश किया है उस वक्त उन्होंने शोषण का फरमाया है; शोषण करने वाले लोग थे उनको खत्म करना आवश्यक था इसलिए खत्म किया गया है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वे शोषण करने वाले लोग नहीं थे......

श्री जवानसिंह—ओन ए प्वॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, सर, क्या ऐसे इम्पार्टेन्ट बिल के समय किसी भी मन्त्री महोदय का उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है ?

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—इसमें कोई इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है, आप स्वयं देख सकते हैं।

श्री भोपालसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि यह शोषण करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि पोषक थे और इनको काश्तकारों ने खुद ने जागीरदारों को सिलेक्ट किया था और जागीरदारों ने उन काश्तकारों के लिए अपने सिर कटवाये हैं, उनकी रक्षा की है और उनको काश्त करने के लिए मौका दिया है। जब से यह जागीरी प्रथा चली है तब से काश्तकार और जागीरदार सहयोग से रहते आये हैं, यह वह कबूल करते हैं। ३०-४० वर्षों से ही नहीं बल्कि पहले उनकी हरेक पीढ़ी मस्तक कटाती आई है काश्तकारों के लिए। आप जो यहाँ देखते हैं वह गाँवों की चीज नहीं है। एक दो गाँव भले ही हो जांय जहाँ ऐसी स्थिति बिगड़ी हुई हो, लेकिन जागीर के गाँवों में काश्तकार बहुत सुखी हैं। उनकी हर वक्त जागीरदार लोग मदद को तैयार रहते है। जहाँ कि खालसा का गाँव है वहाँ कोई भी नहीं है। कोई भी दुराचार हो जाता है तो दौड़कर सब इन्सपेक्टर के पास जाते हैं तो उनको जो जवाब दिया जाता है तो वह अपना बिल्कुल मुँह मारकर घर आते हैं, मगर जहाँ जागीरदार रहता है और काश्तकार उसके पास आता है तो वह घर से बाहर

[श्री भोपालसिंह]

निकलकर जैसे भी हो कामयाब होता है। इसलिये यह शोषक नहीं, पोषक हैं। कुछ लोग लीडरी लेने के लिए आपस में धुक्कमफजीती करते हैं।

शोषक तो और भी कई लोग हैं; जैसे पूंजीपतियों की क्लास, जो कि काश्तकारों के शोषक हैं। वे पूंजीपति लोग हैं जो काश्त करने के लिए पैसा देकर दुगुना डेढ़ गुना ब्याज-बट्टा, लेकर उनके काश्त करने में रुकावट डालते हैं। जागीरदार लोग अगर शोषक होते तो जमीन पर जो उनका कब्जा था वह काश्तकारों को क्यों देते? वह कहते हैं कि काश्तकारों के पास जमीन नहीं है तो मारवाड़ और शेखावाटी के जो काश्तकार हैं वे लखपति और करोड़पति कैसे होते। उनके पास जो, कि शोषक कहलाते हैं आज एक पैसा नहीं है और जो काश्तकार हैं उनके पास २००-५०० तोला सोना आज मौजूद है। आज एक भी काश्तकार शेखावाटी और मारवाड़ा में भूखा नहीं है। अगर जागीरदार लोग शोषक होते तो वे भूखे क्यों नहीं रहते? जागीरदार काश्तकारों के सदैव पोषक रहते हैं। अगर कोई जागीरदार ऐसा है जो कि शोषक है तो उसको गवर्नमेंट द्वारा सजा दी जा सकती है और वहाँ पर एक्जीक्युटिव मुकर्रर किया जा सकता है और उसको जागीरों से हटाया भी जा सकता है, लेकिन जब तक काश्तकार उनको अपना हितु समझते हैं उनको इस तरह से खत्म करना वाजिब नहीं हैं क्योंकि उन्होंने काश्तकारों के लिए अपने मस्तक पीढ़ियों से कटवाये हैं। इसलिए उनको मुआवजा देकर खत्म नहीं करना चाहिये। मुआवजा उनको दिया जा सकता है जिनको कीमत के साथ जमीन मिली हो। जिनको कीमत के साथ जमीन नहीं मिली है उनको जमीन मिली है काश्तकारों का पोषण करने के लिए और काश्तकारों ने खुद ने जमीनें दिलाई हैं। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जब तक पूंजीपति खत्म नहीं कर दिये जाते तब तक जागीरदारों को खत्म करना वाजिब नहीं है। अगर आप समझते है कि सब लोग बराबर के स्तर में आ जायेंगे तो बगैर मुआवजा दिये ही उनको खत्म करना आवश्यक होगा, लेकिन यह हो कि एक जो अब तक राज करते आये हैं वे नीचे आ जायें और दूसरे लोग मौज करें तो वह इस कल्याणकारी राज्य में नहीं हो सकता है। सबका स्तर बराबर कर दिया जाय, तो जागीरदारों को कोई मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं समझी जायगी।

मेरा आपसे निवेदन है कि इनके लिए जैसा तरीका निकाला गया है जिससे कि इन जागीर के गाँवों में मेनेज़मेंट करने के लिए आपको काफी खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए उसमें जागीरदारों को ही क्यों न वहाँ पर उनकी देखभाल के लिए मौका दिया जाय और जिन जागीरदारों का इन्तजाम खराब हो उनका कन्ट्रोल सीधा गवर्नमेंट करे। तो इससे जागीरदारी प्रथा भी खत्म की जा सकती है और काश्तकारों का मामला भी ठीक हो सकता है।

मैं यह अर्ज़ करूंगा कि जागीरी प्रथा को खत्म करने के लिए उनको या तो कोई नौकरी दी जाय जिससे उनका विश्वास हो जाय या उनको जमीनें दी जायं काश्तकारी के लिए जिससे कि वे काश्त कर सकें। मगर समाज के अन्दर बराबर उनका स्तर रखने के लिए उनका विचार किया जाय। यह राज्य सबके हित का है, किसी वर्ग विशेष के हित के लिए ही नहीं है। यह सबके लिए कल्याणकारी राज्य होना चाहिये। ऐसी हालत में कुछ न कुछ ऐसा सुभीता किया जाय और फिर जागीरों का

[श्री भोपालसिंह]

उन्मूलन किया जाय तो बेहतर होगा। सबका स्तर बराबर करने के लिए पूंजीपति भी सबके बराबर होने चाहिए।

अब आप देखेंगे कि जो चीज बरसों से चली आ रही है उसको आप खत्म कर रहे हैं। आपका मन्त्रीमंडल का इतिहास यह बतलाता है कि २-४ वर्ष ही जो मन्त्री रह जाता है वह भी जब मन्त्री-मण्डल से खत्म होने वाला होता है तो वह भी इधर-उधर दौड़धूप करके उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश करता है, तो आप सोच सकते हैं कि जो आदमी पीढ़ियों से शासक रहते आये हैं वे क्या नहीं करेंगे। इसलिए मेरी राय में आप से यह अर्ज है कि सबका समान स्तर रखने के लिये पूंजीपतियों को भी साथ में खत्म कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। उस वक्त मुआवजा देने की कोई जरूरत नहीं रहती है।

श्री चाँदमल मेहता—जागीरदारी उन्मूलन (संशोधन) विधेयक पर २ दिन से सदन में विवाद हो रहा है। इस संबंध में माननीय राजस्व मन्त्रीजी के भाषण को मैंने ध्यान से सुना और संशोधन बिल और एक्ट और पन्त रिपोर्ट को मैंने आद्योपान्त पढ़ने की कोशिश की। माननीय चेयरमेन महोदय, भाषणों के सुनने और इन सबके आद्योपान्त स्टडी (study) करने के बाद में जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ वह नतीजा यह है कि इस विधेयक के मुताबिक जागीरदारों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जायंगी और किसानों को दी हुई सुविधाएं छीनी जायगीं और करीब २ अरब रुपया कम्पेन्सेशन या रिहेबिलिटेशन एलाउन्स के रूप में जागीरदारों को दिया जायगा और यह सब कुछ करने के बाद भी जागीरदारों को रिहेबिलिटेट करने की समस्या सही तौर पर हल नहीं हो सकेगी। जो कुछ नतीजा मैंने हासिल किया है वह यह है।

माननीय चेयरमेन महोदय, जहाँ इसमें खुदकाश्त की डेफीनिशन आई है उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है कि रेवेन्यू रेकॉर्ड में जो जमीन दर्ज है वह जागीरदारों की खुदकाश्त में आ जायगी। माननीय चेयरमेन महोदय, जागीरदारों ने इस संबंध में पहले से ही प्रीप्लान (pre-plan) बना रखा था कि किसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा जमीनें रेवेन्यू रेकॉर्ड में उनकी दर्ज की जायं और इस संबन्ध में उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। इस संबन्ध में मैंने समय समय पर इस सदन में अपने कट मोशन के द्वारा और प्रश्नों के द्वारा यह बतलाने की कोशिश की है कि जहाँ सर्वे और सेटिलमेंट हुआ है वहां ४०-५० प्रसेन्ट ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ किसानों की जमीनें थीं, किसानों के पास पट्टे थे, किसान बरसों से काश्त करते आ रहे थे, किसानों ने अपने निजी खर्च से कुआं और नाडों का निर्माण किया था, लेकिन वे जागीरदारों के नाम दर्ज कर दिये गए हैं। माननीय चेयरमेन, इस तरह के इन्द्राजात दर्ज होते हुए भी जब अधिकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि इस तरह से सर्वे और सेटलमेंट रेकर्ड में गलत बातें दर्ज हो रही हैं उनके दर्ज न होने की उचित व्यवस्था की जाय, तब भी उन्होंने इस तरह की व्यवस्था करने की कोई कोशिश नहीं की। आज भी इसी तरह के इन्द्राज कराये जा रहे हैं। अधिकारियों से मिलकर गैरवाजिब तरीके से नापी और गैरनापी जमीन अपने नाम लिखा ली है। आज हम उसी गलत बात पर मोहर लगाने जा

[श्री चाँदमल मेहता]

रहे है माननीय मन्त्रीजी के द्वारा। इस संबन्ध में जवाब देते वक्त कहा जायगा कि जो कुछ हमने किया है वह जाँच करके और रेकॉर्ड के आधार पर किया है।

पन्तजी की रिपोर्ट में दो तरह की बातें हैं। एक तो वे हैं कि जिनको हमारे मन्त्रियो ने और जागीरदारों के प्रतिनिधियों ने आपस में रजामन्दी से स्वीकार किया है और दूसरी बातें वे हैं जिनको पन्तजी ने फैसल किया है। जहाँ तक खुद काश्त को डिफेन्ड करने का सवाल है, पन्तजी का इस बारे में फैसला नहीं है। यदि उनके दिमाग में यह बात लाई जाती कि किसानों की जमीनों को बेजा तौर पर जागीरदारों ने अपने नाम से दर्ज कराई हैं तो पन्तजी ऐसी राय नहीं दे सकते थे। लेकिन पन्तजी की रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम होता है कि हमारे प्रतिनिधियों ने अपनी ओर से इस बात को स्वीकार किया है और पन्तजी की फाइन्डिंग इस बारे में नहः थी। इसके आगे मैं और चलता हूँ। सर्वे और सेटलमेंट के रेकॉर्ड्स में जो जमीन दर्ज है उससे भी आगे रेवेन्यु रिकार्ड में बढ़ गये हैं। जो इन्द्राजात लैंड रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज हैं उनको भी मान लिया है। उसका मतलब यह हुआ कि जागीरदारों ने कोशिश की कि गिरदावरी में उनका नाम दर्ज हो जाय और यह नाम आठ आनों के पैसे गिरदावर या पटवारी को देने से दर्ज हो सकता है, चाहे जैसा नाम बनाया जा सकता है और आगे पंतजी के सामने जो बातचीत हुई उसका फायदा उठाकर आठ आना या रुपया देकर इन्द्राज करवा लिये गये और उस जमीन को आज दिया जायगा उन जागीरदारों को जिन्होंने गलत इन्द्राज करवा लिये हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि जो कार्य भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने आज से पाँच वर्ष पहले किया था उस कार्य को आज यह मौजूदा सरकार इस संशोधन विधेयक से रद्द करना चाहती है। आज से ५ साल पहले भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने जागीरदारों के रेवेन्यु पोवर्स छीन लिये थे, २०० से ऊपर की रेवेन्यु को जागीरदारों द्वारा इकट्ठा करने के पोवर्स छीन लिये थे और प्रिन्सिपल एक्ट के शब्द भी ये हैं और उसमें यह व्यवस्था है कि इस एक्ट के फोर्स में आने के साथ ही साथ सारी लैंड रेवेन्यु की वसूली के पोवर्स सरकार के हाथ में आजायेंगी। लेकिन इस अमेन्डिंग बिल में इस तरह की बात रखी गई है कि ५००) रु० से ऊपर की जागीरों की लैंड रेवेन्यू वसूल करने की पॉवर्स सरकार के हाथ में आयेगी। तो जिन जागीरों के रेवेन्यु पॉवर्स भूतपूर्व राजस्थान की सरकार ने ले लिये थे वे आज फिर से उनको दिये जाने वाले हैं। उनको मौका दिया जाता है कि फिर से तुमको मौका दिया जाता है, तुमको पोवर्स दिये जाते हैं कि तुम गलत इन्द्राज करलो, गलत रेकर्ड बना लो और जितना करना चाहो कर लो। जिस बात को ५ साल पहले भूतपूर्व राजस्थान की सरकार ने किया और जिसको २ साल पहले मूल एक्ट में रखा उसके विपरीत ५०० रुपयों से नीचे की जागीरों की लैंड रेवेन्यू की वसूली जागीरदार ही करते रहेंगे। इसकी चर्चा न तो पंतजी की रिपोर्ट में है और न उनके फाइन्डिंग्ज़ इस प्रकार के हैं। बल्कि जो कुछ किया गया है वह इस सरकार द्वारा किया गया है। मैं इसका कोई कारण नहीं समझ पाया। जब इन दोनों चीजों के बारे में मेरे अमेंडमेंट आयेंगे तब मैं और कुछ कहूँगा। लेकिन मन्त्रीजी सोच रखें कि इससे क्या होने वाला है।

[श्री चाँदमल मेहता]

तीसरी चीज यह है कि मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी के उन शब्दों को याद करता हूँ जिनमें उन्होंने यह कहा था कि हम साबुन उद्योग के ऊपर दी गई सहूलियतें इसलिये छीन रहे हैं कि हम असमानता मिटाना चाहते हैं। आज यह मौका है उनको यह दिखाने का कि असमानता मिटाना चाहते हो या कायम करना चाहते हो। जागीरदारों के पास यदि जमीन है और निर्धारित मात्रा से ज्यादा है तो उनको हक हो जाता है और वे इस कानून द्वारा ज्यादा जमीन रख सकते हैं और यदि उनके पास जमीन कम है तो इसमें ऐसी व्यवस्था है कि किसानों से छीनकर जमीन उनको दे दी जायगी या भाखरा, चम्बल एरिया से चुनकर उनको जमीन दी जायगी। लेकिन यह नहीं सोचा गया कि यदि किसी के पास ज्यादा जमीन है तो उनसे लेकर किसानों को दी जायगी, किशनगढ़ में ८० प्रतिशत जागीरदार ऐसे हैं जिनके पास निर्धारित मात्रा से ज्यादा जमीन है जो यह जानते थे कि आगे जाकर ऐसा एक्ट बनाने वाले हैं जिसके जरिये रेवेन्यु रिकॉर्ड से दर्ज करा देने मात्र से जमीन पर हमारा कब्जा हो जायगा और उसका नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों किसान भूमि-विहीन कर दिये गये और आज वे मारे-मारे फिर रहे हैं।

इससे आगे मैं थोड़ा यह कहना चाहता हूँ कि जो बड़ी अहमियत की चीज है, वह यह है कि १० साल में २ अरब रुपये जागीरदारों को कंपेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन अलाउन्स के रूप में दिए जायेंगे। मैं इस बात का पक्षपाती हूँ कि जागीरदारों को रिहेबिलिटेट किया जाय और जिनके पास कोई साधन नहीं हैं उनको साधन दिए जाँय। लेकिन मैं इस बात का विरोधी हूँ कि किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा इस ढंग से लगाया जाय जिससे न तो जागीरदार रिहेबिलिटेट हो सकें और न उनका कोई भला हो सके। आज जागीरदारों की हालत किसानों से बदतर है। जब उनके पास इतने वर्षों तक जागीर रही तो उनकी बदतर हालत क्यों रही, इसका कारण है। कारण यह है कि जागीरदारों ने सोचा कि हमारे पास जागीर है और हम जागीदार हैं इसलिये हमें दूसरा काम नहीं करना है। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। उनका दिमाग और शारीरिक शक्ति जो राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र हित के कामों में लगनी चाहिये थी वह नहीं लगी। उनकी आदतें बिगड़ गईं, खर्च बढ़ गये और आमदनी सीमित रही और इससे आर्थिक हालत कइयों की बिगड़ गई। जब सगाई-शादी का मामला आता है तो यह देखते हैं कि किस के पास रिजक (धन) है और यदि रिजक है तो संबंध मिलता है नहीं तो कई आदमी कुंवारे रह जाते हैं और कई लड़कियों को संबंध नहीं मिलता है। रिजक की कीमत है। वे कितना काम करते हैं, देश के लिये कितनी शारिरिक शक्ति का उपयोग करते हैं; वे इसका उपयोग नहीं करते। उनके पास मुफ्त का जो पैसा आता है उसका उपयोग करते हैं। लेकिन उस पैसे का उपयोग राष्ट्र निर्माण में नहीं करते हैं। राष्ट्र निर्माण में शारीरिक और मानसिक शक्ति भी नहीं लगाते हैं। आज उनको सुधारने का मौका है। उनको यदि २ अरब रुपये दिये जायेंगे और वे इसी तरह दिये गये तो ये रुपये १० साल में खत्म कर दिये जायेंगे और इनके खर्च होने के बाद उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं रहेगी और उनकी हालत किसानों से बदतर होगी ही, क्योंकि वे मेहनत का कोई काम तो कर नहीं सकेंगे। देश में देने के बजाय इन बड़े और छोटे जागीरदारों को काम पर लगाने की व्यवस्था होती और हाथ से काम

[श्री चाँदमल मेहता]

करना सिखलाया जाता तो यह विधेयक महत्वपूर्ण होता। हमारा राजस्थान प्रान्त उद्योग के मामले में बड़ा पिछड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार उद्योगों को पनपाने के कार्य में असफल रही है। माननीय चेयरमेन, यदि इन २ अरब रुपयों से एक योजना बनाई जाती, मुल्क के औद्योगिक विकास के लिये और यह व्यवस्था की जाती कि कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन के रूप में जागीरदारों को जो कुछ भी दिया जानेवाला है वह केश मे नहीं दिया जायगा बल्कि उनको उद्योगों के शेअर्स लेने होंगे और उनसे जो प्रोफिट मिले उससे उनके गुजारे का जरिया होगा। यदि इस तरह की व्यवस्था की जाती तो बहुत अच्छा होता। इससे देश में उद्योग बढ़ता कई लोगों को काम मिलता और जागीदारों को भी काम पर लगाया जा सकता था। यदि ये इसे मंजूर करें तो उन्हें और मौका दिया जाय। इस तरह की व्यवस्था से एक बात यह होगी कि १० साल में उनको काम करने की आदत पड़ जायगी और सब तरह से अच्छा होगा।

उनको जो कम्पेन्सेशन का रुपया दिया जा रहा है उसकी बजाय उतनी ही रकम से इनके लिए शेयर्स खरीद लिए जाँय तो उसके डिविडेन्ड से इनका खर्चा चल सकता है और हमारे मुल्क के लिए इससे यह गुंजायश रहती है कि हमारे यहाँ जो बेकारी की समस्या है वह हल हो सकती है।

मैं समझता हूँ कि इस विषय पर पूरे विचार बताये जाँय तो बहुत वक्त लग सकता है परन्तु मैंने तो यह एक रूप रेखा रखी है कि उनको कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट की केश रकम न देकर उस रकम को जागीरदारों के हित के साथ-साथ मुल्क के हित में उपयोग किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष, मैं इस सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब इस सम्बन्ध में अमेंडमेंट आयें तो वे इसे गहराई से सोचें और जो यह विधेयक आ रहा है वह इस रूप में हो कि जो हमारे प्रान्त को आगे बढ़ाने, जागीरदारों को रिहेबिलिटेट करने के लिये और किसानों को आगे बढ़ाने के लिये हो, न कि पीछे हटाने के लिये।

मैं यही निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय उचित निर्णय दें।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय अध्यक्ष, दो दिन से इस बिल के सिद्धान्तों पर बहस चल रही है, जो आवश्यक नहीं है। फिर भी क्योंकि अन्य सदस्य इसके सिद्धान्तों पर बोल रहे हैं तो मैं भी अपने विचार इस विषय में प्रकट कर दूं।

कोई तो कहते हैं कि जागीरदारी प्रथा का अन्त इसलिए होना चाहिये कि जागीरदार लोग किसानों का खून चूसते हैं, जागीरदार शोषक हैं; इसलिये इस प्रथा का अन्त होना चाहिये। दूसरी बात यह कही जाती है कि जो टेक्स सरकार को दिया जाता है उसके लिए सरकार और किसानों

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

के बीच में तीसरा आदमी क्यों हो, इस कारण से जागीरदारी प्रथा का अन्त हो जाना चाहिये। कोई कहते हैं कि जागीरदारों के पास जो पैसा आता है उसका दुरुपयोग होता है इसलिये जागीरदारी प्रथा का अन्त होना चाहिये।

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि अगर संसार से शोषकों का अन्त करना है तो जो दूसरे बड़े-बड़े पूंजीपति हैं और गरीबों का खून चूसते हैं उनका भी अन्त कर दो।

जागीरदारों ने केवल शोषण ही शोषण किया है; यह कहना गलत है। हो सकता है कि कुछ जागीरदार ऐसे थे, पर कई जागीरदार ऐसे भी थे जिन्होंने जो बन्जर भूमि पड़ी थी, उसमें मेहनत करके कुए-कोटी बनवाए, उस जमीन को उर्वरा बनाया और किसानों को धन-सम्पन्न बनाया। वही किसान आज हमारे सामने बोल रहे हैं। यदि जागीरदारों ने उनका रक्त शोषण किया तो चुनाव लड़ने के लिए उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया था? अगर जागीरदारों ने उनका खून चूँसा तो फिर आज हम उनकी जो ऐसी तन्दुरुस्ती देख रहे हैं वह कहाँ से आ गई? इससे स्पष्ट है कि उनकी तन्दुरुस्ती, उनका विधान सभा में आ जाना, उनके लड़कों का बी. ए., एलएल. बी.. हो जाना, उनके पास गायों, बैलों और भैंसों का होना इस बात का प्रमाण है कि वे लोग धन-सम्पन्न हैं और इनकी अपेक्षा जागीरदारों की दशा बदतर है और कई जागीरदारों के पास तो दोनों समय खाने के लिए रोटी तक नहीं है। ऐसी दशा में जागीरदारों के लिए यह कहना कि उन्होंने किसानों का खून चूँसा है और वे धन-सम्पन्न हैं, यह ठीक नहीं।

लाखों बीघा जमीन बिड़लाजी ने खरीदी, वे जागीरदार नहीं। परन्तु एक असहाय बुढ़िया जिसके पास ५ बीघा जमीन है वह जागीरदार है। लाखों रुपयों की कीमत की जमीन नोहरों, बगीचों और बाड़ों के नाम से हजारों बीघा जमीन सेठों ने हड़प रखी है और राज्य को कहते हैं कि हमने पैसों से यह जमीन खरीदी है। ज्यादा से ज्यादा जो जमीन पैसों से खरीदी जा सकती है उसे तो सरकार नहीं लेती, तो फिर जो जमीन सिर कटाने से ली जाती है वह सरकार कैसे ले रही है?

जो मस्तिष्क विज्ञान के बल से सम्पत्ति बनाई जा सकती है; एक आदमी दुकान कर लेता है और उससे बुद्धि के बल पर लाखों करोड़ों की सम्पत्ति बना लेता है और वंश-परम्परा के अनुसार उस सम्पत्ति के उसके पुत्र-पौत्र आदि हकदार हो जाते हैं। तो वह बुद्धि जिसके बल पर ऐसा किया है उसका स्थान कहाँ है? मस्तिक में तो, उस सिर को कटाने से जो सम्पत्ति ली जाती है उसकी कीमत तो उससे अधिक होनी चाहिये। उन्होंने अपने रक्त से जमीन को प्लावित किया इसलिये उन्हें जमीन मिली। आज उस जमीन को उनके पास से कैसे छीना जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि ये लोग निटल्ले हैं, इनका इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है।

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

किसानों के लिए तो यह कहा जाता है और हमारे सामने काश्तकार बिल आने वाला है उसमें यह प्रोवीजन रखा है कि जो विधवा काश्तकार है उसकी जमीन दूसरा आदमी बो सकता है, फिर भी वह दूसरा आदमी पक्का काश्तकार नहीं होगा। काश्तकार की विधवा के लिए तो इतना अधिकार रखा गया है और कोई जागीरदार मर जाय, जिसने अपना सिर दे कर जमीन को उर्वरा और सम्पन्न बनाया, उसकी विधवा को यह अधिकार नहीं है !

हमें स्वराज्य मिला तो हमारा स्वराज्य ऐसा होना चाहिये कि सब प्रजा समान रूप से, अमन-चैन से रहे। राज्य चाहे जन-तन्त्र के रूप में हो या राज-तन्त्र के रूप में रहे, प्रजा हमेशा सुख और आराम चाहती है। उसको कॉंग्रेस के राज्य से, कॉम्युनिस्टों के राज्य से या राम-राज्य के राज्य से कोई मतलब नहीं, वह सुख और आराम चाहती है। तो आप बताइये कि जिस बुढ़िया के ५ बीघा जमीन है, उस पर वह किसी तरह जीवन यापन कर रही है, उसकी आप जमीन छीन लेते हैं और उसका जो मुआवजा देते हैं वह उसके लिये अदालतों में तहसीलदार के पास जा नहीं सकेगी तो उसे भूखों मरते-मरते प्राण देने पड़ेंगे। जागीरदारी प्रथा का अन्त हो चुका है पर उनके सुख से रहने का आपने क्या इन्तजाम किया है ? जो बड़े-बड़े जागीरदार हैं उनके लिये अच्छा इन्तजाम कर दिया है। उनके गढ़—किले हैं, उनके बम्बई में मकान हैं, दुकानें हैं, जमीन भी काश्त करने के लिये इतनी रह गई है कि वे लोग अपना निर्वाह अच्छी तरह कर लेंगे; पर जो छोटे-छोटे जागीरदार हैं, जिनके पास खुद काश्त के लिए एक बीघा जमीन भी नहीं है और फिर भी आपकी निगाह में जागीरदार हैं, एक बीघा जमीन का भी या एक पैसा भी जो जमीन का टैक्स लेते हैं वे आपकी निगाह में जागीरदार हैं। एक मन्दिर की पुजारिन या पुजारी जो ठाकुरजी की सेवा करता है उसको ५० बीघा जमीन इस काम के इवज में गुजारे के लिये दी हुई है, वह भी आपकी निगाह में जागीरदार है।

हम यह कह सकते हैं कि बड़े-बड़े राजाओं को खत्म किया गया तो उनको सुविधाएं दी गईं और उनको लाखों रुपया दिया जा रहा है। आज जिन छोटे जागीरदारों को खत्म करने जा रहे हैं उनके जीवन निर्वाह का आपने क्या सोचा है ? गरीब राजपूत हैं या और कोई भी हैं, जिनके पास जीवन-निर्वाह के लिए १०, २५, ५० बीघा जमीन है, उनके जीवन निर्वाह के लिए कोई इन्तजाम नहीं किया जा रहा है। आज इन छोटे-छोटे जागीरदारों की दशा काश्तकारों से भी गिरी हुई है। आज उनके लिए रक्त-शोषण की बात की जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि रक्त-शोषण करके कोई भी बड़ा होता है या छोटा, बड़े में रक्त शोषण की शक्ति हो सकती है या छोटे में ? छोटे-छोटे जागीरदारों को देखिये कि उनकी क्या दशा है, उनसे जो किसान प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं वे ज्यादा तन्दुरुस्त हैं। रक्त-शोषण वही कर सकता है जिसमें स्वयं में रक्त हो, शक्ति हो। तो यह किया जा रहा है कि जो बड़े जागीरदार हैं उनको तो खूब मुआवजा दिया जा रहा है और जो छोटे हैं उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। पहले यह कहा गया था कि ५००० से नीचे की जागीरें मुक्त रखी जाएंगी। वे लोग बेचारे इस खयाल में बैठे हैं कि हमारी तो जागीरें सुरक्षित हैं। उनको भी पहले इत्तला होनी चाहिये कि तुम्हारी जागीरें भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। आज आप लाखों मनुष्यों को बगैर उनको इत्तला किये,

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

और बगैर उन्हें किसी काम-धन्धे पर लगाए, अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिये, बेकार कर रहे हैं। क्या यही स्वराज्य का सिद्धान्त है ? बड़े-बड़े जागीरदारों को मुआवजा देने का प्रबन्ध करना ही अगर स्वराज्य का सिद्धान्त है तो मैं कह सकता हूँ कि यह गवर्नमेंट भाग्यवानों की, मालदारों की गवर्नमेंट है, गरीबों की नहीं। यह पक्षपात की गवर्नमेंट है। गरीबों का ऐसी सरकार कोई उद्धार नहीं कर सकती है। अगर सरकार का यही सिद्धान्त होता कि मजदूर किसानों को राहत मिले या फायदा हो तो गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी सभी जगह सेटलमेंट कर सकती थी और जहाँ सेटलमेंट हो गया है वहाँ पर वही लगान किसान को और वही लगान जागीरदार को देना होगा। किसान को १० बीघा का लगान उतना ही देना होगा जितना कि जागीरदार को देता। इसलिये किसान की ओर से कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति है तो किसान नेताओं की ओर से है और वह भी इसलिए कि उन्होंने जो आवाज उठाई अब कहीं उनकी नेतागीरी समाप्त न हो जावे; उन्हें अपनी नेतागीरी की चिन्ता है, उन्हें किसानों की चिन्ता नहीं।

वास्तव में प्रस्ताव तो यह होना चाहिये था कि इस जागीरदारी प्रथा को हटाने के पहले काश्तकारों के लिए कोई कानून बनता और बिल आता और उस बिल द्वारा सरकार काश्तकारों को अधिकार देती। उसके बाद यह देखना चाहिए था कि काश्तकारों को कितनी आमदनी है, उसके पास कितनी जमीन है, खुद काश्त की जमीन कितनी है। किसके पास ज्यादा जमीन है ? आया वह किसान के पास है या जागीरदार के पास ? अभी अगर आपने आँकड़े पेश कर दिये और बता दिया कि काश्तकारों के पास और जागीरदारों के पास जमीन बराबर है। मैं यह कहता हूँ कि जागीरदारों के पास १० हजार या कितनी ही जमीन है वह कितने ही लोगों में बाँटी जा सकती है, उसका कोई हिसाब नहीं। आप तो आँकड़ों में यही बतावेंगे कि जागीरदारों के पास लाखों बीघा जमीन है। मैं यह कहूँगा कि जागीरदारों के पास जमीनें हैं। मगर मैं यह कहूँगा कि क्या किसान को ही जमीन की आवश्यकता रहती है। जमीन को आवश्यकता सबको रहती है। किसी को गाय रखने के लिये तो किसी को बाग रखने के लिये, किसी को कुछ करने के लिये और किसी को कुछ करने के लिये। हम हजार बीघा जमीन ले कर बैठ गये हैं और उसका पट्टा हमारे पास है, उसका पट्टा केन्सल करने की शक्ति किसी की नहीं है। मगर जो विधवाएँ हैं, जो खेती कर नहीं सकती, पर्दानशीन हैं, जिसके पास ५० बीघा या १० बीघा या ३० बीघा जमीन है और उसकी आमदनी से उनको १००) या १५०) या ५०) रुपये आमदनी के मिलते हैं जिनसे वे अपना पेट पालती हैं उनकी रक्षा कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। नाबालिग, विधवाएँ, अपंग पुरुषों की रक्षा का भार हर गवर्नमेंट पर है। हर गवर्नमेंट उनका प्रबन्ध करती है और यह जिम्मेदारी इसलिये हर गवर्नमेंट की रहती है कि देश में बेकारी न फैले। देश में बेकारी न फैले, देश में शान्ति रहे; अपंगे, नाबालिग बच्चों और विधवाओं आदि की जिम्मेदारी सरकार की है कि वे भूखे न मरे। अगर कोई भूखा आदमी मर-मिटने को तैयार हो जावे और बुरे से बुरा काम करने को तैयार हो जावे तो उसमें उस व्यक्ति का क्या दोष है ? दोष तो है भूखों मारने वाले का, जो उसके खाने का प्रबन्ध नहीं कर सकता या उसको कोई काम नहीं दिला सकता। किसी व्यक्ति के पास ५० बीघा जमीन है और उसने काश्त करने के लिये किसी दूसरे को

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

वह जमीन दे दी। उस व्यक्ति ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और जब वह अपना कब्जा लेने के लिये आया तो उसको निकाल दिया, हासिल उसको देना बन्द कर दिया। अब हासिल उसको मिल नहीं रहा है, जमीन दूसरे लोगों ने दबा ली, उसकी कोई सुनता नहीं, उसके पास पैसा नहीं, उसके सामने शांति और व्यवस्था का कोई सवाल नहीं रहता। उसके पास तो अपने पेट को पालने का सवाल है। इसके लिये उसको कुछ न कुछ करना ही होगा क्योंकि पेट सबको विवश कर देता है।

अभी यह कहा गया कि देश के लिये कितना त्याग करना चाहिये। देश के लिये कितना त्याग करना चाहिये, यह सब जानते हैं और त्याग करना हर नागरिक का कर्तव्य है। मगर मैं यह कहूँगा कि त्याग तो एक ऐसी वस्तु है जो अपनी मर्जी से किया जाता है और उसमें जबरदस्ती नहीं होती। त्याग तो स्वेच्छा से होता है। कानून बना कर और लोगों पर जबरदस्ती करके कराया गया कार्य त्याग नहीं कहलाता और वह त्याग नहीं माना जाता। ऐसा त्याग तो एक प्रकार का आडम्बर है। आज कितने ही लोग कांग्रेस के प्लेज pledge भर दें या और किसी संस्था के सदस्य बन जावें किन्तु अगर उनके मन में स्वार्थ की भावना रहती है तो मैं कहूँगा कि उनके लिये इस प्रकार के प्लेज भरने का कोई मूल्य नहीं रहता। अगर एक आदमी इस प्रकार का आडम्बर करके मिनिस्ट्री में आ जाता है तो वह अच्छी चीज नहीं। आज आप उस व्यक्ति को, जो मिनिस्टर बना है, जो क्लर्क है उसको और जो किसान है उसको देखिये। सब दिमाग से काम करते हैं। मगर एक वे महानुभाव हैं जिन्होंने सिर कटा कर जमीन प्राप्त की है, जिन्होंने सदियों से जिस जमीन को अच्छा बनाया, उसमें खाद डाली, वृक्ष लगाए, कूए बनाए। उनकी मेहनत का आज कोई मूल्य नहीं। आज विधवाओं की जो जमीनें हैं, जिनका वे खुद आ कर काश्त नहीं कर सकती थीं, दूसरों को काश्त करने के लिये दी, उन लोगों ने उस जमीन के पट्टे करा लिये अपने नाम पर। जिन वृक्षों को उन्होंने जा-जा कर खुद सींचा था आज वे ही वृक्ष काट-काट कर शहरों में बेचे जाते हैं। मैं उनको पकड़वा सकता हूँ। शेखावाटी में मैं यह अपनी आँखों से देख रहा हूँ। उन वृक्षों को काटना और विधवाओं की जमीन को दूसरों को दे देना और दूसरों की जमीन दबा लेना, यदि इस राज्य में ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया गया तो मैं यह कहूँगा कि वह एक इन्साफी और लोक-कल्याणकारी राज्य नहीं है और अगर वह राज्य लोक-कल्याणकारी राज्य होने का दावा करता है तो मैं यह कहूँगा कि स्वराज्य में उसे लोक-कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता।

बस मैं इतना ही कह देना चाहता हूँ कि अगर सरकार ५००० से कम आमदनी की जागीरों को समाप्त करना चाहती है तो सबसे पहले उसको चाहिये कि काश्तकारी बिल लाए और उसके बाद खुद काश्त का उन लोगों के लिये प्रबन्ध हो और बाद में यह ५००० से कम आमदनी वाली जागीरों को खतम करने की प्रथा का प्रश्न अपने आप हल हो जावेगा। पहले इसका इन्तजाम कर दें। सरकार हमारे-लाखों आदमियों को जिसका इससे सम्बन्ध है भूखे मारे और वह भी इस प्रकार का कानून बना कर, तो इसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि उनके पास बहुमत का लठ है

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

और वह जो चाहे करा सकती है, जहाँ चाहे, जिसे चाहे वह बहुमत का लट्ठ मार दे; तो मैं यह कहूँगा कि यह कोई न्याय नहीं होगा, कोई मानवता नहीं है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

इसलिए मैं यह कहूँगा कि आप भले ही बहुमत के बल पर जो चाहें कर लें मगर वास्तव में जो कुछ आप करने जा रहे है वह कोई न्याय नहीं। न्याय तो यह है कि आप गरीबों के लिये, विधवाओं और नाबालिगों के लिये पहले से इन्तजाम करें। तभी यह कल्याणकारी, लोक राज्य सही माने में होगा। बस यही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Deputy Speakr. Sir, I move that the Debate be closed.

श्री अध्यक्ष के प्रति अविश्वस के प्रस्ताव सम्बन्धी

श्री उपाध्यक्ष—पेश्तर इसके कि मैं इस सम्बन्ध में अपना कोई निर्णय दूँ एक बात सदन के सामने रखना चाहता हूँ। उस रोज जब कि स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की बात चल रही थी और चीफ मिनिस्टर ने कन्वेन्शन के तौर पर एक प्रस्ताव पेश किया इजाजत देने के सिलसिले में, जैसा कि दूसरे विधानों के सम्बन्ध में है कि सदस्यों की तादाद मुकर्रर कर दी जावे और वे सदस्य उस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करें, तो उस पर इजाजत दी जावे। उस पर बहस हो रही थी और बहस में कुछ ऐसा तनाव हो गया था कि उसके संशोधन और जो प्रस्ताव विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने रखे थे उनको मैंने ना मन्जूर किया। साधारण तौर पर उनको इजाजत दी जाती। परन्तु जो वातावरण उस समय पैदा हो गया था उसको देखते हुए अनुचित समझा गया कि उस बात को और बहस में डाला जावे। चूँकि विरोधी दल के कतिपय सदस्य यह चाहते हैं कि उनको यह अवसर दिया जावे अतः मैं समझता हूँ कि सदन की इसमें अनुमति होगी कि उनको इसका मौका दिया जावे और इसलिए मैं उनको मौका देता हूँ कि वे संशोधन के प्रस्ताव पर, जो चीफ मिनिस्टर ने प्रस्ताव रखा था उसके ऊपर जो संशोधन के प्रस्ताव थे उनको मूव करें। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भाषण दिये जावें वे इस हाउस की डिग्निटी (शोभा) के लायक हों और संक्षेप में हों ताकि कहने की वास्तविक बात कह दी जावे और उसके कहने से कोई भी तनाव का वातावरण नहीं हो।

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९५४.

(पूर्व क्रम से)

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष जी........

श्री मथुरादास माथुर—I move that the Debate be closed now. I have consulted the Leader of Opposition. Many members from the opposition have spoken. As a matter of fact we had submitted obout 15 names out of which

Page No.65

[श्री मथुरादास माथुर]

only two have spoken. Since half an hour was taken by the Chief Minister I consulted the Opposition Leader and after that I have moved this closure. I hope that oppesition members have already had opportunity to ventilate their feelings on this issue.

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.........

श्री मुक्तिलाल मोदी—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, हमारे एजेन्डा में नहीं है जो कुछ आपने कहा है। मैंने एक चिट्ठी लिखकर सेक्रेटरी साहब को दी थी कि मैं जागीर एक्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ। अब तक मुझे समय नहीं दिया गया है।

जब एजेन्डा की चीज़, जो आपने बतायी नहीं आई है तो फिर बीच में वह चीज़ क्यों ली जाती है ?

(घंटी)

मैं जब खड़ा हो गया तो क्लोज़र मूव अप नहीं किया गया था।

श्री मथुरादास माथुर—The debate on general discussions be closed. The Minister concerned will reply tomorrow and the rest be closed now.

राज श्री हिम्मतसिंह— मेरा ऐसा ख्याल है कि स्पीकर महोदय से यह मामला तय किया हुआ है और उसके अन्दर दूसरी बातें पैदा करना ठीक नहीं होगा। ऐसा तय हो चुका है कि यह डिबेट कल सुबह भी जारी रहेगी क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं। सो बीच में इस कारण से यह नई बात पैदा हो जाना प्रोग्राम के खिलाफ है।

श्री मथुरादास माथुर--Why not consult your leader first. It is with his concurrence that I have moved closure.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It will be better if the Hon'ble friend consults him over again.

श्री उपाध्यक्ष—यह जैसा कि मेरे सामने है.........

(चुप्पी)

उनकी सम्मति से भी यह प्रस्ताव लिया जा रहा है। अब रहा यह कि जो आम बहस जागीर रिज़म्पशन के बारे में हो रही है वह बन्द की जावे या आगे जारी रक्खी जावे ? इस बारे में

Page No.66

[श्री उपाध्यक्ष]

अभी निर्णय स्थगित रख कर पीछे दिया जा सकता है। लेकिन इस समय संशोधन सहित प्रस्तावों को लिया जावे यह उनकी सम्मति के साथ इस वक्त यह बात सामने रखी गई, वरना इसको और किसी समय लिया जा सकता था। चूँकि अगर बहस, जैसा कि सदन चाहेगा और आगे बढ़ाने की राय होगी तो उस पर विचार करके निर्णय बाद में दिया जावेगा। इस समय जो संशोधन के प्रस्ताव हैं जिनकी इस समय यहां बहस है उनको लेकर बहस बन्द की, जावे यह उचित होगा या नहीं? लेकिन यह विरोधी दल की ओर से विचार करने की बात थी।

(विराम)

यह अभी बात हुई है कि जो साधारण बहस जागीर रिज़म्पशन एक्ट के बारे में अब तक हुई है वह काफी है और किसी को विशेष बात कहनी होगी तो जिस समय बिल के क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पर विचार किया जावेगा उस वक्त उनको काफी मौका रहेगा। यह राय विरोधी दल के नेता की है और अब जब कि क्लोजर का मोशन सामने आ गया है तो.........

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर......

श्री **जवानसिंह**—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर......

क्लोज़र का जो मोशन मूव किया गया है वह प्रोपर फोर्म में नहीं है, जिस तरह कि क्लोज़र का मोशन मूव अप किया जाता है। No proper from, इसलिए इसको मूव नहीं समझा जाय, यह मेरा निवेदन है।

श्री **भैरोंसिंह**—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर माननीय उपाध्यक्षजी, जब क्लोजर मूवअप किया गया था तो उसके पूर्व एक माननीय सदस्य भाषण देने के लिए खड़े हो गये थे। मै समझता हूँ कि पहले उनको खड़े होकर अपने विचार व्यक्त करने दिया जावे।

उपाध्यक्षजी ने फरमाया कि विरोधी दल के नेता ने समझ लिया है कि बहस काफी हो गई। यह विरोधी दल के नेता ने सभी मेम्बर्स की राय लेकर नहीं कहा होगा। यदि राय ली होती तो वे अवश्य कहते कि अभी कई सदस्यों को इस पर विचार व्यक्त करना है। अतः में उनके इस प्रकार कहने का विरोध करता हूँ। रूल ९६ के मातहत यह है कि:

"At any time after a question has been proposed a member rising in his place may move, 'That the question be now put' and unless it shall appear to the Chair that such a motion is an abuse of the rules or an infringement of the right of reasonable debate the question, 'That the question be now put' shall be

[श्री भैरूँसिंह]

put forthwith and decided without amendment or debate." तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूँगा कि इस विषय पर अभी तक बहस पूरी नहीं हुई है। पहले यह तय किया जा चुका है कि कल नहीं, तो कम से कम आज इस विषय पर बहस होगी और दूसरे दल की ओर से कहा गया था कि १५ सदस्य बोलने वाले हैं। अतः स्पष्ट है कि अभी जो कुछ उन्होंने कहा है वह विरोधी दल के सदस्यों को देखकर ही कहा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को समय मिला या नहीं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—नहीं मिला। पहले लिखकर भी दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—अभी क्लोज़र मोशन को मैं अलाऊ नहीं करके मि० मोदी से कहूँगा कि वे थोड़े में अपने विचार रख दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्षजी, आज जागीर का जो कानून धारा सभा के अन्दर आया है वही कानून सन् ५२ में एक्ट बन गया था। अब इसको अमेन्डेड (amended) रूप में लाया गया है जिससे जागीरदारों को कितना मुआवजा मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि दुनिया के सब अखबारों में और कांग्रेस पार्टी में यह बताया गया है कि पंडितजी ने और पंतजी ने इस पर फैसला दे दिया है, किन्तु सारी रिपोर्ट पंडितजी और पंतजी के पास नहीं रखी गई। जैसी कि आज राजस्थान के किसानों की हालत है और उन किसानों ने इतना त्याग करके अपनी जमीन के ऊपर किसी तरह से भी थोड़ा बहुत कब्जा कर रखा है।

तो एक्ट बनने के बाद वह कब्जा भी हट जायगा ऐसा एक्ट सरकार की तरफ से आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जागीरदारों को मुआवजा दिया जाता है। वे जागीरदार जो पुराने जमाने में पंच की तरह से माने जाते थे उन्हें हमेशा के लिये इस एक्ट के द्वारा पूँजीपति बना दिया गया है, वे मनुष्य हैं, परमात्मा नहीं। यदि इन जागीरदारों को मुआवजा भी नहीं दिया जाय तो ये कोई भूखों मरने वाले नहीं। जैसे कि कोई आदमी जब जन्म लेता है तो उसके पास न किसी प्रकार का धन होता है और न मकान और न किसी प्रकार की वस्तु वह साथ में लाता है किन्तु आज जागीरदारों को उदारता का सुबूत राजस्थान की जनता के सामने देना चाहिये कि वे किसी प्रकार का एक पैसा भी नहीं लेंगे और जागीरी खत्म करेंगे। इस तरह से अगर कॉंग्रेस पार्टी में आते हैं तो हमेशा के लिये हम धन्यवाद देंगे और इसके पास करने में सहयोग देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि जो कुछ किया गया है वह किसानों का भला करने के लिये नहीं बल्कि अपना पेट का भला चाहने के लिये किया है और अपना फायदा करने के लिये किया गया है और कॉंग्रेस में वे इसी उद्देश्य से शामिल हुए हैं। ऐसा भी सुना जाता है कि जागीरदारों ने मुआवजा तय करवाने के लिये चन्दा किया जो करीब २ लाख रुपये का था, जो कुछ कॉंग्रेसी भाइयों को दिया गया ताकि उनका मुआवजा ठीक तरह

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

से तय हो सके। इस प्रकार का आर्थिक प्रलोभन भी इन जागीरदारों की तरफ से कुछ कॉंग्रेसियों को दिया गया और यह भी कहा गया कि इस तरह से यदि मुआवजा तय हो जायगा तो हम कॉंग्रेस में भी शामिल हो जायेंगे। जब इसी हाउस में इन्हीं चीफ मिनिस्टर महोदय के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया था उस समय हमारे मौजूदा मुख्य मन्त्री ने प्रान्तीय कॉंग्रेस कमेटी को यह कहा था कि हम जागीरी प्रथा को बिना मुआवजा दिये समाप्त करेंगे। आज जो ये बातें कर रहे हैं, जागीरदारों को जो मुआवजा दे रहे हैं यदि इस प्रकार की बातें उस समय की होतीं तो आज हमारे ये मुख्य मंत्री नहीं रह सकते। किन्तु उस दिन तो हमको विश्वास दिलाया गया कि हम जागीरें नहीं रखेंगे, जागीरदारों को मुआवजा भी नहीं देंगे। इस तरह से कई प्रकार के वायदे किये जब कि उनकी कुर्सियाँ हिल रही थीं। उस वक्त मैं भी कॉंग्रेस पार्टी का मेम्बर था। आज जब वे मिनिस्टर बने बैठे हैं तो जो कुछ भी वायदे कॉंग्रेस के सामने इन्होंने उस समय किये थे सबको ताक पर रख दिया। आज वे किस दुनियाँ की तरफ जा रहे हैं, यह इस बिल से पता चलता है। आज शर्म आनी चाहिये कि किसानों को भूखों मारकर वे जागीरदारों का समर्थन कर रहे हैं। जब से कांग्रेस का जन्म हुआ, करीब ५०-६० वर्ष से जो जागीरदारों का विरोध करते आ रहे थे आज वे ही जागीरदारों का समर्थन करने के लिये तैयार हो गये, यह बड़े दुख की बात है। जागीरदारों ने हमेशा किसानों के खून को चूसा है, उनके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार किये हैं। उन कांग्रेसियों का समर्थन करना उनके लिये कहाँ तक ठीक है? यह इस बात का सबूत है कि कांग्रेस जिस ध्येय के लिये आज तक लड़ती आ रही थी आज अपने स्वार्थ के लिये उन जागीरदारों का समर्थन कर रही है, जिन्होंने हमेशा गरीब जनता पर अत्याचार किये। आज यह सुनकर सारी राजस्थान की जनता आश्चर्य में पड़ी हुई है कि कांग्रेस को क्या हो गया कि जिन जागीरदारों का वह विरोध करती थी आज उन्हीं का वह समर्थन कर रही है। जिस समय अविश्वास का प्रस्ताव आया था उस समय यह कहा जाता था कि जिन जागीरदारों के खिलाफ हमेशा कांग्रेस रही क्या आप उन्हीं के हाथों सत्ता सौंपना चाहते हैं; अगर जागीरदारों की हुकूमत रही तो ये हमें मरवा देंगे, कटवा देंगे। इस प्रकार की बातों को लेकर कांग्रेस ने अपनी सत्ता रखी। आज वे ही जागीरदारों का समर्थन कर रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है। जिन जागीरदारों के लिए हम कहते थे कि ये जागीरदार किसानों पर अत्याचार करते हैं; आज उनका समर्थन कर अपने उसूलों से दूर जा रहे हैं। ये ही बातें उस समय की होतीं जिस समय अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो आज कांग्रेस की सरकार हमें राजस्थान में दिखाई नहीं देती। हम लोगों को धोखा दिया गया, हमारे साथ बेईमानी की गई। आज वही कांग्रेसी सरकार जागीरदारों को साथ लिये हुए है, यह कोई अच्छा नहीं है। इसका नतीजा बुरा होने वाला है। मैं ये सब बातें किसी कॉम्युनिस्ट पार्टी की ओर से या रामराज्य परिषद की ओर से नहीं कह रहा हूँ किन्तु मैं एक सिद्धान्त को सपोर्ट कर रहा हूँ, जिस सिद्धान्त पर हम वर्षों तक चले हैं। जिन जागीरदारों ने अन्याय किया, अत्याचार किया आज उन्हीं को पनपा रहे हैं। वे लोग खुद अपना फायदा करना चाहते हैं इसलिये कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। उनमें यदि त्याग की भावना होती तो जागीरदारों को कभी नहीं पनपाते। अविश्वास का प्रस्ताव आया था उस समय कहा गया था कि यदि जागीरदारों की गवर्नमेंट आ जायगी तो किसानों पर और दूसरे लोगों पर अत्याचार करेंगे और पहले जैसे लोगों को पीटते थे उसी तरह क्या जागीरदारों

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

के कांग्रेस में मिलने पर क्या वे यह कार्य नहीं करेंगे ? वे इस वक्त तो ऐसी बातें कहेंगे क्योंकि उनको अपनी जागीरें कायम रखनी हैं। मनुष्य ने जो जुबान से कह दिया वह करके दिखाना चाहिये। जो अविश्वास के प्रस्ताव के समय वादे किये थे, आश्वासन दिये थे उन पर आप कायम नहीं रह रहे हैं इसलिये आपको अपने पद से हट जाना चाहिये। मनुष्य की जुबान दो नहीं है, जो कुछ भी कहते हैं वह करना चाहिये। गांधीजी के सिद्धान्तों का जो अपने आपको अनुयायी मानते हैं वे आज गांधीजी के सिद्धान्तों से गिर रहे हैं। बस मैं इतना कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय राजस्व मंत्री ने इस अमेन्डेड बिल को प्रस्तुत किया उस समय माननीय मंत्री ने जिस विषय पर ज्यादा जोर दिया वह यह था कि इससे एक सद्भावनापूर्ण वातावरण तैयार हुआ है और एग्रेरियन रिफोर्म्स सद्भावनापूर्ण वातावरण में किये जाते हैं, उसका समाज पर बहुत अच्छा असर होता है। मैं आपकी इन बातों से और आपकी इस प्रकार की राय से सहमत हूँ किन्तु इस प्रकार के एग्रेरियन रिफोर्म्स सद्भावना के आधार पर किये जायं। उनमें यह देखना पड़ता है कि सद्भावना के कारण कहीं हम मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल तो नहीं जा रहे हैं। अगर हम उनसे विपरीत जाते हैं तो कोरी सद्भावना जो मिलती है ऐसी सद्भावना का विशेष लाभ नहीं हो सकता।

जिस समय राजस्थान में इस प्रकार का कानून आया, लोग कई दिनों से इस बात की प्रतीक्षा में थे कि इस कानून पर जल्दी से जल्दी अमल होगा लेकिन जिस तरह से माननीय मंत्री ने फरमाया कि कई अड़चनें आई जिस कारण इसका इम्प्लीमेन्टेशन (implementation) नहीं हो सका। इस इम्प्लीमेन्टेशन के बीच दोनों दलों में आपसी वार्तालाप हुई और उसीका नतीजा यह है कि यह संशोधित बिल आज विधान सभा के सामने है। जो अड़चनें १६५२ में इस बिल को कार्य रूप में परिणत करने में आ रही थीं उन्हीं अड़चनों को मुख्य रूप से इस संशोधित बिल को प्रस्तुत करते समय देखना चाहिये था किन्तु उस सद्भावना के वातावरण में उन मूल खामियों को माननीय मंत्री भूल गये। जिस समय राजस्थान हाई कोर्ट में उस मूल कानून के खिलाफ रिट्स लाई गई थीं तो उस समय कई मुद्दे ध्यान में लाये गये, जिन मुद्दों के आधार पर इस कानून को रद्द करार दिया जा सकता था। मैं यदि गलती नहीं कर रहा हूँ तो यह कहना है कि केवल उन मुद्दों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया बल्कि वे उसी प्रकार कायम हैं जैसे इस कानून में पहले थे। राजस्थान हाईकोर्ट में रिटें पेश करते समय जागीरदारों ने जो रिटें की थीं उसमें यह कहा गया था जो जागीरी रिजम्पशन का मूल कानून है वह कानून राजप्रमुख ने बनाया है और वह ऐसे समय बनाया गया है जिस वक्त कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के चुनाव हो चुके थे।

और इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी ऐतराज किया था कि राजस्थान के राजप्रमुख द्वारा ऐसा कोई बिल अगर बनाया जावे तो जिस तरह से कि उनको कोवेनेन्ट में अधिकार दिया गया है उसके अनुसार उस बिल की स्वीकृति राष्ट्रपति से लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी बल्कि उसको एक्ट

[श्री भैरूँसिंह]

के रूप में लाने के बाद में राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी चाहिये थी। लेकिन उस मूल कानून को राजप्रमुख ने बनाया और उस पर एक बिल की शक्ल में राष्ट्रपति से स्वीकृति ली, जब कि विधान इस बात के लिए कहता है कि जब कोई भी कानून बनाया जावे और उस वक्त अगर विधान सभा कार्य नहीं कर रही है और राजप्रमुख यदि कोई कानून बनाये तो उसकी स्वीकृति राष्ट्रपति से ले, पर उस समय ली जावे जिस वक्त कि वह एक्ट की शक्ल में हो। पर यह कानून एक बिल की शक्ल में गया और बिल की शक्ल में अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है तो यह विधान के प्रतिकूल है और इस बिल को चैलेन्ज करते हुए जिन जागीरदारों ने केसेज़ किये उन्होंने इसी चीज को एक मुद्दा बनाया था।

दूसरी जो मुख्य खामी रही और जिसका मुझे डर है कि इसमें भी वह रह जावेगी, जिस पर मैं संशोधन भी प्रस्तुत करने वाला हूँ, उसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। मुझे डर है कि कहीं इसको भी बालाएताक में न रख दिया जावे। विधान सभा को कानून बनाने का जो अधिकार है और किस तरह का कानून बनाने का अधिकार है संविधान की परिशिष्ट ७ की सूची २ में इसका उल्लेख है कि राजप्रमुख को या किसी 'बी' स्टेट की विधान सभाओं को अधिकार दिया गया है कि वह किस प्रकार का कानून बना सकती है?

लेकिन इसके साथ-साथ यह अवश्य है कि जो कानून किसी की सम्पत्ति के ऊपर अधिकार करने का बनाया जावे या ऐसा कोई कानून बनाया जावे जिससे किसी की सम्पत्ति छीनी जाती हो, जमीन ली जाती हो या ऐसी ही कोई चीज ली जाती हो तो इसकी एवज में उन लोगों को सरकार क्या देने वाली है, सरकार किस तरह से देगी, कब देगी इसके लिए कोई खास आधार, प्रिन्सिपल के तौर पर बनाया जावे और इसके आधार पर ही हरजाना, कम्पेन्सेशन या रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दी जावे और वह उस वक्त दी जावे जिस वक्त यह आवश्यक हो कि जनता के लाभ के लिए उस सम्पत्ति पर अधिकार करना या उस सम्पत्ति का छीनना आवश्यक है। तो उसी सूरत में इस प्रकार की सम्पत्ति पर कब्जा किया जा सकता है और उसका एवज़ाना दिया जाता है। पर माननीय अध्यक्ष, उस ओरिजिनल एक्ट को उठा कर देखा जावे और इस संशोधन को देखा जावे तो न तो उसमें और न इसमें किसी प्रकार का कोई प्रीएम्बल (Preamble) है, न स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता हो कि ये दोनों बिल किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए बनाये जाते हैं। ये दोनों चीजें विधान में हैं और यदि इन दोनों चीजों का अभाव इस कानून में रहा तो मुझे तो भय है कि जिस तरह हाई कोर्ट में रिट पेश करके पिछले समय स्टे ऑर्डर obtain किया गया और इसके बाद जब मालूम हुआ कि यह एक्ट हाई कोर्ट द्वारा कुछ खामियों के कारण अस्वीकृत होगा, तब बातचीत शुरू हुई और तय किया कि अब तथाकथित समझौते के आधार पर इस एक्ट को उसी तरह से कायम रखा जावे और इसके बाद में संशोधन लाया जावे और इसके बाद इसे कार्यान्वित करें और यह समझें कि आपने सब ठीक कर दिया है, तो यह उचित नहीं होगा। जिस सद्भावना की आप दुहाई देते हैं मेरे ख्याल से वह सद्भावना आपकी इस कानून में काम नहीं आवेगी। इस सद्भावना के विचार के साथ-साथ मैं यह अवश्य कहूँगा कि आज सरकारी पक्ष इस अभिमान में होंगे कि

[श्री भैरूँसिंह]

राजस्थान क्षत्रिय महासभा की मार्फत उसने सारे क्षत्रियों पर कब्जा पा लिया है, पर यह सही नहीं होगा। इस सदन में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया अध्यक्ष महोदय, और मैं भी उसे दोहराता हूँ कि यह क्षत्रिय महासभा केवल उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो जागीरदार हैं और बड़े-बड़े जागीरदार हैं, जिनको आज के जमाने में पूँजीपति कहा जाता है। इसके कारण ही इसका सब जगह विरोध चला। आज जयपुर राजपूत सभा ने, उदयपुर राजपूत सभा ने जो निर्णय लिया है इसके बारे में उन्होंने इस क्षत्रिय महासभा का और इसके निश्चयों का बहिष्कार किया है। जयपुर राजपूत सभा ने तो इस क्षत्रिय महासभा में भेजे गये अपने प्रतिनिधियों को निष्कासित भी कर दिया है। यह इस बात का सुबूत है कि राजस्थान क्षत्रिय महासभा सारे राजस्थान के क्षत्रियों का किसी भी हालत में प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह देना चाहता हूँ कि आप इस भरोसे न रहें कि जिसे आप सद्भावना का वातावरण समझे बैठे हैं उस सद्भावना के वातावरण में आइन्दा ऐसी चीज नहीं आवेगी कि राजस्थान के क्षत्रिय जो इस एक्ट से प्रभावित होंगे वे चुपचाप बैठे रहेंगे और आपकी इन बातों को मान लेंगे। वे, जो इस एक्ट से प्रभावित होंगे हाईकोर्ट में जाकर दूसरा रिट प्रस्तुत कर सकेंगे और करेंगे; यह पूरा-पूरा भय है। यह मुझे भय है और यह मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि यह सारा का सारा जो समझौता हुआ है वह भी एक प्रकार की सौदेबाजी है कि इस प्रकार का संशोधन आये इस बिल में और इस प्रकार की खामियां रक्खी जावें इसमें और स्वयं समझौता करने वाले जरूर नहीं, पर उनकी प्रेरणा से और लोग खड़े हों, वकीलों के चक्कर में आवें और निगरानी के रूप में आवेदन प्रस्तुत करें और उन्हीं मूलभूत खामियों को आगे लावें जिसके कारण इस राजस्थान के भूमि-सुधार के मुख्य कानून को चैलेंज करके स्टे ऑर्डर ऑब्टेन किया जावे और इसमें दो साल का समय लगाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि इन चीजों को इसी प्रकार से रक्खा गया तो इसमें और भी कई ऐसी चीजें आ सकती हैं। इसके पढ़ने से भी यही मालूम होता है। इसलिये ये दोनों चीजें साथ-साथ लाये हैं कि साथ की सभी चीजें संशोधित रूप में नहीं आवें। मैं फिर निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अगर इसे इसी रूप में पास कर दिया गया तो हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर (Stay order) पहले की तरह फिर आने वाला है और यह फिर दो-तीन साल के लिए यह रोका जाने वाला है और इस तरह से जो वर्षों से इस कानून की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी आशाओं पर तुषारापात करने वाले हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद तो यह थी कि समझौते के आधार पर कुछ ऐसी चीजें यहाँ आवेंगी जिससे राजस्थान की जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत हो, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस समझौते का असर दो दलों पर प्रकट हुआ। आज समझौते के विरुद्ध सम्प्रदायवाद की बात कही जाती है। लेकिन मैंने परसों जाना कि इस पर काँग्रेस दल में भी काफी फूट पड़ गई है और इसके परिणामस्वरूप राजस्थान प्रदेश काँग्रेस के अध्यक्ष ने अपने अध्यक्ष पद तक से इस्तीफा दे दिया है और यह इस्तीफा इस कारण से दे दिया है कि जागीरदारों से समझौता-वार्ता जो चली थी उसमें काँग्रेस पार्टी में किसी तरह का मतभेद हो गया और इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने पद

[श्री भैरूंसिंह]

से इस्तीफा देना पड़ा। अब यह भी सुनने में आ रहा है कि काँग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग कमेटी के सदस्य श्री माणिक्यलाल वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है और वह भी इस कारण कि जागीरदार-समझौते के कारण उनमें आपस में मतभेद पैदा हुआ है। उधर तो कांग्रेस की यह हालत हुई है और इधर क्षत्रिय महासभा और काँग्रेस के कार्यकर्त्ताओं में भी मतभेद खड़ा हो गया है। कॉग्रेस ने तो एक तरफ एक लेफ्टिस्ट ब्लॉक ही बना लिया है जो एग्रीकल्चर रिफोर्म्स के बारे में बात करेगा। इस तरह से लेफ्टिस्ट ब्लॉक एक हो गया है और राइटिस्ट ब्लॉक एक तरफ छूट गया है। इसी तरह की हालत क्षत्रिय महासभा की है। वहां भी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ब्लॉक हो गये हैं और दोनों तरफ राईटिस्ट एक तरफ हो गये हैं और लेफ्टिस्ट दूसरी तरफ। मेरे कहने का मतलब यह है कि राइटिस्ट ब्लॉक में कॉग्रेस की ओर से जिन्होंने समझौता किया है वह मजदूरों और किसानों के वोटों पर आने वालों ने नहीं किया है, मिल मालिक और पूंजीपतियों के वोटों पर आनेवालों ने किया हैं और इन्हीं के वोटों पर चुनाव जीतकर इस सदन में आकर बैठे हैं - वरना अगर ये किसान मजदूरों के बल पर उनके वोटों पर जीतकर आते तो मजदूरों और किसानों के हित को ठुकराने का और इस तरह से ठुकरा कर इनसे समझौता करने का साहस नहीं करते। समझौता वार्त्ता से यह कानून अभिशाप के रूप में सदन के सामने लाया जा रहा है कि जिसमें एक तरफ क्षत्रिय महासभा के रूप में बड़े-बड़े जागीरदार और पूंजीपति हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के वे लोग हैं जो राइटिस्ट हैं और इन्हीं मिल मालिकों और पूंजीपतियों के सहारे से पनप रहे हैं। उनके सामने यह ख्याल नहीं है कि वे इस जागीर रिजम्प्शन एक्ट को लाकर समाज में एक क्रान्ति, नहीं तबाही ला देंगे और उस तबाही के कारण समाज में नुकसान पैदा हो सकता है। यदि इस प्रकार की विचारधारा न होती और मजदूर-किसानों की भलाई की विचारधारा उनके सामने होती, तो आज यह समझौता जिस संशोधन के रूप में हमारे सामने आया है उस रूप में न आकर किसी और रूप में आता।

हमारा तो यह विश्वास था कि ये बड़े-बड़े जागीरदार और ये कॉंग्रेस के पूंजीपति समर्थक सदस्य थोड़ा गरीबों पर भी ध्यान देंगे, जिनको उन्होंने अपनी स्वार्थपूर्ति के हेतु एक तरह से ढाल बना रखा है। जिस तरह से क्षत्रिय महासभा ने ढाल बनाया इन छोटे गरीब राजपूत जागीरदारों को और कम्पेन्सेशन में रियायतें लीं, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट में सहूलियतें प्राप्त कीं। खुदकाश्त के लिए किस तरह से इन छोटे जागीरदारों की आड़ लेकर, इनको ढाल बनाकर इन्होंने इस खुदकाश्त को समस्या को सफलीभूत बनाया, इसी तरह से आज इन गरीब मजदूर और किसानों के हितों की दुहाई देकर, इनको ढाल बनाकर कॉग्रेस ने भी इन पूंजीपतियों को ही राहत पहुँचाने को प्रोत्साहन दिया है और दे रही है। यदि इस तरह से उन्हें प्रोत्साहन नहीं देना था तो जिस प्रकार स्लाइडिंग स्केल पर दूसरे प्रान्तों में छोटे जागीरदारों को ज्यादा छूट दी गई, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दी गई, ज्यादा सुविधाएं मिलें इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती, उन पर सद्भावना पूर्वक अमल करते; पर ऐसा नहीं किया गया। ये भी थोथे वायदे रहे। इनका भी फायदा इन पूंजीपति जागीरदारों को ही अधिक रहेगा। जैसे आपने खर्चे में एक स्केल मुकर्रर किया है, पहले था कि ग्रोस इन्कम पर यह खर्चा वसूल किया जावे पर अब इसको हटाकर आपने नेट इन्कम पर रखा जावे, ऐसा कर दिया है। इसके अन्दर

Page No.73

[श्री भैरूँसिंह]

जो छोटे छोटे जागीरदार हैं उनसे खर्चा कम वसूल किया जावे. यह बताया गया है। पर इसमें भी इनकी आड़ लेकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को ही फायदा पहुँचाने की बात है। वहां से ज्यादा वसूल किया जावे और छोटों से थोड़ा, यह उनका कहना है। पर इससे छोटों को कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। छोटे जागीरदारों की ग्रोस इन्कम में और नेट इन्कम में कोई डिफरेन्स नहीं है, क्योंकि वे खुद अपने कामदार है, उन्हें कामदार रखने की जरूरत नहीं पड़ती, या यों कहें तो अनुपयुक्त नहीं होगा कि कामदार रख सकने जैसी उनकी हैसियत नहीं, सामर्थ्य नहीं। वे खुद ही अपने कारिन्दे हैं और अपनी जमीन का लगान वसूल करने वाले और सारा इन्तजाम करने वाले वे खुद हैं, जबकि इनके मुकाबले में दूसरे बड़े जागीरदारों को पूरा पूरा स्टाफ रखना पड़ता है, वकीलों को रखते हैं, ऑफिस में कर्मचारी रखने पड़ते हैं, तो इस तरह से ग्रोस इन्कम की जगह नेट इन्कम, यह सारा खर्चा काट कर जो रहेगी उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ सरकार लेगी तो इसका भी फायदा इन बड़े बड़े पूंजीपति जागीरदारों को ही अधिक होगा। इनसे तो ग्रोस इन्कम में ही एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ लिया जावे तो उचित हो सकता है। २०–३० प्रतिशत स्लाइडिंग स्केल करके इनसे लिया जाना उचित है।

आगे कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट भी छोटों को दी जावे, तो यह तो समझ में आ सकता है; पर इस ढंग से वे तो इसका फायदा इतना नहीं उठा पावेंगे और ये पूंजीपति जागीरदार इसका भी फायदा लठा ले जावेंगे। तो वास्तव में देखा जावे तो यह भी तथ्य से बाहर की वस्तु है। जहाँ कम्पेन्सेशन का प्रश्न आता है आज यह कहा जाता है कि विधान में इस तरह का उल्लेख है, इसलिए कम्पेन्सेशन देना पड़ता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर दूँ कि विधान में जो उल्लेख है उसके अनुसार किन चीजों का कम्पेन्सेशन देना पड़ता है यह भी देखने की तकलीफ करते तो स्पष्ट मालूम हो जाता कि विधान के अनुसार उन्हीं चीजों का कम्पेन्सेशन दिया जावेगा जिस पर उस व्यक्ति का मालिकाना अधिकार है।

विधान में इस तरह की चीज है कि जिनके कारण इनको कम्पेन्सेशन देना पड़ता है, लेकिन विधान में किन चीजों को कम्पेन्सेशन देना पड़ता है यह भी देखने की तकलीफ करते तो यह स्पष्ट मालूम होता कि महज उन्हीं चीजों का कम्पेन्सेशन दिया जायगा जो कि पर्सनल प्रोपर्टी है, जो किसी की प्राइवेट प्रोपर्टी हो। राजस्थान का इतिहास इस बात का साक्षी है. राजस्थान का इतिहास ही नहीं लेकिन स्वयं पन्त रिपोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है। माननीय उपाध्यक्ष, आपकी आज्ञा हो तो इसकी २-१ लाइन पढ़कर सुना देता हूँ। पन्त रिपोर्ट में जागीरों की दृष्टि से जो कुछ लिखा है उसमें यह दर्ज किया है। वेंकटाचारी कमेटी ने जो इसका नोट तैयार किया है उन डिटेल्स के आधार पर इसका जिक किया है—

"There are customs in force which clearly distinguish between Jagirdari rights and proprietary rights. Jagirdari rights have always been understood to be resumable at the will of the Ruler. Strictly speaking a Jagir estate is granted for a single life only and on death of the holder becomes Khalsa until a

[श्री भैरूँसिंह]

successor has been recognised. The Jagir rights have never been governed by the Hindu law of Mitakshara which applies to the property of a Hindu. Jagirs are usually held under a Sanad or other grant and are never partible. Again, the rights in a Jagir are not transferable at the will of the Jagirdar. There is no case known of a Jagirdar having been allowed to foreclose a mortgage. There is no instance known either of Jagirs having been transferred to other persons for valuable consideration or by bequest or gift. The inference drawn by the Jagir Enquiry Committee is that Jagirs are not the property of the Jagirdars and Jagirdars are, therefore, not entitled in the event of resumption, to any compensation on the ground of Jagirs being private property."

माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि प्राइवेट प्रोपर्टी या पर्सनल प्रोपर्टी और जागीरों के सम्बन्ध में जितनी एन्क्वायरी, इस जागीर एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में की है उसको भारत सरकार ने माना है, राजस्थान सरकार ने उसको माना है और अभी की राजस्थान सरकार ने उसको माना है। मंत्रियों में हेरफेर हो सकता है, लेकिन मंत्रियों में जो उस समय के राजस्व मन्त्री थे और जो मन्त्री इस शासन में मुख्य कार्यकर्ता हैं वह भी वैंकटाचार कमेटी की रिपोर्ट को इसी प्रकार मानते हैं और जो कि इसमें रिपोर्ट में प्रकाशित हुई है।

दूसरी चीज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह है कि मैं यह कहता हूँ कि वह इस प्रकार की दलील है कि इसके डिफेन्स में जागीरदारों के पास कुछ होता, यदि सरकार के पास कुछ होता तब रिपोर्ट में कहीं न कहीं जिक्र होता, लेकिन एक पेज से आखिरी पेज तक इस सम्बन्ध में देख जायें तो कहीं इस बात का जिक्र नहीं मिलता है। जो कुछ वैंकटाचार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसमें दर्ज किया है उसका प्रतिवाद भी है या नहीं, कहीं इस उसूल को डिसकस किया गया है या नहीं, पता नहीं लगता लेकिन डराया गया कि जिस तरह से मध्यभारत में ऐसे कानून को challange किया गया, बिहार और यू० पी० में चेलेन्ज कर दिया गया है, यहाँ भी कहीं चेलेन्ज नहीं कर दिया जाय। लेकिन बिहार और यू० पी० की जमीनदारियां अलग हैं, मध्यभारत की जागीरदारी और राजस्थान की जागीरदारी में काफी अन्तर है। राजस्थान में भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के जागीरदारों में फर्क है, एक डिस्ट्रिक्ट के जागीरदारों और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जागीरदारों में फर्क है। एक डिस्ट्रिक्ट के जागीरदार को प्रोप्राइटरी राइटस हो सकते हैं, दूसरी जगह के जागीरदार को प्रोप्राइटरी राइटस नहीं हैं, कहीं एक जगह लॉ ऑफ प्रोपर्टी लागू है तो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का कानून नहीं है। जागीरों-जागीरों में अन्तर है, उन जागीरों के प्रोपराइटरी राइटस में अन्तर है, टाइटल्स में कई प्रकार का अन्तर है। यह मानकर कि जागीरदार हाई कोर्ट में अपील करके या उस कानून के विरुद्ध कुछ करके राहत लेना चाहते हैं, यू० पी० ने इस प्रकार किया है; उससे डरकर अगर यहाँ का शासन भी कम्पेन्सेशन पर विचार करता है तो ठीक नहीं। शायद वह हाईकोर्ट में जा सकते थे या नहीं, माननीय उपाध्यक्ष, यह चीज देखने की थी, यह चीज स्टेडी करने की थी और स्टडी करके इस धारणा पर पहुँचते कि वह जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कम्पेन्सेशन दे रहे हैं, वह

[श्री भैरूँसिंह]

विधान के अनुकूल है या नहीं, व्यावहारिकता के अनुकूल है या नहीं, उसका समाज पर कोई असर होने वाला है या नहीं ? इस चीज को स्टडी करते तो बाद में जागीरदार चाहे हाईकोर्ट में जाते, चाहे सुप्रीमकोर्ट में अपील करते या चाहे और कोई तरीका अख्त्यार करते, वे इस बात पर दृढ़ रहते कि जागीरदारों को किसी भी हालत में मुआवजा नहीं दिया जायगा। पहले से ही कैसे मान लें कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो सकता है। वे बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाते तो वहां भी देख लेते। लेकिन हमने डरकर के कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया कि जिससे सारी की सारी चीज बेकार हो जाय, हमने यह किया है।

दूसरी चीज यह है कि ऐसा मान लिया जाय कि कम्पेन्सेशन देना है। विधान में इस बात का तकाजा है कि जागीरदारों को कम्पेन्सेशन देना है तो इसमें हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि किन जागीरों पर कम्पेन्सेशन देना है, कौन से जागीरदार डिज़र्व करते हैं ? कहीं इस कम्पेन्सेशन का दुरुपयोग तो नहीं होगा, इस कम्पेन्सेशन के जरिये कहीं समाज में अत्याचार तो नहीं बढ़ेगा, समाज में अव्यवस्था तो नहीं फैलेगी; यह सारी चीजें देखने के बाद कम्पेन्सेशन की बात करते। माननीय उपाध्यक्ष, 'लेन्ड रिफॉर्म्स इन इन्डिया' श्री एच० डी० मालवीय की बनाई हुई एक पुस्तक है और उसके ऊपर श्रीमन्नारायण का फोरवर्ड (forward) है और इसी आधार पर उस कैसी चीज का इसमें जिक्र किया गया है। वह ५-७ लाइनें हैं। मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। यह किताब उस वक्त प्रकाशित हुई है जिस वक्त पन्त जी अपना एवार्ड दे चुके थे। यह पुस्तक उस वक्त प्रकाशित हुई यानी पन्त एवार्ड के बाद, जिसका मतलब यह है कि यह अभी प्रकाशित हुई है। इसमें यह है—

"The curse that is the Jagiri System :—

The backwardness of the State is to be attributed mainly to the existence of the Jagirdari system and rule of the native Princes, who cared only for their pleasure pursuits and never gave any attention whatsoever to the care and well-being of their subjects. As a matter of fact an exact replica of the worst features of the middle ages continued in Rajasthan right upto the middle of the 20 th century. And even now, the fendal jagirdars, incensed at the abolition of their heartless and inhuman exploitation, did their worst to defeat the implementation of the abolition legislation and took recourse to the most lawless activities and, like the barbarians of the middle ages, even burnt and pillaged the villages, so much so that their goondaism and lawless armed activities become a major problem for which the Central Government had to intervene. There have been, for example, cases when women have been burnt alive, when villages have been razed to the grounds when trigger-happy jagirdars have freely used their guns to kill the kisans. We will not, however, prolong this chapter by a recital of this tale of woe and suffering of the peasantry of Rajasthan."

[श्री भैरूँसिंह]

तो ऐसी सूरत के बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि मा० श्रीमन्नारायण अग्रवाल द्वारा फोरवर्ड (forward) जो दिया हुआ है इस किताब पर, श्री एच० डी० मालवीया ने जिसे बनाई है और इन्डियन नेशनल कॉंग्रेस ने जिसे प्रकाशित किया है; वह कहां तक सही है। यह किताब साबित करती है, यह किताब सही स्थिति बताती है कि यह जो कम्पेन्सेशन दे रहे हैं उस कम्पेन्सेशन का दुरुपयोग तो नहीं होगा, उस कम्पेन्सेशन का क्या हाल होगा? कल माननीय मुख्य मन्त्री ने जिस वक्त बताया......

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष—आपने अपना टाइम ले लिया है।

श्री भैरोंसिंह—जी, टाइम लिमिट तो नहीं रखी गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Mr. Deputy Speaker, Sir, the question be now put.

श्री भैरोंसिंह—I will complete within five mfnutes.

श्री उपाध्यक्ष—Let him complete in a few minutes, (श्री भैरोंसिंह से) Try to be brief.

श्री भैरोंसिंह—मैं ब्रीफ ही हो रहा हूँ। जो कुछ मुद्दे की बात है वह कहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय राजस्व मन्त्री ने इस बिल को प्रस्तुत किया उस वक्त उन्होंने यह कहा था कि भारतवर्ष के नेता पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को स्वीकार किया है कि इस प्रकार की चीज समझौते से मन्जूर की जाय। समझौते के आधार पर उन चीजों का हल हो तो वास्तव में यह चीज प्रशंसनीय है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि कम्पेन्सेशन दिया जाय। किस तरह का समझौता किया जाय इस बात की एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो उन्होंने झांसी में जिस वक्त कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहा था कि जागीरदारों को फुल कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाय, इसलिए नहीं किया जाय कि जागीरदारों को जो लगान वसूल करने में अड़चन पैदा हो रही है वह उस अड़चन से दूर होने के लिए सरकार के मार्फत लगान वसूल करायेगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया था कि कम्पेन्सेशन उन लोगों को दिया जाय जो दरअसल में गरीब हों, कम्पेन्सेशन उन लोगों को दिया जाय जिन लोगों के पास पैसा नहीं हो, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो, जिनकी स्थिति बिल्कुल डांवाडौल हो, जिनके सामने खाने-पीने का पूरा जरिया नहीं हो; उन लोगों को कम्पेन्सेशन दिया जाय। कम्पेन्सेशन देने का मतलब यह नहीं है कि महज उन लोगों को जो स्वयं करोड़पति हैं, लखपति हैं या जिनके पास धन हैं, उन लोगों को और धन डाल दें। यह मैं समझता हूँ कि आज की मांग के प्रतिकूल होगा।

[श्री भैरूँसिंह]

माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में आज यह चर्चा चली कि छोटे राजपूतों की हमारे सामने एक विकट समस्या है और उसे हमें हल करना है, लेकिन जो कुछ वेंकटाचार्य की रिपोर्ट से सुनाया था उसके प्रतिकूल छोटे राजपूतों की समस्या है, छोटे जागीदार अपनी जमीन को बेच सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, रहन रख सकते हैं और चाहे जो कर सकते हैं। वे यह भी जानते हैं कि उनको यदि कपेन्सेशन अलाउन्स नहीं दिया जायगा तो वे इस बात के मुश्तहक हैं कि उनको रिहेबिलिटेट करने के लिये रकम दी जायगी और वह अवश्य मिलनी भी चाहिये। इस संशोधन बिल में यह प्रोविजन है कि १८ गुना Compensation तक उनको दिया जा सकता है। लेकिन कोई भी रकम जो सेटलमेंट के रेकर्ड से दी जायगी उससे छोटे राजपूतों का हित नहीं है। आज मन्त्रीजी और क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधियों की परीक्षा थी तो इस बात से थी कि वे छोटे भोमियों व छोटे जागीरदारों व राजपूतों की समस्या का हल किस तरह से करने में सफल हुए हैं। खुद काश्त की जमीन किस तरह दी जाय इस बारे में कई लोगों के भाषण सुने, जागीरदारों के और कांग्रेसवालों के, खुदकाश्त के बारे में उन्होंने ऐसा कर दिया है कि रेकर्ड ऑफ राइट्स में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं वे जमीन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन जितने भी गिरदावरी व सेटलमेंट के रेकर्ड्स हैं उनमें बड़ी गड़बड़ियें हुई हैं जिस तरह १० साल पहले यह सुना जाता था कि जागीरदार किसानों को बेदखल करके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं आज उसी तरह से राजस्थान में किसान कर रहे हैं। वे सेटलमेंट गिरदावर, इजेक्टमेंट आदि के जरिये जागीरदारों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आज सेटलमेंट रेकर्ड्स के खिलाफ किसी की शिकायत है तो जगीरदारों की है, किसानों की नहीं और जगीरदारों की शिकायत होने के कारण आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिये, इन ५ सालों में जिन जमीनों पर छोटे जागीरदार खुदकाश्त करते थे उन पर आज दूसरों का कब्जा है, चाहे यह कब्जा रेवेन्यु रेकर्ड, गिरदावरी, सेटलमेंट या एन्टी इजेक्टमेंट के जरिये से किया गया हो, पर किसानों ने जबरदस्ती कब्जा कर ही लिया है। सीकर के एक सदस्य बड़े जोर से कह रहे थे कि इस तरह से सारे रेकर्ड्स में दर्ज करवाकर खुदकाश्त की भूमि छीन लेंगे आदि। उनको याद होना चाहिये कि उन्होंने एक मुस्लिम काश्तकार की जमीन पर कब्जा कर लिया था और उनके खिलाफ १०७ की कार्यवाही की गई है और वे खेत में दाखिल नहीं हो सकते। न मालूम किस तरह से "किसान" शब्द केवल एक ही जाति का बनने जा रहा है। कोई भी राजपूत, ब्राह्मण हरिजन या जाट जो खेती करता है वह किसान है। जिससे आपका विशेष मतलब है वह भी किसान है। किसान शब्द का फायदा केवल एक ही तरह के लोग उठाना चाहते हैं। यह शब्द दूसरों के काम में नहीं आ सकता, राजपूतों व जागीरदारों को इसमें नहीं लिया जा सकता, यदि इसका उपयोग सही माने में होता तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि आज छोटे जागीरदारों पर किसान ज्यादती कर पाते। मैं आपको आज एक विपरीत बात बताता हूँ। जब मन्त्रीजी बाहर दौरे पर गये तो हजारों राजपूतों ने एक मत होकर गिरदावरी की जाँच इमानदार ऑफिस से करवाने की माँग की और बताया कि entries गलत होती हैं। इसी कारण से जयपुर डिविजन के कमिश्नर ने एक हिदायत निकाली कि जिसकी जाँच हो जाय उसी का नाम पर्चे में दाखिल हो। मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने कुछ सुनवाई की। चाहे किसान किसी प्रकार का हो या जागीरदार किसी प्रकार का हो, जो गलत दाखिला करवाकर कब्जा करता है उसे सजा मिलनी चाहिये। लोगों के दिमाग में उलझन

Page No.78

[श्री भैरूँसिंह]

पैदा हो गई है। जिनको पर्चियाँ मिल गई हैं वे समझते है कि हमारी जमीन है और जो काश्त करते हैं वे समझते हैं कि हमारी जमीन है। खुदकाश्त की जमीन के बारे में यह शर्त लगाई गई है कि जितनी जमीन रेकर्ड में लिखी है उतनी मिल जायगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी। खुदकाश्त का प्रश्न हल करने का यह तरीका था और जो कमेटी बैठी थी उसने भी यह सिफारिश की थी कि जो सीलिंग मुकर्रर की जाय या जो तादाद मुकर्रर की जाय उतनी दे दी जाय और जिसके पास ज्यादा हैं उनसे वह ले ली जाय और ऐसे आदमियों को तकसीम की जाय जिनके पास जमीन नहीं है या कम है। आज बड़े-बड़े काश्तकारों के पास जमीन है, बड़े-बड़े जागीरदारों के पास है, लेकिन छोटे राजपूतों के पास जमीन नहीं है। कानून में यह है कि यदि ५०० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वह खुदकाश्त की जमीन रख सकता है......

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हद हो गई। बहुत समय ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष (श्री लालसिंह शक्तावत)—you have taken long time.

श्री भैरोंसिंह—अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—आप २ मिनिट में समाप्त कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह—२ मिनिट में समाप्त नहीं हो सकता, कल पर रख दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—दो-चार मिनिट और बोल लीजिये।

श्री भैरोंसिंह—दुबारा मीटिंग हो तब बोल लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—एक आदमी को इतना समय नहीं दिया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह—जिस वक्त इस बिल पर विचार शुरू किया था उस वक्त किसी तरह का लिमिटेशन समय का नहीं हुआ था, इसलिये बीच में लिमिटेशन नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—You will have time to speak during the clause-by-clause consideration of the Bill, when the amendments are moved. You can't go on like this. Finish it within two to three minutes.

श्री भैरोंसिंह—१-२ मिनिट में समाप्त नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं हो तो खतम कीजिये।

श्री वेदपाल त्यागी—जिस वक्त इस पर आम बहस शुरू हुई थी, उस वक्त स्पीकर महोदय ने कोई टाइम लिमिट नहीं रखा था......

(कुछ विराम के अनन्तर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो यह है कि जिस वक्त आम बहस शुरू हो रही थी उस वक्त स्पीकर महोदय से निवेदन किया गया था कि इस पर टाइम लिमिट नहीं रखा जाय और उन्होंने इसे मान लिया था। इसलिये बीच में टाइम लिमिट करना ठीक नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—क्लोज़र मोशन भी आ गया था, उसके बावजूद भी आपको बोलने के लिये अलाऊ किया।

श्री भैरूँसिंह—क्लोज़र मोशन खत्म हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—उस वक्त I allowed him, औरों को भी अकोमोडेट करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह—और कोई बोलनेवाले हों तो उनको अकोमोडेट कर लिया जाय, लेकिन मुझे बोलने दिया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I now move, "That the question be now put."

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Hon'ble Member changes his seat so frequently. Is he entitled to catch your eyes ?

श्री उपाध्यक्ष—अब क्योंकि टाइम हो गया है, इसलिये आज की सिटिंग एडजोर्न करता हूँ और परसों ४ जून को ५ बजे फिर मिलेंगे।

श्री जयनारायण व्यास—परसों ५ बजे subject to that Id (Idul Fitar) is tomorrow. दूसरी बात यह है कि हाउस को यह इतला करदी जाय कि अहम मसले पर विचार करना है, इस लिये यदि परसों नहीं मिल सके तो शनिश्चरवार को मिललें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष—क्या परसों ईद होगी, ऐसा ख्याल है ?

श्री जयनारायण व्यास—शायद परसों ईद हो तो सेटर्डे को हम मिल लें।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—If their is no Id tomorrow then there is no question of meeting on Friday. In that case we will meet on Saturday at 7-30 A. m.

(तत्पश्चात् सदन की बैठक ६ बजे रात्रि को, शुक्रवार दिनाँक ४. ६. ५४ के सायंकाल ५ बजे तक के लिये और यदि शुक्रवार को अवकाश-दिवस हुआ तो शनीवार, दिनाँक ५.६.५४ को प्रातःकाल ७.३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,

जयपुर,

दिनाँक—२ जून, १९५४.

मनसाराम पुरोहित

सचिव,

राजस्थान विधान सभा।